2025

लोक सभा उत्तर

बजट सत्र, 2025[18वीं लोकसभा का चौथा सत्र]
[10 मार्च,2025 से 4 अप्रैल, 2025 तक]

INDEX

Sl.No.	Question No.	Question Type	Date	Subject	Division	PageNo.
1.	**313**	**तारांकित**	**21.03.2025**	**लोक अदालतों के लिए योग्य मामले**	एलएपी	**1-9**
2.	3472	अतारांकित	21.03.2025	समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय	एलएपी	10-14
3.	3476	अतारांकित	21.03.2025	न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग	ई-कोर्ट	15-17
4.	3478	अतारांकित	21.03.2025	धुबरी में न्यायिक अवसंरचना	जे आर	18-19
5.	3492	अतारांकित	21.03.2025	महाराष्ट्र में ओडीआर और वर्चुअल कोर्ट	ई-कोर्ट	20-22
6.	3553	अतारांकित	21.03.2025	ओडिशा में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय	एनएम	23-24
7.	3560	अतारांकित	21.03.2025	उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश न्यायालय	नियुक्ति	25
8.	3565	अतारांकित	21.03.2025	विभिन्न न्यायालयों में मामलों की स्थापना	एनएम	26-31
9.	3572	अतारांकित	21.03.2025	न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व	एनएम	32-33
10.	3574	अतारांकित	21.03.2025	एसडीएम न्यायालय के लिए भूमि का आवंटन राजस्थान	जे आर	34
11.	3585	अतारांकित	21.03.2025	**राष्ट्रीय लोक अदालत**	एलएपी	35-36
12.	3591	अतारांकित	21.03.2025	**ई-कोर्ट प्रणाली को सुदृढ़ बनाना**	**ई-कोर्ट**	37-38
13.	3592	अतारांकित	21.03.2025	**फास्ट ट्रैक कोर्ट**	न्याय-II	39-42
14.	3622	अतारांकित	21.03.2025	**ग्राम न्यायालय**	जे आर	43-50
15.	3641	अतारांकित	21.03.2025	मद्रास उच्च न्यायालय की संस्तुति न्यायालय	नियुक्ति	51-53
16.	3650	अतारांकित	21.03.2025	टेली-लॉ स्कीम	न्याय तक पहुंच	54-56
17.	3671	अतारांकित	21.03.2025	झूठी गवाही के मामले	एनएम	57-60
18.	**411**	**तारांकित**	**28.03.2025**	**न्यायालयों में कमजोर समुदायों के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व**	**नियुक्ति**	**61-64**
19.	4669	अतारांकित	28.03.2025	न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान	एनएम	65-69
20.	4682	अतारांकित	28.03.2025	सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि	एनएम	70-74

21	4689	अतारांकित	28.03.2025	न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति	एनएम	75-76
22	4710	अतारांकित	28.03.2025	लोक अदालतें	एलएपी	77-78
23	4725	अतारांकित	28.03.2025	न्यायिक सुधार	एनएम	79-83
24	4731	अतारांकित	28.03.2025	ई-कोर्ट परियोजना के चरण	ई-कोर्ट	84-87
25	4738	अतारांकित	28.03.2025	आंध्र प्रदेश में न्याय विकास परियोजनाएं	जे आर	88-97
26	4799	अतारांकित	28.03.2025	लंबित अवमानना मामले	एनएम	98-99
27	**487**	**तारांकित**	**04.04.2025**	**पारिवारिक न्यायालय**	**न्याय-II**	**100-105**
28	**488**	**तारांकित**	**04.04.2025**	**तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट की बेंच**	**नियुक्ति**	**106-107**
29	5526	अतारांकित	04.04.2025	सांसदों के खिलाफ मामले	न्याय-II	108-110
30	5534	अतारांकित	04.04.2025	एससी/एसटी और हाशिए के समुदायों के लिए न्याय	न्याय तक पहुंच	111-112
31	5536	अतारांकित	04.04.2025	आंध्र प्रदेश में ग्राम न्यायालय	जे आर	113-114
32	5607	अतारांकित	04.04.2025	निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाएँ	एलएपी	115-117
33	5633	अतारांकित	04.04.2025	कानूनी सुधार	एनएम	118-122
34	5634	अतारांकित	04.04.2025	नालसा के अंतर्गत कानूनी सहायता सेवाएं	एलएपी	123-132
35	5644	अतारांकित	04.04.2025	न्यायपालिका में संरचनात्मक मुद्दे	एनएम	133-136
36	5649	अतारांकित	04.04.2025	न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी	एनएम	137-138
37	5661	अतारांकित	04.04.2025	न्यायालयों में डिजिटलीकरण	एनएम	139-145
38	5677	अतारांकित	04.04.2025	उच्च न्यायपालिका और न्यायाधिकरणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या	एनएम	146-153
39	5690	अतारांकित	04.04.2025	फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों का निपटारा	न्याय-II	154-159
40	5691	अतारांकित	04.04.2025	भारतीय न्यायिक सेवा के लिए प्रस्ताव	नियुक्ति	160-161
41	5705	अतारांकित	04.04.2025	जनजातीय एवं दूरदराज क्षेत्रों में निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाएँ	एलएपी	162-163
42	5725	अतारांकित	04.04.2025	न्यायपालिका में लैंगिक असमानता	नियुक्ति	164-165
43	5743	अतारांकित	04.04.2025	ओडिशा के जिला और उच्च न्यायालयों में एससी/एसटी मामलों की लंबितता	एनएम	166-168

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *313
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

लोक अदालतों के लिए पात्र मामले

***313. श्री जी. सेल्वम :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई तथा इस अवधि के दौरान कुल कितने मामले निपटाए गए;

(ख) देश भर के विभिन्न राज्यों में लोक अदालतों के माध्यम से समाधान के लिए पात्र कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या लोक अदालतें नियमित अदालतों पर बोझ कम करने में प्रभावी रही हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने लंबित मामलों को कम करने में लोक अदालतों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का और अधिक श्रेणियों के मामलों पर कार्रवाई के लिए लोक अदालतों के अधिकारक्षेत्र का विस्तार करने की योजना है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार का लोक अदालतों की दक्षता में सुधार करने तथा उनकी विश्वसनीयता बढाने के लिए किन्हीं सुधारों का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

:(च) से (क)एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक अदालतों के लिए पात्र मामले'' केसंबंध में

पूछेगएलोकसभातारांकितप्रश्नसंख्या*313जिसकाउत्तरतारीख21.03.2025

कोदियाजानाहै,केभाग (क) से (च) केउत्तरमेंनिर्दिष्टविवरण।

:(ग) से (क) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ,विनियम (लोक अदालत)2009 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम ,1987 के उपबंधों के अनुसार देश भर में लोक अदालत का आयोजन उक्त अधिनियम के अधीन यथा विहित विषय2 वस्तु और उक्त अधिनियम की धारा-(1)(ककककके (अधीन यथा परिभाषितन्यायालयों के विनियमों के लिए किया जाता है। लोक अदालत में न्यायालय में या मुकदमेमामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। विधिक /पूर्व चरण में लंबित विवादों- ,सेवा प्राधिकरण अधिनियम1987 के अधीन लोक अदालत को कानूनी दर्जा दिया गया है। लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इस डिक्री के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतोंराज्य लोक अदालतों और स ,्थायी लोक अदालतों प्राप्त मामलों और ,द्वारा आयोजित लोक अदालतों की संख्या (लोक उपयोगिता सेवाएं) वार ब्यौरा क्रमशः-और वर्ष (तमिलनाडु सहित) वार-संघ राज्यक्षेत्र/निपटाए गए मामलों का राज्य **उपाबंध-क** ,**उपाबंध-ख** और **उपाबंध-ग** पर दिया गया है।

लोक अदालतें समय समय पर-बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा करके न्यायालयों के मामला भार को कम करती हैं। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लोक अदालतों द्वारा (दिसंबर तक) :निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण इस प्रकार है

(i) राष्ट्रीय लोक अदालत

वर्ष	टाए गए मुकदमे पूर्व मामले-	टाए गए लंबित मामले	ाए गए कुल मामले
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119

)ii (राज्य लोक अदालत

वर्ष	टाए गए मुकदमे पूर्व मामले-	टाए गए लंबित मामले	ए गए कुल मामले
2022-23	94,939	7,56,370	8,51,309
2023-24	2,19,230	9,87,873	12,07,103
2024-25	7,68,560	4,39,667	12,08,227

) iii (स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगिता सेवाएं)

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले
2022-23	1,71,138
2023-24	2,32,763
2024-25	1,61,277

(घ) :
लोक अदालतों का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है (नालसा) राज्य ,और नालसा लगातार लोक अदालतों के कामकाज की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त ,विनियम (लोक अदालत) को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) विधिक सेवा प्राधिकरणों निदेश जारी किए गए /निर्देश-के अधीन अधिक लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए दिशा 2009

हैं ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके। वर्तमान में लंबित मामलों को कम करने में लोक विधिक सेवा ,अदालतों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए नालसा सभी एसएलएसए से मासिक क्रियाकलाप रिपोर्ट प्राप्त करता हैजिसमें किसी विशेष महीने में किए गए सभी क्रियाकलापयों पर प्रकाश डाला जाता है। , नालसा द्वारा मासिक आधार पर एक अंतिम क्रियाकलाप रिपोर्ट सरकार क ,इसके पश्चात्ो भेजी जाती हैजिसकी समीक्षा की जाती है और उसे संकलित किया जाता है। मासिक क्रियाकलाप रिपोर्टों के , नालसा सभी एसएलएसए से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार ,अलावा जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। इसके अति ,करता हैरिक्त्विधिक सेवा , प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए नालसा द्वारा अखिल भारतीय और क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

:(ङ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ,विनियम (लोक अदालत)2009 के विनियम में लोक अदालतों 10 का उ "मामलों और विषयों का निर्देश" कोपबंध किया गया है। वर्तमान मेंइन विनियमों में संशोधन का , कोई प्रस्ताव नहीं है।

:(च) लोक अदालतों की दक्षता और पहुंच में सुधार करने के लिएलोक अदालत -कोविड के दौरान ई , जिससे उन लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में काफी सुधार हुआ जो ,की अवधारणा बनाई गई थी अन्यथा लोक अदालतों में भाग लेने में असमर्थ थे। पहली ई27 लोक अदालत-.06.को आयोजित 2020 जिनमें ,लोक अदालतें आयोजित की गई हैं-संघ राज्यक्षेत्रों में ई/राज्यों 28 की गई थी और तब से 10.1 जिनमें से ,करोड़ मामले लिए गए 30.करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। 15

****

उपाबंध-क

लोक अदालतों के लिए पात्र मामले'' केसंबंध में पूछेगएलोकसभातारांकितप्रश्नसंख्या*313केभाग (क) से (ग), जिसकाउत्तरतारीख21-03-2025 कोदियाजानाहै, केउत्तरमेंनिर्दिष्टविवरण।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में प्राप्त और निपटाए गए मामलों (मुकदमा-पूर्व और लंबित दोनों मामलों) की जानकारी वाला विवरण ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2020		2021		2022		2023		2024	
		प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	756	248	5844	3997	5555	3310	5933	1536	7594	2976
2	आंध्र प्रदेश	74182	37896	244508	122839	1026449	647956	982779	671612	497317	262449
3	अरुणाचल प्रदेश	1108	104	5689	1054	7938	1071	6837	990	8028	1771
4	असम	158013	12188	341969	39642	707744	113989	963744	164445	1079328	179325
5	बिहार	645225	66451	1236850	151620	2594655	305483	2868992	357765	3183423	355600
6	चंडीगढ़	10261	2569	40301	16833	77646	15569	96578	63764	59511	36743
7	छत्तीसगढ	259978	24464	355912	134548	1539971	1125318	2105736	1664237	5141101	4634630
8	दादरा और नागर हवेली	7524	1768	1443	172	4343	1323	8456	982	8228	724
	दमण और दीव	282	31	474	113	1959	215	43579	19650	23371	8234
9	दिल्ली	92182	83006	178033	154992	617852	535025	817332	671278	852367	665892
10	गोवा	3030	351	7863	1680	24461	3934	23018	3505	26816	4052
11	गुजरात	184934	41584	1466063	748722	2731581	1185571	3926438	1863177	4410203	2161033
12	हरियाणा	120660	30298	337011	123413	1100069	673487	1343620	985650	1834082	1376486
13	हिमाचल प्रदेश	12449	5971	88428	35556	255681	111150	368230	150181	365995	182024
14	जम्मू-कश्मीर	21151	13258	212805	166544	459202	390496	530332	404665	727975	679992
15	झारखंड	127139	53152	394734	232473	1386756	1121405	3053483	2822947	5375328	5171277
16	कर्नाटक	652793	334681	2061134	1277856	5167842	3444607	17195581	14840452	15925526	14369064
17	केरल	86812	15010	182458	68681	395978	136101	285372	57726	311233	59020
18	लद्दाख	0	0	1958	1463	1948	1444	2796	1781	3026	2150
19	लक्षद्वीप	22	8	30	7	318	129	107	41	183	42
20	मध्य प्रदेश	1075359	108365	2081030	347333	3125248	419776	3489492	536105	3389490	499888
21	महाराष्ट्र	1578775	215837	9836163	2440375	34223486	4754239	27444014	3543736	58086210	4675264
22	मणिपुर	339	204	1144	794	1905	1343	636	437	1161	1003
23	मेघालय	2344	303	4299	852	5318	956	4277	680	4506	915

4

24	मिजोरम	800	218	3991	790	13529	4432	10757	4087	6745	1230
25	नागालैंड	327	251	2251	941	3229	888	2566	801	2911	1021
26	ओडिशा	181974	18329	338879	35557	821017	337065	898167	348288	1323513	758705
27	पुडुचेरी	6868	1738	11640	5084	21110	6405	23240	6297	25497	4331
28	पंजाब	131951	32528	345910	138175	824437	392256	1140074	760712	1524941	1161869
29	राजस्थान	526492	103060	1100126	286834	6685251	4572315	19870336	16586071	15188298	12303117
30	सिक्किम	30	30	144	110	402	232	263	126	246	129
31	तमिलनाडु	2079165	88819	417845	191604	840700	447536	704748	355762	769962	338520
32	तेलंगाना	60103	47560	372326	349902	1622035	1611677	5634105	5591849	14750839	14693814
33	त्रिपुरा	2677	382	6360	1070	30126	4814	50635	15724	79365	42910
34	उत्तर प्रदेश	2917151	1171022	10685822	5551793	30114718	18698973	47350615	31644594	48137476	38487330
35	उत्तराखंड	41700	8088	45636	20882	100809	67438	116672	85032	98566	86813
36	पश्चिमी बंगाल	86618	28596	248604	133736	1078663	788082	1445470	1115532	1739032	1315776
	कुल योग	**11151174**	**2548368**	**32665677**	**12788037**	**97619931**	**41926010**	**142815010**	**85342217**	**184969393**	**104526119**

5

<u>**उपाबंध-ख**</u>

लोक अदालतों के लिए पात्र मामले'' केसंबंध में पूछेगएलोकसभातारांकितप्रश्नसंख्या*313केभाग (क) से (ग), जिसकाउत्तरतारीख21.03.2025 कोदियाजानाहै, केउत्तरमेंनिर्दिष्टविवरण।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान गठित राज्य लोक अदालतों और पीठों में प्राप्त और निपटाए गए मामलों (मुकदमा-पूर्व और लंबित दोनों मामले) की जानकारी वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	542	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3585	52229	30461	4874	19558	12123	4999	16380	6720	80	3511	1825	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	6	105	25	24	211	91	1	5	4	0	0	0	0	0	0
4	असम	6	54	1	136	35117	13672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	28	15092	97	1	1260	6	9	576	574	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	26	409	1	69	822	37	30	6536	538	32	5455	1413	0	0	0
7	छत्तीसगढ	491	10030	3475	187	1511	228	124	1487	139	0	0	0	0	0	0
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	300	200453	195359	250	149500	147103	60	15773	11094	198	131178	123151	184	149892	142568
10	गोवा	8	2284	777	30	1857	3209	43	5094	1308	13	1109	245	8	1969	329
11	गुजरात	2851	41205	21880	5157	50840	15546	3805	95554	19717	12	11311	244	2430	25518	9914
12	हरियाणा	33774	87166	52789	54762	183542	115797	43135	420041	230018	92	37733	29196	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	90	6247	3205	260	73822	22031	142	6798	4198	59	2968	2880	41	1542	1507
14	जम्मू-कश्मीर	125	13946	9469	24	5191	3271	225	88719	76683	134	31572	28170	242	32853	29115
15	झारखंड	607	82855	79649	1310	25336	22954	1523	15668	10868	1495	39685	33718	1032	1088707	797984
16	कर्नाटक	1912	250370	121884	412	5221	2524	229	35802	2632	0	0	0	0	0	0
17	केरल	721	17618	4837	302	184575	19226	607	85191	23246	657	108894	26231	576	80102	21526

6

18	लद्दाख	0	0	0	4	43	32	4	294	240	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	3	32	3	1	2	1	1	4	2
20	मध्य प्रदेश	1714	55354	14903	808	17282	4110	1242	14064	5367	1472	60425	48996	868	7873	1937
21	महाराष्ट्र	22	1092	605	6	45	28	30	2954	341	38	6432	580	5	28	1
22	मणिपुर	1	32	21	0	0	0	4	91	43	0	0	0	13	331	295
23	मेघालय	0	0	0	23	619	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	27	435	147	17	551	204	41	3855	1202	12	273	94	48	1779	524
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	239	26104	4628	12	1770	326	6	135624	112422	3	284068	244230	0	0	0
27	पुडुचेरी	24	1208	392	42	4728	262	47	13781	743	38	10770	492	23	8431	319
28	पंजाब	0	0	0	339	6294	1108	6	20	15	154	6133	2268	0	0	0
29	राजस्थान	607	85891	34514	786	17182	845	1202	35255	1628	1086	40751	1039	793	25343	724
30	सिक्किम	110	591	158	110	1590	636	150	1513	887	143	1111	784	117	1098	636
31	तमिलनाडु	767	49993	13117	759	76747	13066	1295	119811	16369	1336	196315	34744	452	70051	6041
32	तेलंगाना	1501	27445	24327	2827	9043	7363	2604	32367	25365	2474	177182	171817	1931	78104	59122
33	त्रिपुरा	12	15132	6938	93	29317	11624	19	8033	2492	62	39021	25637	35	19798	13080
34	उत्तर प्रदेश	200	172225	100305	57	65708	31414	30	1768325	259125	172	1020023	411941	225	251198	116107
35	उत्तराखंड	121	18482	6166	25	19190	8605	125	56459	26498	102	37193	17407	64	14610	6496
36	पश्चिमी बंगाल	575	24812	13853	774	93743	74999	454	17167	10830	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**50451**	**1259401**	**744073**	**74480**	**1082215**	**532529**	**62194**	**3003269**	**851309**	**9865**	**2253115**	**1207103**	**9088**	**1859231**	**1208227**

7

उपाबंध-ग

लोक अदालतों के लिए पात्र मामले'' केसंबंध में पूछेगएलोकसभातारांकितप्रश्नसंख्या*313केभाग (क) से (ग), जिसकाउत्तरतारीख21.03.2025 कोदियाजानाहै, केउत्तरमेंनिर्दिष्टविवरण।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगिता सेवाएं) की बैठकों की संख्या, इन बैठकों में प्राप्त मामलों और निपटाए गए मामलों की जानकारी वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		बैठकों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	बैठकों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	बैठकों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	बैठकों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	बैठकों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	431	1432	1283	927	1107	1406	1058	387	558	1349	1479	1134	1028	1074	1171
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	99	35	12	141	114	56	213	66	56	195	133	97	121	43	24
5	बिहार	977	363	203	482	419	221	313	235	157	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	246	233	108	240	1121	687	241	7563	10945	239	11322	11511	184	7848	7871
7	छत्तीसगढ	346	126	32	1045	1303	1199	1224	2003	2028	1174	6899	6749	844	12349	12442
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	532	13883	14765	791	17451	17395	773	18288	18682	781	19682	19337	582	16134	15947
10	गोवा	24	424	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	479	53
11	गुजरात	1	105	105	9	846	2238	1	8	8	0	0	0	0	0	0
12	हरियाणा	3413	10848	9654	3547	31843	30960	3416	70102	72440	3659	101318	107362	2706	56319	56946
13	हिमाचल प्रदेश	6	16	10	9	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	झारखंड	3554	22018	1943	5144	19530	32514	6216	30114	26154	5826	29779	35715	4243	28194	26504
16	कर्नाटक	1069	2093	3869	1292	3181	5371	904	7338	4588	603	4709	4190	1017	4338	6269
17	केरल	336	4166	248	212	5824	1104	226	369	2564	415	262	1527	271	297	407
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	455	820	270	886	1510	574	1176	514	608	1071	264	409	683	175	251

8

21	महाराष्ट्र	541	129	249	918	642	765	1017	1370	1208	1023	779	485	744	710	1050
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	583	1867	1350	742	1270	1561	753	1358	1612	1041	1344	1891	863	1720	1374
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	2868	3627	3987	4538	9023	9967	4902	12907	14545	4969	21521	20279	3738	16272	15924
29	राजस्थान	1123	2968	806	2960	4665	3228	4435	4804	5072	4230	5382	5799	3862	4007	3575
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**तमिलनाडु**	**236**	**165**	**80**	**671**	**421**	**272**	**1121**	**597**	**528**	**1119**	**439**	**427**	**787**	**358**	**339**
32	तेलंगाना	66	2498	549	108	8789	6674	118	14101	7540	104	12136	12746	57	7193	9172
33	त्रिपुरा	1	20	0	44	118	81	70	165	162	97	152	157	85	176	154
34	उत्तर प्रदेश	2714	0	383	3961	2974	1087	3720	2637	1173	4476	2713	2516	2794	1410	1348
35	उत्तराखंड	156	1145	522	484	3234	765	590	832	510	649	411	432	535	481	456
36	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**19777**	**68981**	**40458**	**29153**	**115396**	**118136**	**32487**	**175758**	**171138**	**33020**	**220724**	**232763**	**25148**	**159577**	**161277**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3472
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय

3472. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्याहै;
(ख) विगत 10 वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत विधिक सहायता सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का वर्षऔर राज्यवार ब्यौरा तथा संख्या क्या है;
(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत दायर मामलों की सफलता दर कितनी है तथा इसकी तुलना उन मामलों से किस प्रकार की जाती है जहां निजी विधिक प्रतिनिधित्त्व का उपयोग किया जाता है;
(घ) इन पहलों के अंतर्गत प्रदान किए गए विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिएसरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ङ) विगत पांच वर्षों में इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है तथा उनके प्रभाव की निगरानी के लिए क्या तंत्र है; और
(च) क्या सरकार के पास इन योजनाओं की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इनका विस्तार या सुधार करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले फायदाग्राहियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य निःशक्तताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त, नाल्सा ने निवारक और रणनीतिक विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्कीमें भी विरचित की हैं, जिनका कार्यान्वयन विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य, जिला और तालुका स्तर पर किया जाता है।

सरकार 250 करोड़ रुपये के परिव्यय पर, पांच वर्ष (2021-2026) की अवधि के लिए "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पना" (दिशा) नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है। दिशा स्कीम का उद्देश्य टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाएं) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विधिक सेवाओं की आसान, सुलभ, सस्ती और नागरिक-केंद्रित परिदान प्रदान करना है। दिशा स्कीम के अधीन, टेली-लॉ मोबाइल ऐप "टेली-लॉ" के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ता है और पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर देता है; न्याय बंधु (प्रो-बोनो सेवाएं) रजिस्ट्रीकृत फायदाग्राहियों को न्यायालयों में

प्रो-बोनो विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन, नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और हकदारियों को जानने, समझने और उनका लाभ उठाने के लिए सशक्त किया जाता है। 28 फरवरी 2025 तक, दिशा स्कीम ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में लगभग 2.10 करोड़ फायदाग्राहियों को सम्मिलित किया है |

भारत सरकार एक अन्य केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित कर रही है अर्थात; नालसा के माध्यम से विधिक सहायता रक्षा परामर्शी प्रणाली (एलएडीसीएस) स्कीम । एलएडीसीएस स्कीम का उद्देश्य केवल एलएसए अधिनियम**, 1987** की धारा **12** के अधीन विधिक सहायता के लिए पात्र फायदाग्राहियों को दांडिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करना है। एलएडीसीएस स्कीम का अनुमोदित वित्तीय परिव्यय **3** वर्ष (वित्त वर्ष **2023-24** से वित्त वर्ष **2025-26)** के लिए **998.43** करोड़ रुपये है। **30** दिसंबर **2024** तक**,** एलएडीसी कार्यालय देश भर के **654** जिलों में कार्यशील हैं और **3448** रक्षा परामर्शियों सहित **5251** कर्मचारिवृन्द नियोजित हैं। वर्ष **2024-25 (**दिसंबर**, 2024** तक) के दौरान**,** एलएडीसीएस कार्यालयों ने **3.95** लाख से अधिक दांडिक मामलों का निपटान किया है ।

पिछले दस वित्त वर्ष अर्थात **2015-16** से **2024-25 (**दिसंबर**, 2024** तक) के दौरान विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-क** पर है। निजी विधिक प्रतिनिधित्व से संबंधित डाटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

नालसा ने 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम**, 2010'** विचित किया है**,** जो सभी स्तरों अर्थात भारत के उच्चतम न्यायालय**,** उच्च न्यायालयों**,** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) और तालुका विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) पर मानीटरी और परामर्श समिति (एमएमसी) की स्थापना के लिए उपबंध करता है ताकि न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं की गहन मॉनीटरी की जा सके और विधिक सहायता विषयों में मामलों की प्रगति की जा सके और पैनल वकीलों को गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएं प्रदान करने में मार्गदर्शन और सलाह दी जा सके ।

सरकार द्वारा सहायता अनुदान मद के अंतर्गत निधियां वार्षिक आधार पर नालसा को आबंटित और जारी की जाती हैं। पिछले पांच वर्ष के दौरान नाल्सा को आबंटित और उसके द्वारा उपयोग किए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे निम्नानुसार है-

वित्तवर्ष	आबंटितनिधियां (रु. करोड़ में)	उपयोग की गई निधियां(रु. करोड़ में)
2020-21	100	100
2021-22	145	145
2022-23	190	190
2023-24	200	200
2024-25	200	200

एलएडीसीएसस्कीम केकार्यान्वयनकेलिए, वर्ष**2023-24** और**2024-25** केदौराननालसाकोक्रमशः**200** करोड़रुपयेऔर**150** करोड़रुपयेजारीकिएगए।इसकेअतिरिक्त, दिशास्कीम केलिए**171.15** करोड़रुपयेआबंटितकिएगएहैं, जिनमेंसे**156.13** करोड़रुपयेकाउपयोगअबतककियाजाचुकाहै।

विधिकसेवाप्राधिकारियोंकेकार्यनिष्पादनकीमानीटरी करनेकेलिए, नालसासभीएसएलएसएसेमासिककार्यकलापरिपोर्टप्राप्तकरताहैजिसमेंकिसीविशेषमासमेंकिएगएसभी क्रियाकलापोंपरविशेष बल दिया जाताहै।तत्पश्चात्, नाल्साद्वारामासिकआधारपरअंतिमकार्यकलापरिपोर्टसरकारकोभेजीजातीहैजिसकीसमीक्षाकीजातीहैऔरउसेसंकलितकियाजाताहै।मासिककार्यकलापरिपोर्टोंकेअलावा,

नाल्सासभीएसएलएसएसेवार्षिकरिपोर्टभीप्राप्तकरताहैऔरअपनीवार्षिकरिपोर्टतैयारकरताहैजिसेसंसदके दोनोंसदनोंकेसमक्षप्रस्तुतकियाजाताहै।इसकेअतिरिक्त,
विधिकसेवाप्राधिकरणोंकेकार्यनिष्पादनकोमानीटरकरनेकेलिएनालसाद्वाराअखिलभारतीयऔरप्रादेशिक बैठकोंकाभीआयोजनकियाजाताहै।विद्यमानस्कीमोंकाविस्तारकरनाऔरउनमेंसुधारलानाएकसततप्रक्रियाहैजोउनकेकार्यान्वयनकेदौरानसाथ-साथकार्यान्वितकीजातीहै।

******

उपाबंध-क

समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3472 जिसका उत्तर तारीख 21.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले दस वर्ष अर्थात् 2015-16 से 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	57	39	119	51	43	65	79	134	220	205
2	आंध्र प्रदेश	3526	5722	7896	4545	4396	4474	6371	9473	8265	7185
3	अरुणाचल प्रदेश	228	1172	3760	3752	3932	1984	2657	5559	5696	6371
4	असम	1083	4215	7033	8850	8002	10027	110254	38335	63749	60121
5	बिहार	4257	9411	36567	78273	60139	38653	1689158	209809	151413	64390
6	चंडीगढ़	1226	2131	2521	3768	2261	1242	1781	2653	2822	2207
7	छत्तीसगढ़	39829	38785	43165	67318	81713	26814	42394	44106	62164	59670
8	दादरा और नागर हवेली	1004	131	15	28	28	10	27	28	55	32
	दमण और दीव	16	9	16	0	0	0	17	24	34	70
9	दिल्ली	31535	35286	42683	53015	79458	82131	79055	96433	121882	56471
10	गोवा	1055	1214	1426	1612	3006	875	1101	2041	1558	1281
11	गुजरात	12817	12030	19885	21541	26887	8302	21953	32422	40569	36540
12	हरियाणा	9641	15811	18415	20326	19019	11059	23260	43098	76863	54796
13	हिमाचल प्रदेश	1611	2340	3634	4842	4368	2083	4806	5998	7346	4845
14	जम्मू - कश्मीर	1605	3294	1402	4022	4961	7675	8870	7992	11396	12611
15	झारखंड	4335	16007	79604	80640	30530	131691	649481	145217	269303	201453
16	कर्नाटक	3246	39878	53535	72621	145015	23211	32794	45663	53406	35209
17	केरल	14242	78021	97249	533259	71058	11242	16895	23418	36498	19579
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	93	2408	711	505	261
19	लक्षद्वीप	0	0	112	0	0	0	0	0	0	1
20	मध्य प्रदेश	48711	68227	140081	199129	268351	87843	3343800	191921	225510	189493
21	महाराष्ट्र	7225	7692	14219	21265	24060	12278	22595	36663	53756	42480

22	मणिपुर	107	10292	10208	19620	18257	56635	22651	26929	62635	66914
23	मेघालय	2342	2410	3802	3238	2914	2131	2346	2769	2371	1811
24	मिजोरम	4237	4741	8536	12716	9473	1670	3201	5038	4801	3228
25	नागालैंड	3981	8107	10749	38358	3691	4231	7750	7390	4603	3701
26	ओडिशा	3270	3768	7011	9695	8025	6029	8849	11880	19289	16243
27	पुडुचेरी	993	729	1176	1299	1295	309	884	788	621	469
28	पंजाब	12090	21153	31991	36131	127829	27096	36404	56448	60361	48984
29	राजस्थान	6112	15310	22002	14232	32413	12274	13833	13472	20290	16179
30	सिक्किम	1091	1073	982	960	928	702	986	1127	1074	693
31	तमिलनाडु	59633	44522	59668	40835	35552	26491	38181	49570	45180	39403
32	तेलंगाना	1772	2620	9051	18396	15145	3488	6712	12615	13193	11287
33	त्रिपुरा	2180	4972	9315	15089	13595	2156	2671	5055	9964	8339
34	उत्तर प्रदेश	8774	68367	46371	76852	60819	3545	132629	24890	29079	19026
35	उत्तराखंड	1112	1905	2756	2703	3018	2343	3775	5386	21339	22798
36	पश्चिमी बंगाल	16727	25305	25901	36235	41956	20906	29015	49714	62354	65454
	कुल	**311670**	**556689**	**822856**	**1505216**	**1212137**	**631758**	**6369643**	**1214769**	**1550164**	**1179800**

****

14

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3476
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग

3476. श्री श्रीरंग आप्पा चंद्रू बारणे :
श्री आलोक शर्मा :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री चिन्तामणि महाराज :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्री दुलू महतो :
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :
श्रीमती भारती पारधीः
श्री प्रवीण पटेल :
श्री भोजराज नाग :
श्री पी. सी. मोहन :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्री जय प्रकाश :
श्री मनोज तिवारी :
श्री जनार्दन मिश्रा :
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एकीकृत करनेका है;

(ख) यदि हां, तो क्या विधिक प्रणाली में नैतिक एआई के उपयोग के लिए कोई विशेष नीतियां या दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने तथा उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए एआई का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है;

(घ) कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ किस प्रकार एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में जबाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती हैं; और

(ङ) भारतीय विधिक प्रणाली में एआई को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है/ क्या योजना बनाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के अधीन सहज उपयोक्ता अनुभव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने तथा "तीव्र प्रणाली" बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसमें रजिस्ट्री के पास फाइलों का न्यूनतम आंकड़ा प्रविष्टि और संवीक्षा होगी। तीव्र प्रणाली सृजित करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इसके सब सेट मशीन अधिगम (एमएल) ऑप्टिकल कैरक्टर रिकगनीशन (ओसीआर), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), आदि जैसी नवीनतम प्रोद्यौगिकियों का ई-न्यायालय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा रहा है। एआई का प्रयोग अनुवाद, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), स्वचालित फाइलिंग, अभिज्ञ अनुसूचन, मामला सूचना प्रणाली में वृद्धि और चैटबोट के माध्यम से वादकारियों के साथ संवाद करने जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। यहविभिन्नन्यायिकप्रक्रियाओंकेलिएअपेक्षित समयकाअनुकूलनकरकेप्रशासनिकदक्षतामेंसुधारकरनेऔरउनप्रक्रियाओंकोस्वचालितकरनेमेंसुविधाप्रदानकरेगाजोमैनुअलहस्तक्षेपकोदूरकरसकतेहैं।विधिप्रवर्तनअभिकरणोंद्वाराएआईआधारितविधिविशेषकाउपयोगअपराधपरविशालडाटाकाविश्लेषणकरनेऔरवास्तविकसमयअंतर्दृष्टिप्राप्तकरनेकेलिएसक्रियरूपसेकियाजारहाहै,
जिससेउद्देश्यपूर्णनिर्णयलेनेऔरप्रक्रियामेंनैतिकविचारोंकाध्यानरखनेकीसुविधामिलतीहै।

विधिक प्रणाली में नीतिपरक एआई के उपयोग के लिए कोई विशेष नीतियां/मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार नहीं किए गए हैं, किन्तु इसका उपयोग पूर्णत ई-न्यायालय परियोजना चरण-III की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में रेखांकित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर है।तथापि, विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों से मिलकर बनी एक उपसमिति, जिसकी सहायता अधिकार-क्षेत्र विशेषज्ञों से मिलकर बने सदस्यों के तकनीकी कार्यप्रणाली समूह द्वारा की जाती है, डाटा संरक्षण के लिए सुरक्षित संयोजकता और अधिप्रमाणन तंत्रों के लिए, निजता के अधिकार को परिरक्षित रखने के लिए सुझाव देने/ सिफारिश करने हेतु भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित की गई है। उपसमिति, डाटा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए और नागरिकों की निजता की संरक्षा करने के लिए, समाधान निकालने हेतु ई-न्यायालय परियोजना के अधीन सृजित डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क और सेवा परिदान समाधान का महत्वपूर्ण रूप से मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए अधिष्ट है।

न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है। ऐसे अनेक कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटान में विलंब हो सकता है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मानीटर करने, उनका पता लगाने और समूहबद्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है। ई-न्यायालय परियोजना चरण-III के अधीन, एआई का उपयोग निर्णयों/आदेशों और अन्य दस्तावेजों के अनुवाद के लिए, स्वचालित फाइलिंग के लिए, मामलों की बुद्धिमान समय-सारणी के लिए, नैसर्गिक भाषा संसाधन (एनएलपी) और मामला सूचना प्रणाली को बढ़ाने के लिए किया जाना है जो प्रक्रियाओं, आदि को सुव्यवस्थित करने में सहायता करेगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को न्यायिक प्रक्रियाओं में एकीकृत करने में कुछ प्रमुख चुनौतियां, जिनमें मामला प्रबंधन, विधिक अनुसंधान और अनुवाद सेवाएं शामिल हैं, में एआई विधिविशेष में संभावित पूर्वाग्रह, भाषा बाधाएं, अनुवाद सटीकता, डाटा की गोपनीयता/सुरक्षा पर चिंताएं, एआई सक्षम परिणामों की सटीकता सुनिश्चित करने के अलावा मशीन/एआई अनुवादित दस्तावेजों के मैनुअल

सत्यापन की आवश्यकता शामिल है। कौशल उन्नयन और प्रक्रिया पुनर्निर्माण के अलावा प्रौद्योगिकी में निरंतर उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। ई- न्यायालय चरण-III के अधीन, ऐसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण और न्यायिक प्रक्रियाओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को अपनाने के लिए 53.57 करोड़ रुपये की रकम आबंटित की गई है।

****

17

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3478
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

धुबरी में न्यायिक अवसंरचना

3478. मोहम्मद रकीबुल हुसैन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के धुबरी जिले में बढ़ते मामलों को निपटाने तथा समय पर न्याय प्रदान करने के लिए जिला न्यायालय की कार्यप्रणाली तथा बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) सरकार न्यायिक प्रणाली में देरी को कम करने और उक्त जिले में मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक रिक्तियों और प्रशिक्षित न्यायिक कर्मचारियों की कमी के मुद्दे का किस प्रकार समाधान कर रही है?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) : अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए न्यायिक अवसंरचना उपलब्ध कराने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित होता है। केंद्रीय सरकार, न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों में सहायता करती है। इस स्कीम के अंतर्गत वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कमरों के साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय इकाइयों का निर्माण सम्मिलित है । स्कीम के प्रारंभ से अब तक 11,88629 करोड़ रु जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 36063 करोड़ रु असम राज्य को जारी किए जा चुके हैं। पिछले पांच वर्षों में, 2020-21 से शुरू होकर, असम राज्य को 154.28 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय और असम सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, धुबरी में एक नए न्यायिक न्यायालय भवन का निर्माण, जिसमें 20 न्यायालय हॉल, 01 वकील हॉल, 04 डिजिटल कंप्यूटर रूम और 93 शौचालय शामिल हैं, 42.24 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से पूरा हो गया है।

(ख) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है। सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से नियम और विनियम विरचित करती है। मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, कुछ समय-सीमाएं विहित की हैं, जिनका जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित

उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन नियुक्त किया जाता है।

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होने का एकमात्र कारण न्यायाधीशों का रिक्त होना नहीं है। न्यायालयों में मामलों की लंबितता, अनेक कारकों के कारण उत्तरदायी है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता और सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की उपलब्धता, जटिलता इसमें शामिल तथ्यों, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, जांच अधिकरण, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । मामलों के निपटान में विलंब के अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मॉनीटर करने, उनका पता लगाने और समूहबद्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3492
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में ओ.डी.आर. और वर्चुअल न्यायालय

3492. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्चुअल न्यायालयों का दायरा यातायात चालान से निपटने के दायरे से आगे तक बढ़ाने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों में, विशेषकर महाराष्ट्र में वर्चुअल बेंच स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) तंत्र क्रियान्वित किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) :ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वर्चुअल न्यायालय की नई अवधारणा पुरःस्थापित की गई है। यह ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) को कार्यान्वित करने के लिये उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है। इसका उद्देश्य न्यायालय परिसर में उल्लंघनकर्ताओं या अधिवक्ताओं की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करके न्यायालयों में आने वाले लोगों को कम करना है। अब तक, वर्चुअल न्यायालय का उपयोग यातायात चालान मामलों के लिए किया जा रहा है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण III के अधीन, सम्पूर्ण भारत में वर्चुअल न्यायालय के विस्तार के लिए 413.08 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्चुअल न्यायालय के उपयोग को विभिन्न अन्य संक्षिप्त मामलों में विस्तारित करने के लिए तौर-तरीकों पर कार्य किया जा रहा है, विशेष रूप से वे जिनमें मामूली विनियामक उल्लंघनों के लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जिनके आंकड़े उपदर्शित करते हैं कि दोषी होने का अभिवचन पहली तारीख को प्रविष्ट किया जाता है।

उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित वर्चुअल सुनवाई का प्रोद्यवन**उपाबंध-1**पर विस्तृत है। अधिक वर्चुअल न्यायपीठ को संचालित करने की सुविधा का उपयोग करने पर बॉम्बे उच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया जाना है।

ई-न्यायालय परियोजना चरण III के अधीन, ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) के लिए 23.72 करोड़ रु. की रकम आबंटित की गई है। चरण III के अधीन, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए

ओडीआरकेंद्र और न्यायालय से संबंधित ओडीआरको संभालने के लिए समर्पित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की योजना बनाई गई है। इन ओडीआरप्लेटफार्मों को समय-समय पर चलाने के लिये अलग सॉफ्टवेयर टीम और केंद्रीकृत क्लाउड-आधारित हार्डवेयर को अलग रखने की योजना है, जो लंबित मामलों से निपटने में सुविधा प्रदान करेगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से विवाद समाधान को सक्षम करने के महत्व को देखते हुए, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 30 में ऑनलाइन मध्यस्थता के लिए विशेष उपबंध शामिल है।

****

उपाबंध-1

महाराष्ट्र में ओडीआर और वर्चुअल न्यायालयों के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3492 जिसका उत्तर 21/03/2025 को दिया जाना है के उत्तरमें निर्दिष्ट विवरण। वर्चुअल सुनवाई के उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे नीचे दिए गए है:

31 जनवरी2025 तकउच्चन्यायालयोंऔरजिलान्यायालयोंमेंवीडियोकॉन्फ्रेंसिंगपरनिपटाएगएमामलों (वर्चुअल सुनवाई) कीसंख्या				
क्र. सं	उच्चन्यायालय	उच्चन्यायालय	जिलान्यायालय	कुल
1	इलाहाबाद	247388	6198497	6445885
2	आंध्रप्रदेश	407844	1439002	1846846
3	बॉम्बे	68675	215481	284156
4	कलकत्ता	163716	96365	260081
5	छत्तीसगढ़	104224	306193	410417
6	दिल्ली	322024	6173665	6495689
7	गौहाटी– अरुणाचलप्रदेश	2856	8345	11201
8	गौहाटी– असम	267063	489453	756516
9	गौहाटी– मिजोरम	4137	13268	17405

10	गौहाटी - नागालैंड	1200	930	2130
11	गुजरात	412983	219558	632541
12	हिमाचल प्रदेश	184912	190964	375876
13	जम्मू–कश्मीर	262032	550523	812555
14	झारखंड	222671	706551	929222
15	कर्नाटक	1261954	169202	1431156
16	केरल	166589	639489	806078
17	मध्यप्रदेश	679551	1049797	1729348
18	मद्रास	1487878	394231	1882109
19	मणिपुर	52093	16546	68639
20	मेघालय	6026	60566	66592
21	उड़ीसा	342870	321286	664156
22	पटना	277696	2887777	3165473
23	पंजाबऔरहरियाणा	616844	3040757	3657601
24	राजस्थान	244832	228175	473007
25	सिक्किम	698	16133	16831
26	तेलंगाना	1311437	195565	1507002
27	त्रिपुरा	22396	37854	60250
28	उत्तराखंड	89051	48597	137648
	कुल	9231640	25714770	34946410

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3553
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

ओडिशा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय

3553. श्री प्रदीप पुरोहित :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा के बरगढ़ जिले के सोहेला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय स्थापित करने के लिए उच्चन्यायालय की सिफारिश की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि सोहेला में वादियों और अधिवक्ताओं को नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2024 के तहत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सोहेला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के बाद व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पदमपुर की 52 किलोमीटर की यात्रा को आसान बनाने के लिए सोहेला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना में तेजी लाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो न्यायालय की स्थापना की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) सोहेला में न्याय शीघ्र प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश को लागू करने हेतु वित्तीय और प्रशासनिक उपायों की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.): उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोहेला, बरगढ़ जिला, ओडिशा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव माननीय न्यायालय के सक्रिय विचाराधीन है। एक व्यवहार्यता मूल्यांकन किया गया है, जो बताता है कि पिछले तीन वर्षों के मामलों की औसत संख्या उक्त प्रस्ताव को उचित ठहराती है। हालाँकि, सोहेला में प्रस्तावित न्यायालय के लिए उपयुक्त बुनियादी ढाँचा सुविधा की आवश्यकता वर्तमान में उपलब्ध नहीं बताई गई है।

हालांकि, सरकार न्यायालयों की कार्यकुशलता में सुधार लाने और न्याय तक बेहतर पहुंच की सुविधा के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रदेश सरकारों के संसाधनों को पूरक बनाने के लिए वित्तीय सहायता

प्रदान की जाती है। उपर्युक्त योजना के तहत, 1993-94 से अब तक ओडिशा राज्य सरकार को 256.13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 45.33 करोड़ रुपये शामिल हैं। राज्य को आगे की राशि, योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों और चल रही तथा आगामी परियोजनाओं की मांग के अनुसार, जारी की जाएगी।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3560
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश

3560. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण को रोकने के लिए सरकार को पत्र लिखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सूची का ब्यौरा क्या है जो छह माह से अधिक समय से सरकार के पास लंबित है; और

(ग) क्या सरकार स्थानांतरण को अधिसूचित कर रही है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में उसकी भूमिका न्यूनतम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से शुरू किया जाता है। एमओपी में आगे यह भी उपबंध है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखें, जहां से न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाना है, साथ ही उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखें, जहां स्थानांतरण किया जाना है, इसके अलावा वे उच्चतम न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखेंगे, जो विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं। मुख्य न्यायमूर्ति सहित संबंधित न्यायाधीश से संबंधित व्यक्तिगत कारक और प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया, जिसमें स्थानों की उनकी प्राथमिकता भी सम्मिलित है, को प्रस्ताव पर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के पहले चार अवर न्यायाधीशों द्वारा अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।सभी स्थानांतरण जनहित में, अर्थात पूरे देश में न्याय के बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए किए जाने चाहिए। एम.ओ.पी. में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3565
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में बढ़ते मामले

3565. श्री ए. राजा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवर न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में बढ़ते मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए कोईअध्ययन/विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के सभी रिक्त पद भरे जाएंऔर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लोक अदालतों का आयोजन, शुल्क का संयोजन और हल्की कार्यवाही पर भारी जुर्माना लगाने सहित विभिन्न न्यायालयों में मामलों की भारी संख्या को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) विभिन्न न्यायालयों में लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क):भारतकेउच्चतमन्यायालयद्वारादीगईजानकारीकेअनुसार, मामलोंकेलंबितरहनेकाकोईएकसुस्पष्टकारणनहींहै।यहएकबहुआयामीस्थितिहै।तथापि, देशकीजनसंख्यामेंवृद्धि, जनताकेबीचपहुँचमेंआसानीऔरजागरूकता, प्रौद्योगिकीकेउपयोगआदिकेसाथ, नएमामलोंकेफाइल किए जाने की संख्यावर्ष दर वर्ष निरंतरबढ़रहीहै, जबकिन्यायाधीशोंऔरन्यायालयोंकीसंख्यावैसी ही बनीहुईहै।इसलिए, मामलोंकेलंबितरहनेकामुख्यकारणदेशमेंन्यायाधीश/जनसंख्याअनुपातकाअपर्याप्तहोनाऔरमाननीयन्यायाधीशोंकीअपर्याप्तसंख्या का होना भीहै। महामारी,जोवर्ष 2020 केआसपासशुरूहुई,नेभीलंबितमामलोंकी संख्या कोबढ़ानेमेंमहत्वपूर्णयोगदानदियाहै।

(ख): उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 द्वारा शासित होती हैं। प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव की शुरुआत करते हैं, जबकि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालय में नियुक्तियों की शुरुआत करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजे जाने से पहले, राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट और अन्य

प्रासंगिक रिपोर्टों सहित, कई स्तरों की संवीक्षा से गुजरती हैं। मई 2014 से, उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1,024 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियाँ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है, जो मलिक मज़हर सुल्तान मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के जनवरी 2007 के आदेश के द्वारा निर्धारित समयसीमाओं का पालन करती है।

(ग) और (घ): लंबित मामलों का समयबद्ध रीति से निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के प्रति अडिग है। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तीव्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का उपबंध करने के लिए कई पहलें की हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 मेंकीगईथी, जिसकेप्रणालीमेंविलंबोंऔरबकायामामलोंकोकमकरकेपहुँचबढ़ानेऔरसंरचनात्मकपरिवर्तनोंकेमाध्यमसेजवाबदेहीबढ़ानेतथाप्रदर्शनमानकों और क्षमताओं को निर्धारित करने वाले दोहरेउद्देश्यथे। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकायामामलों और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का अनुसरण रहा है, जिसमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथ, कम्प्यूटरीकरणसहितन्यायालयोंकेलिएबेहतरबुनियादीअवसंरचना, जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंकीस्वीकृत पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिकमुकदमेबाजीवालेक्षेत्रोंमेंनीतिऔरविधायीउपायऔरमामलोंकेशीघ्रनिपटानकेलिएन्यायालय प्रक्रियाकीपुनःइंजीनियरीऔरमानवसंसाधनविकासपरबल देना सम्मिलित है ।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंकोन्यायालयकक्षों, न्यायिकअधिकारियोंकेलिएआवासीयक्वार्टरों, वकीलोंकेहॉल, शौचालयपरिसरोंऔरडिजिटलकंप्यूटरकक्षोंकेनिर्माणकेलिएनिधिजारीकीजारहीहै, जिससेवादियोंसहितविभिन्नपणधारियोंकाजीवनसरल हो सके और न्याय परिदान में सहायता मिल सके । वर्ष 1993-94 मेंन्यायपालिकाकेलिएअवसंरचनासुविधाओंकेविकासकेलिएकेंद्रीय रुप सेप्रायोजितस्कीम(सीएसएस) के आरंभ होने के समय सेअबतक11886.29 करोड़रुपयेजारीकिएजाचुकेहैं। इसस्कीमकेअधीनन्यायालयकक्षोंकीसंख्या30.06.2014 को15,818 सेबढ़करतारीख 28.02.2025 तक22,062 होगईहैऔरआवासीयइकाइयोंकीसंख्यातारीख 30.06.2014 को10,211 सेबढ़कर28.02.2025 तक19,775 होगईहै।

iii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण **1** और **2** के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। वर्ष 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया था । 99.5% तक न्यायालय परिसरों को डब्ल्यू ए एन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है। तारीख 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्रों और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं । तारीख 31.01.2025 तक, इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों पर कार्यवाही की है और 714.99 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूल किया है । मंत्रिमंडलने तारीख 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण का अनुमोदन कर दिया है। चरण-। और चरण-॥ के अभिलाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों

की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका आशय न्याय परिदान को सभी पणधारियों के लिए परगामी रूप से अधिक मजबूत, आसान और पहुंच योग्य बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम प्रौद्धोगिकी को समाविष्ट करना है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से तारीख 06.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1024 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 788 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्यायविभागकाएमआईएसपोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल, 2015 मेंआयोजितमुख्यन्यायमूर्तियोंकेसम्मेलनमेंपारितसंकल्पकेअनुसरणमें, पांचवर्षसेअधिकसमयसे लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्चन्यायालयोंमेंबकायामामले समितियोंकागठनकियागयाहै। जिलान्यायालयोंकेअंतर्गतभीबकायामामले समितियोंकागठनकियागयाहै।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। तारीख 31.01.2025 तक, देश भर में 860 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित संसद सदस्यों /विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों का त्वरित निपटान करने के लिए नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने, बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। तारीख 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को सुचारू करने की दृष्टि से, सरकार ने, विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसेकिपरक्राम्यलिखत(संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिकन्यायालय(संशोधन) अधिनियम, 2018, विर्निदिष्ट अनुतोष(संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थताऔरसुलह(संशोधन) अधिनियम, 2019 औरदंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे मन से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिकन्यायालयअधिनियम, 2015 कोअगस्त, 2018 मेंसंशोधितकियागयाथा, जिससेवाणिज्यिकविवादोंकेमामलेमेंसंस्थन-पूर्व मध्यकताऔरनिपटान(पीआईएमएस) अनिवार्यहोगया। पीआईएमएस तंत्रकीदक्षताकोऔरबढ़ानेकेलिए, सरकारनेमध्यकता अधिनियम,

2023 केमाध्यमसेवाणिज्यिकन्यायालयअधिनियम, 2015 मेंऔरसंशोधनकियाहै। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमाविहित करकेविवादोंकेत्वरितसमाधानमेंतीव्रतालानेकेलिएसंशोधनकियागयाहै।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 केअधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के दक्ष, प्रभावीऔरउद्देश्यपूर्णन्यायिकप्रबंधनकेलिएउपबंध करताहैताकिविवादकासमयपरऔरगुणवत्तापूर्णसमाधानप्राप्तकियाजासके। यहतथ्यऔरविधिकेविवादितमुद्दोंकीशीघ्रपहचान, मामलेकेजीवनकेलिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जोकिसीभीवाणिज्यिकमामलेमेंदीजानेवालीस्थगनकीसंख्याकोतीनतकसीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलोंकी संख्या के प्रक्रम के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. सरकार ने, वर्ष 2017 मेंटेली-लॉकार्यक्रमशुरूकिया, जोग्रामपंचायतोंमेंस्थितकॉमनसर्विससेंटर(सीएससी) परउपलब्धवीडियोकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनऔर चैट सुविधाओं और टेली-लॉमोबाइलऐपकेमाध्यमसेपैनलवकीलोंकेसाथविधिकसलाहऔरपरामर्शचाहनेवालेजरूरतमंदऔरवंचितवर्गोंकोजोड़नेवालाएकप्रभावीऔरविश्वसनीय ई-इंटरफेसप्लेटफॉर्मप्रदानकरताहै।

*टेली-विधि डाटाकाप्रतिशतवारब्यौरा

वर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	दी गई सलाह	% वार ब्रेक अप
लिंग के अनुसार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
अन्य पिछड़ा वर्ग	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	1,10,05,420		1,08,69,661	

*डाटा 28.02.2025 तक.

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक प्रौद्यौगिकी कार्य ढांचा तैयार किया गया है,**जहाँअधिवक्ताप्रोबोनोकार्यकेलिएअपनासमयऔरसेवाएँदेनेकेलिएस्वेच्छासेन्यायबंधु(एंड्रॉइडऔरआईओएसऔरऐप्स) परप्रोबोनोअधि**वक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र **स्तरपर**23**उच्चन्यायालयोंमेंअधिवक्ताओंकाप्रोबोनोपैनलशुरूकियागयाहै। नवोदितवकीलोंमेंप्रोबोनोसंस्कृतिकोबढ़ावादेनेकेलिए**109 विधि विद्यालयों**मेंप्रोबोनोक्लबशुरूकिएगएहैं।**

xi. न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और विवादों को पूर्वमुकदमेबाजी चरण में निपटाने के लिए भी, विधिकसेवासंस्थाओंद्वाराउचितसमझेजानेवालेअंतरालोंपरलोकअदालतोंकाआयोजनकियाजाताहै। लोकअदालतें, न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रकेप्रभावीढंगोंमेंसेएकढंग है, जिसेजनतासेसकारात्मकउत्तर मिला है। लोकअदालतेंतीनप्रकारकीहोतीहैं, अर्थात्राज्यलोकअदालतें, राष्ट्रीयलोकअदालतेंऔरस्थायीलोकअदालतें, जोइसप्रकार हैं:

i. राज्य लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरणों/समितियों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसारमुकदमे-पूर्व और मुकदमे-पश्चात दोनों प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए किया जाता है।

ii. भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक सभी न्यायालयों में मामलों (मुकदमेबाजी से पहले और मुकदमेबाजी के बाद) के निपटारे के लिए तिमाही आधार पर एक ही दिन राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। हर वर्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है । वर्ष 2025 के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालतें 8मार्च, 10 मई, 13 सितंबरऔर 13 दिसंबरको आयोजित की जानी हैं ।

iii. स्थायी लोक अदालतें अधिकांश जिलों में स्थापित स्थायी स्थापन हैं, जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी तंत्रका उपबंध करते हैं।

राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालतें स्थायी स्थापन नहीं हैं और संबंधित न्यायालयों द्वारा इसे भेजे गए लंबित मामलों पर ही कार्यवाही करती हैं। चूंकि ये लोक अदालतें स्थायी प्रकृति की नहीं हैं, इसलिए सभी निपटाए न गए मामले संबंधित न्यायालयों को वापस कर दिए जाते हैं और इसलिए ये लोक अदालतों में लंबित नहीं रहते। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे इस प्रकार है:

30

(i) राज्य लोक अदालत

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले (मुकदमे-पूर्व और लंबित मामले दोनों)
2022-23	8,51,309
2023-24	12,07,103
2024-25 (24 दिसम्बर तक)	12,08,227

(ii) राष्ट्रीय लोक अदालत

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले (मुकदमे-पूर्व और लंबित मामले दोनों)
2022	4,19,26,010
2023	8,53,42,217
2024	10,45,26,119

(iii) स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिकउपयोगितासेवाएं)

वर्ष	कुल निपटाए गए मामले
2022-23	1,71,138
2023-24	2,32,763
2024-25 (24 दिसम्बर तक)	1,61,277

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3572
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

3572. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विगत दस वर्षों के दौरान न्यायिक व्यवसाय और न्यायपालिका की सेवाओं में रैंक, नियुक्ति प्रकार, क्षेत्र के आधार पर गिरावट और देखे गए रुझानों सहित महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) कानूनी क्षेत्र और न्यायिक सेवाओं में, विशेषकर भर्ती, प्रतिधारण और पदोन्नति की परिपाटियों के संबंध में महिलाओं के विरुद्ध प्रणालीगत भेदभाव को दूर करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे नीतिगत उपायों और पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क):न्यायिक व्यवसाय और न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़े, जिनमें रैंक, नियुक्ति प्रकार, क्षेत्र और पिछले दस वर्षों के रुझान शामिल हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल और विभिन्न स्तरों पर न्यायपालिका जैसे प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा रखे जाते हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके।

वर्ष 2014 से अब तक उच्चतम न्यायालय में 06 महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों में 162 महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तारीख 18.03.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में 02 महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों में 110 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। तारीख 28.02.2025 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 7,852 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियाँ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य

सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है, जो मलिक मज़हर सुल्तान मामले में जनवरी 2007 के अपने आदेश के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करती है।

(ख):विधिक क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध व्यवस्थित भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने से संबंधित नीतिगत उपाय और पहल, विशेष रूप से भर्ती, प्रतिधारण और पदोन्नति के संबंध में, न्यायपालिका और बार काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में हैं। हालाँकि, इन संस्थानों द्वारा लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने और विधिक क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन करने के लिए कई पहल की गई हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

• भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने महिला वकीलों की सहायता के लिए विशेष सुविधाएँ लागू की हैं। उच्चतम न्यायालय विशेष रूप से महिला वकीलों के लिए समर्पित शौचालय, प्रतीक्षा क्षेत्र और लाउंज प्रदान करता है।

• न्यायालय परिसर के भीतर एक क्रेच (चाइल्डकेयर सेंटर) की स्थापना एक उल्लेखनीय सुविधा है, जो छोटे बच्चों के साथ महिला अधिवक्ताओं की सहायता के लिए है, साथ ही न्यायालय परिसर के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली जैसे उन्नत सुरक्षा उपाय भी हैं।

• इसी तरह, देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने महिला अधिवक्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से सुविधाएँ शुरू की हैं। कुछ उच्च न्यायालयों में अलग-अलग महिला बार एसोसिएशन या समितियाँ हैं जो लिंग-विशिष्ट चिंताओं पर केंद्रित हैं, साथ ही महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष शौचालय, लाउंज और चेंजिंग रूम भी हैं।

• इसके अतिरिक्त, कई उच्च न्यायालयों ने बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति के माध्यम से सुरक्षा में सुधार किया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां महिला अधिवक्ता अक्सर आती हैं। न्यायालय, न्यायिक व्यवसाय में महिलाओं के लिए कानूनी अधिकारों और कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लिंग-संवेदनशीलता कार्यक्रम और कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं।

• विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के माध्यम से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का प्रशासन करता है। इस अधिनियम में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान नहीं हैं, क्योंकि कानून के तहत सभी वर्गों के अधिवक्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है। हालाँकि, कई राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने महिला अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता सहित सहायता देने के लिए योजनाएँ शुरू की हैं।

•इसके अलावा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने राज्य बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बार काउंसिल की विभिन्न अनुशासनात्मक और अन्य समितियों में कम से कम 25% सदस्य महिलाएं हों। इस निर्देश का उद्देश्य कानूनी बिरादरी के भीतर प्रमुख निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, समानता और विविधता को बढ़ावा देना है।

****

33

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3574
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

राजस्थान में एसडीएम कोर्ट के लिए भूमि का आबंटन

3574. श्री राजकुमार रोत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डूंगरपुर जिले में अनुमोदित उप-विभागीय (उपखंड)मजिस्ट्रेट न्यायालय, चिखली को आबंटित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय स्वीकृति कब से जारी की गई है और कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त न्यायालय का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या न्यायालय भवन के निर्माण तक कैम्प कोर्ट के संचालन की मांग की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट न्यायालय, चिखली का निर्माण कार्य शुरू करने में मदद करने की संभावना है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) :राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बजट वर्ष 2023 में उप-विभागीय (उपखंड) मजिस्ट्रेट न्यायालय, चिखली, जिला डूंगरपुर, राजस्थान के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है। तथापि, बजट वर्ष 2014-15 में चिखली, डूंगरपुर में उप-विभागीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 199.76 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गई थी। इसके लिए 0.8090 हेक्टेयर भूमि का एक टुकड़ा आवंटित किया गया था। भवन का निर्माण वर्ष 2016-17 में पूरा हुआ और वर्ष 2020 से उप-विभागीय मजिस्ट्रेट न्यायालय का कार्यालय परिसर में कार्य कर रहा है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3585
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय लोक अदालत

3585. श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लोक अदालत पहल के प्रति जनता की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त पहल का न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या को कम करने पर काफी हद तक प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोक अदालत प्रणाली की दक्षता और पहुंच को और बढ़ाने के लिए जिन अतिरिक्त सुधारों पर विचार किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : लोक अदालदतेंन्यायालयों में लंबित मालमों की संख्या को कम करने के लिए और मुकदमापूर्व प्रक्रम पर विवादों का निपटान करने के लिए भी विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जाती है जो वह ठीक समझती हैं, न्यायालयों पर बोझ को कम करने में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र की प्रभावी पद्धतियों में एक पद्धति है, जिसे जनता से सकारात्मक उत्तर मिला है । निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार, तीन प्रकार की अदालतें हैं अर्थात् राज्य लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थाई लोक अदालतः

i. राज्य लोक अदालते पूर्व मुकदमा और पश्च मुकदमा मामलों के निपटान के लिए स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकरणों/शक्तियों द्वारा आयोजित की जातीहैं।

(ii) राष्ट्रीय लोक अदालतें, एकल दिन को भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक सभी न्यायालयों में मामलों (पूर्व मुकदमा और पश्च मुकदमा) के निपटान के लिए त्रैमासिक रुप से संचालित की जाती हैं । प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) राष्ट्रीय लोक अदालतों के लिए कैलेडर जारी करता हैं । वर्ष 2025 के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च, को आयोजित की गई थी । राष्ट्रीय लोक अदालतें आगे 10 मई, 13 सितंबर, 13 दिसम्बर, 2025 को आयोजित की जानी हैं ।

(iii) लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व-मुकदमा तंत्र प्रदान करने के लिए अधिकांश जिलों में स्थायी स्थापनों की स्थापना की गई है ।

(ख) :राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालतें स्थायी स्थापन नहीं हैं और वे संबंधित न्यायालयों द्वारा इसे निर्दिष्ट किए गए अनुसार लंबित न्यायालय मामलों पर कार्रवाई करती हैं। क्योंकि ये लोक अदालतें

35

स्थायी प्रकृति की नहीं है, इसलिए निपटान नहीं किए गए सभी मामलों को संबंधित न्यायालयों को वापस लौटा दिया जाता है और इस लिए वे इन लोक अदालतों के पास लंबित नहीं रहते हैं । गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष (दिसम्बर तक) के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटान किए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

(i) राष्ट्रीय लोक अदालत

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले (मुकदमापूर्व और लंबित मामले दोनों)
2022	4,19,26,010
2023	8,53,42,217
2024	10,45,26,119

(ii) राज्य लोक अदालतः

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले (मुकदमापूर्व और लंबित मामले दोनों)
2022-23	8,51,309
2023-24	12,07,103
2024-25	12,08,227

(iii) स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगिता सेवाएं)

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले
2022-23	1,71,138
2023-24	2,32,763
2024-25	1,61,277

(ग) : लोक अदालतों की दक्षता और पहुंच में सुधार करने के लिए, ई-लोक अदालत को कोविड के दौरान वास्तविक रुप दिया गया था जिसने विशेष रुप से ऐसे लोगों के लिए न्यायतक पहुंच में सुधार किया जो लोक अदालतों में भाग लेने के लिए अन्यथा असमर्थ थे । पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजित की गई थी और तभी से ई-लोक अदालतों 28 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की गई हैं जिनमें 10.30 करोड़ मामले को कार्यवाही के लिए लिया गया था जिनमें से 1.15 करोड़ मामलों का निपटान किया गया था ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3591
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

ई-कोर्ट प्रणाली को मजबूत बनाना

3591. श्री सौमेंदु अधिकारी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डिजिटल केस प्रबंधन और ऑनलाइन सेवाओं सहित ई-कोर्ट प्रणाली को मजबूत बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की स्थिति और राज्यों के साथ उक्त योजना के वित्त-साझेदारी पैटर्न का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मामला प्रबंधन, एआई के उपयोग, सार्वजनिक कानूनी शिक्षा और नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र के लिए सॉफ्टवेयर को उन्नत बनाने हेतु पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग):ई-न्यायालयपरियोजना, चरण-III केलिए 7210 करोड़रुपयेकेपरिव्ययकेसाथ, देशभरमेंई-न्यायालयप्रणालीकोमजबूतकरनेकासरकारकासंकल्पबहुतस्पष्टहै।इसपहलकेअधीन, न्यायालयप्रबंधनप्रक्रियाओंमेंसुधारकरनेऔरविभिन्नपणधारियों, जैसेवकीलों, वादकारियों, न्यायाधीशोंऔरअन्यकेलिएसेवाओंकोडिजिटाइज़करनेकेलिएकईकदमउठाएगएहैं।

डिजिटलमामला प्रबंध प्रणाली केअधीन, ई-फाइलिंगप्रणाली (संस्करण 3.0) कोवकीलोंकेलिएउन्नतसुविधाओंकेसाथशुरूकियागयाहै, जिससेवे 24X7 किसीभीस्थानसेमामलोंसेसंबंधितदस्तावेजोंतकपहुंचऔरअपलोडकरसकेंशुल्कआदिकेपरेशानीमुक्तह स्तांतरणकेलिएई-पेमेंटप्रणालीशुरूकियागयाहैप्रौद्योगिकीसक्षमप्रक्रियाकीसेवाऔरसम्मनजारीकरनेकेलिएराष्ट्रीयसेवाऔरइलेक्ट्रॉनिकप्रक्रियाओंकीट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरूकीगईहै।इसकेअतिरिक्त, न्यायपीठद्वाराखोज, मामला प्रकार, मामलानंबर, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादीकानामआदिजैसीसुविधाओंकेसाथएकनिर्णय खोज पोर्टलशुरूकियागयाहै।यहसुविधासभीकोनि:शुल्कप्रदानकीजारहीहै।नागरिक-केंद्रितसेवाओंतकआसानऔरपरेशानीमुक्तपहुंचकीसुविधाकेलिए, पूरेभारतमें 1610 ई-सेवाकेंद्र (सुविधाकेंद्र) स्थापितकिएगएहैं।यातायातसंबंधीअपराधोंकीसुनवाईकेलिए 21 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में 28 वर्चुअलन्यायालयकामकररहेहैं।इसकेअतिरिक्त, ई-न्यायालयसेवाओंकेभागकेरूपमें, एसएमएसपुशएंडपुल, ईमेल, बहुभाषीई-न्यायालयसेवापोर्टल, जेएससी (न्यायिकसेवाकेंद्र), इन्फोकियोस्क, वकीलों/वादियोंकेलिएई-न्यायालयमोबाइलऐप (अबतक 2.87 करोड़डाउनलोड) औरन्यायाधीशोंकेलिएजस्टिसऐप (अबतक 21,105 डाउनलोड) केमाध्यमसेवकीलों / वादियोंकोमामलेकीस्थिति, कारणसूची, निर्णयआदिकेबारेमेंजानकारीप्रदानकरनेकेलिए 7 प्लेटफॉर्मबनाएगएहैं।अधिकवस्तुनिष्ठता, निरंतरता, पारदर्शिताऔरगतिलानेकेलिए, देशभरमेंजिलाऔरतालुकाअदालतोंमेंमामलासूचनाप्रणाली (सीआईएस) संस्करण 4.0 सॉफ्टवेयरलागूकियागयाहै।भारतकेउच्चतमन्यायालयद्वाराप्रदानकीगईजानकारीकेअनुसार, कृतिम

आसूचना (एआई), औरमशीनलर्निंग (एमएल) आधारितउपकरणकेसप्रबंधनमेंतैनातकिएजारहेहैं।संविधानपीठकेमामलोंमेंमौखिकतर्कोंकेलिप्यंतरणमें उनकाउपयोगकियाजारहाहै।एआईकीसहायतासेलिखिततर्कोंकोउच्चतमन्यायालयकीवेबसाइटसेएक्सेस कियाजासकताहै।भारतकाउच्चतमन्यायालयआईआईटी, मद्रासकेसहयोगसेदोषों, डेटा, मेटाडेटानिष्कर्षणकेइलाजकेलिएएआईऔरमशीनलर्निंग (एमएल) उपकरणोंकेप्रोटोटाइपकाभीपरीक्षणकररहाहै।यहएआईऔरएमएलआधारितटूलइलेक्ट्रॉनिकफाइलिंग मॉड्यूलऔरकेसमैनेजमेंटसॉफ्टवेयर, अर्थात्इंटीग्रेटेडकेसमैनेजमेंटएंडइंफॉर्मेशनप्रणाली (आईसीएमाईएस) केसाथएकीकृतकियाजाएगा।

केंद्रीयसरकार, जिलाऔरअधीनस्थन्यायपालिकाकीन्यायिकअवसंरचनाकेविकासकेलिएकेंद्रीयरूपसेप्रायोजितस्कीम (सीएसएस) केमाध्यमसेराज्य/संघराज्यक्षेत्रसरकारोंकेसंसाधनोंकाअनुपूरणकरतीरहीहै, जिसमेंन्यायिकअधिकारियोंकेलिएन्यायालयकक्षोंऔरआवासीयइकाइयोंनामकपांचघटकोंकेविकासकेलिएराज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकोविहितनिधिभागीदारीअनुपातमेंवित्तीयसहायताप्रदानकीजातीहै।वकीलोंऔरवादियोंकीसुविधाकेलिएवकीलकेहॉल, शौचालयपरिसरऔरडिजिटलकंप्यूटरकक्ष, योजनाकीशुरूआतसेलेकरवर्ष 1993-94 मेंअबतक 11,885.29 करोड़रुपयेकीराशिजारीकीगईहै। 28.02.2025 तक, जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंमें 22,062 न्यायालयहॉलऔर 19,775 आवासीयइकाइयांउपलब्धहैं। अन्यमें, 3,206 न्यायालयहॉलऔर 2,639 आवासीयइकाइयांवर्तमानमेंनिर्माणाधीनहैं।

व्ययविभागकेमार्गदर्शी सिधांत केअनुसार, सीएसएसकेअंतर्गतनिधियोंकीभागेदारीकेन्द्रऔरराज्योंकेबीच 60:40 केअनुपातमेंलागूहोतीहै, पूर्वोत्तरराज्योंऔरहिमाचलप्रदेशतथाउत्तराखंडकेदोहिमालयीराज्यों कोछोड़कर, जहां 90:10 काअनुपातलागूहोताहै।संघराज्यक्षेत्रोंकेलिएनिधिभगीदारीअपेक्षाकेबिना 100% केन्द्रीयसहायताउपलब्धकराईजातीहै।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3592
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक न्यायालय

3592.श्री अरविंद गणपत सावंत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में फास्ट ट्रैक न्यायालयों/नए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना और कामकाज के संबंध में देश भर में लंबित मामलों की संख्या दर्शाते हुए राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन न्यायालयों की स्थापना के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे न्यायालयों की स्थापना और अधिक संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित करने का विचार है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सामान्य न्यायालयों की तुलना में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की कुशलता का आकलन करने के लिएकोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : अधीनस्थ न्यायालयों जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय(एफटीसी) भी है, की स्थापना करना और उनका कार्यकरण, अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। ऐसे न्यायालयों के लिए निधियों का आबंटन, राज्य सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा गठित 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015-2020 के दौरान 1800 एफटीसी की स्थापना की सिफारिश की थी, ताकि जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं,बच्चों,वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, लाइलाज बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई की जा सके। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि वे इस प्रयोजन के लिए कर अंतरण के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजकोषीय स्थान का उपयोग करें। संघ सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से एफटीसी की स्थापना के लिए निधियां आबंटित करने का भी आग्रह किया है। इस संबंध में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों ने 31.01.2025 तक 860 एफटीसी की स्थापना की है। जनवरी, 2025 तक लंबित मामलों सहित पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यशील किए गए एफटीसी की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर है। संघ सरकार ने 2015-16 से बार-बार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक

एफटीसी की स्थापना करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में कार्यसूची मदों में से एक मद के रूप में और अधिक एफटीसी की स्थापना का भी उल्लेख किया गया है। त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए कोई केंद्रीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल की अधिकारिता में आती है, जो उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से करते है। केन्द्रीय सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) भी है, पर न्यायिक अधिकारियों के चयन, भर्ती और नियुक्ति में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। एफटीसी में न्यायाधीशों और अन्य प्रवर्गों के अधिकारियों की रिक्तियों के ब्यौरे केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के कार्यावयन के लिए और विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन करने के लिए, सरकार ने अगस्त, 2019 में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम तैयार की। इस स्कीम का उद्देश्य समयबद्ध रीति से बलात्संग और यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रव्यापी त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) जिसके अंतर्गत विशेष पॉक्सोन्यायालयों भी है, की स्थापना करना है।

इसस्कीमको 790 न्यायालयों कीस्थापनाकोलक्ष्यितकरतेहुए, 31 मार्च 2026 तकनवीनतमविस्तारकेसाथदोबारबढ़ायागयाहै । स्कीम का वित्तीयपरिव्ययनिर्भयानिधिसे उपगत होने वाले केंद्रीयहिस्सेकेरूपमें 1207.24 करोड़रुपये के साथ 1952.23 करोड़रुपये है । उच्च उच्चन्यायालयोंद्वारा प्रस्तुत डाटाकेअनुसार, 31.01.2025 तक, 745 एफटीएससीजिसके अंतर्गत 404 विशेष पॉक्सोन्यायालय भी है, 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंमेंकार्यशीलहैं ।कार्यशील त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) जिसके अंतर्गत विशेष पोक्सो न्यायालय भी है, के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-2** पर है।

न्यायालयों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इसकी स्थापना के बाद से 1034.55 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में जारी 200.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। निधियां दैनिक खर्चों को समाविष्ट करते हुए सीएसएस पैटर्न (60:40, 90:10) के आधार पर और एक न्यायिक अधिकारी, सात सहायक कर्मचारियों के वेतन और फ्लेक्सी अनुदान सम्मिलित करते हुए जारी की जाती है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाती हैं जो संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कार्यशील न्यायालयों की संख्या द्वारा अवधारित की जाती हैं।

(घ) और (ङ):महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के सर्वोपरि महत्व को ध्यान में रखते हुए, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी)स्कीम को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 01.04.2023 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। इस विस्तार की पूर्व शर्तों में से एक के रूप में, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा 2023 में तृतीय-पक्ष मूल्यांकन आयोजित किया गया था।

****

उपाबंध -1

जनवरी, 2025 तक लंबित मामलों के साथ पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यशीलत्वरित निपटान विशेष न्यायालयोंकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	कार्यशील एफटीसी				31/01/2025 तक लंबित
		31/12/2022 तक	31/12/2023 तक	31/12/2024 तक	31/01/2025 तक	
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	22	21	21	7089
2.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4.	असम	16	15	15	16	12699
5.	बिहार	0	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	23	23	27	25	4701
8.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	10	27	26	26	6814
10.	गोवा	4	6	4	4	1765
11.	गुजरात	54	54	54	54	5693
12.	हरियाणा	6	6	6	6	807
13.	हिमाचल प्रदेश	3	3	3	3	351
14.	जम्मू - कश्मीर	4	8	8	8	1464
15.	झारखंड	34	36	40	39	8249
16.	कर्नाटक	0	0	0	0	0
17.	केरल	0	0	0	0	0
18.	लद्दाख	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1	0	0	0	0
21.	महाराष्ट्र	111	95	101	100	174556
22.	मणिपुर	6	6	6	6	226
23.	मेघालय	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	2	2	2	2	268
25.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	0	0	0	0	0
27.	पुडुचेरी	0	0	1	1	3065
28.	पंजाब	7	7	7	7	141
29.	राजस्थान	0	0	0	0	0
30.	सिक्किम	2	2	2	2	16
31.	तमिलनाडु	73	72	72	72	78855
32.	तेलंगाना	0	0	0	0	0
33.	त्रिपुरा	3	3	3	3	1342
34.	उत्तर प्रदेश	372	372	373	373	1082109
35.	उत्तराखंड	7	4	4	4	1066
36.	पश्चिमी बंगाल	88	88	88	88	84409
	कुल	848	851	863	860	1475685

उपाबंध- 2

विशेषपॉक्सोन्यायालयों सहितकार्यशील त्वरितनिपटानविशेषन्यायालयोंकेराज्य/संघ राज्यक्षेत्रों-वारब्यौरे31.01.2025 तक)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों केनाम**	कार्यशील**न्यायालय**	
		विशेषपॉक्सो सहित एफटीएसीएस	**विशेषपॉक्सो**
1	आन्ध्र प्रदेश	16	16
2	असम	17	17
3	बिहार	46	46
4	चंडीगढ़	1	0
5	छत्तीसगढ़	15	11
6	दिल्ली	16	11
7	गोवा	1	0
8	गुजरात	35	24
9	हरियाणा	16	12
10	हिमाचल प्रदेश	6	3
11	जम्मू - कश्मीर	4	2
12	झारखंड	22	16
13	कर्नाटक	30	17
14	केरल	55	14
15	मध्य प्रदेश	67	56
16	महाराष्ट्र	4	1
17	मणिपुर	2	0
18	मेघालय	5	5
19	मिजोरम	3	1
20	नागालैण्ड	1	0
21	ओडिशा	44	23
22	पुडुचेरी*	1	1
23	पंजाब	12	3
24	राजस्थान	45	30
25	तमिलनाडु	14	14
26	तेलंगाना	36	0
27	त्रिपुरा	3	1
28	उत्तराखंड	4	0
29	उत्तर प्रदेश	218	74
30	पश्चिमी बंगाल	6	6
31	अंदमान और निकोबार द्वीप**	0	0
32	अरूणाचल प्रदेश***	0	0
	कुल	**745**	**404**

* **पुडुचेरीनेविशेषरूपसेस्कीममेंशामिलहोनेकाअनुरोधकियाऔरतबसेमई** 2023 **मेंविशेष पॉस्को न्यायालय को प्रचालित किया जाना है ।**

** अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूहनेइसस्कीममेंशामिलहोनेकीसहमतिदेदीहै।

अरुणाचलप्रदेशनेबलात्संगऔरपॉक्सोअधिनियमकेलंबितमामलोंकीबहुतकमसंख्याकाहवालादेतेहुएइसस्कीमसेबाहररहनेकाविकल्पचुनाहै।

टिप्पण :स्कीम के आरंभ में, देशभरमेंएपटीएससी का आबंटनप्रतिन्यायालय 65 से 165 लंबितमामलोंकेमानदंडपरआधारितथा, जिसकाअर्थहैकिप्रत्येक 65 से लंबितमामलोंकेलिएएकएपटीएससीकीस्थापनाकीजाएगी। इसकेआधारपरकेवल 31 राज्य/संघराज्यक्षेत्रहीइसस्कमीमेंशामिलहोनेकेपात्रथे।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3622
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

3622. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित ग्राम न्यायालयों का राज्यवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में ग्राम न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों ने उक्त उपबंध के बावजूद पंचायतों में ग्राम न्यायालय स्थापित करने में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए निधि जारी करने और आवर्ती व्यय को पूरा करने के बावजूद राज्यों द्वारा आगे नहीं आने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अब तक 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 488 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। इनमें से, वर्तमान में 11 राज्यों में 320 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं। अधिसूचित और क्रियाशील ग्राम न्यायालयों का राज्यवार ब्यौरानिम्नानुसार है:

28.02.2025 तक अधिसूचित और क्रियाशील ग्राम न्यायालयों का राज्य-वार विवरण			
क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	कार्यरत ग्राम न्यायालय
1.	मध्य प्रदेश	89	89
2.	राजस्थान	45	45
3.	कर्नाटक	2	2
4.	ओडिशा	31	21
5.	महाराष्ट्र	39	26
6.	झारखंड	6	1
7.	गोवा	2	2
8.	पंजाब	9	2
9.	हरियाणा	3	2
10.	उत्तर प्रदेश	113	100
11।	केरल	30	30
12.	आंध्र प्रदेश	42	0
13.	तेलंगाना	55	0
14.	जम्मू-कश्मीर	20	0
15.	लद्दाख	2	0
कुल		488	320

क्रियाशील और कार्यरत ग्राम न्यायालयों की जिला-वार सूची उपाबंध में दी गई है ।

(ख) से (घ):ग्राम न्यायालयअधिनियम, 2008 की धारा 3(1) में यहउपबंधहैकिराज्यसरकारेंअपने-अपने उच्चन्यायालयोंकेपरामर्शकेपश्चात्अधिसूचनाद्वाराकिसीजिलेमेंमध्यवर्तीस्तरपरप्रत्येकपंचायतयामध्यवर्ती स्तरपरसमीपस्थपंचायतोंकेसमूहकेलिएयाजहांकिसीराज्यमेंमध्यवर्तीस्तरपरकोईपंचायतनहींहै, वहां समीपस्थग्रामपंचायतोंकेसमूहकेलिएएकयाएकसेअधिकग्रामन्यायालयस्थापितकरसकेगी।

ग्राम न्यायालयोंकेअपेक्षितसंस्थाकीस्थापनामेंउत्साहकीकमीकेपीछेकईकारकसामनेआएहैं, जैसे कईराज्योंमेंन्यायाधिकारियोंकेपदनभरेजाना, सरकारी अभियोजकों, नोटरी कीअनुपलब्धताऔरप्रथमश्रेणीकेन्यायिकमजिस्ट्रेटोंकीसामान्यकमी, ग्राम न्यायालयोंकासीमितधनीयअधिकारिता, अपर्याप्त कर्मचारी,राज्यों सेअपर्याप्तवित्तीयसहायता, विधिक औरराज्यप्राधिकारियों कीअनिच्छाऔरसामुदायिकजागरूकताकीकमी।उपयुक्तअवसंरचनाकीकमीको भीएककारणकेरूपमेंउद्धृतकियागयाहै।इसकेअतिरिक्त, नियमित न्यायालयोंकेसाथअधिकारिताकीअतिव्याप्तिका मुद्दाकुछराज्योंमेंग्रामन्यायालयोंकेसंबंधमेंधीमीगतिसेआगेबढ़नेकाएकऔरकारणहै।इसकेसिवाय, कई राज्योंमेंपंचायतस्तरपरक्रियाशीलग्रामन्यायालयोंकीअपनीसमानांतरप्रणालीहै।ग्रामन्यायालयअधिनियम, 2008, राज्य सरकारोंकेलिएग्रामन्यायालयोंकीस्थापनाकोअनिवार्यनहींबनाताहै।

****

उपाबंध

28.02.2025तक क्रियाशील/कार्यरत ग्राम न्यायालय (जिला/तालुका-वार)				
क्रम सं.	**राज्य**	**ज़िला**	**तालुक**	**गाँव**
उत्तर प्रदेश (100)				
1		आगरा	बाह	बाह
2		आगरा	एतमाद्पुर	एतमाद्पुर
3		आगरा	किरावली	किरावली
4		आगरा	खेरागढ़	खेरागढ़
5		अलीगढ़	ग़बाना	ग़बाना
6		इलाहाबाद	मेजा	मेजा
7		इलाहाबाद	फूलपुर	फूलपुर
8		इलाहाबाद	हंडिया	हंडिया
9		आजमगढ़	मेहनगर	मेहनगर
10		आजमगढ़	लालगंज	लालगंज
11		आजमगढ़	फूलपुर	फूलपुर
12		आजमगढ़	बुधनपुर	बुधनपुर
13		अमरोहा	धनौरा	धनौरा
14		बागपत	बड़ौत	बड़ौत
15		बहराइच	नानपारा	नानपारा
16		बहराइच	महसी	महसी
17		बलिया	सिकंदरपुर	सिकंदरपुर
18		बलरामपुर	तुलसीपुर	तुलसीपुर
19		बाँदा	नारायणी	नारायणी
20		बाराबंकी	राम नगर	राम नगर
21		बाराबंकी	सिरौली गौसपुर	सिरौली गौसपुर
22		बाराबंकी	फतेहपुर	फतेहपुर
23		बिजनौर	धामपुर	धामपुर
24		बदायूं	बिल्सी	बिल्सी
25		बुलंदशहर	सियाना	सियाना
26	**उत्तर प्रदेश**	बुलंदशहर	दिलबाई	दिलबाई
27		बस्ती	हर्रैया	हर्रैया
28		बस्ती	रुधौली	रुधौली
29		बस्ती	भानपुर	भानपुर
30		चित्रकूट	मानिकपुर	मानिकपुर
31		छत्रपति शाहूजी महाराज नगर	गौरीगंज	गौरीगंज
32		देवरिया	सलेमपुर	सलेमपुर
33		देवरिया	बरहज	बरहज
34		देवरिया	भाटपाररानी	भाटपाररानी
35		एटा	अलीगंज	अलीगंज
36		इटावा	सैफई	सैफई
37		इटावा	चक्रनगर	चक्रनगर
38		फतेहपुर	बिंदकी	बिंदकी
39		फैजाबाद	राडौली	राडौली
40		फैजाबाद	बीकापुर	बीकापुर
41		फैजाबाद	मिल्कीपुर	मिल्कीपुर
42		फर्रुखाबाद	अमृतपुर	अमृतपुर
43		फिरोजाबाद	जसराना	जसराना
44		फिरोजाबाद	टुंडला	टुंडला
45		फर्रुखाबाद	अमृतपुर	अमृतपुर
46		गाजियाबाद	मोदीनगर	मोदीनगर
47		गाजीपुर	जखनिया	जखनिया
48		गोरखपुर	चौरी चौरा	चौरी चौरा
49		गोरखपुर	कैम्पियरगंज	कैम्पियरगंज
50		गोरखपुर	गोला	गोला
51		गोंडा	मनकापुर	मनकापुर

45

52		गोंडा	तरबगंज	तरबगंज
53		गोंडा	कर्नलगंज	कर्नलगंज
54		हमीरपुर	सरीला	सरीला
55		हरदोई	संडीला	संडीला
56		पंचशील नगर जिला (हापुड़)	धौलाना	धौलाना
57		जालौन और ओराई	माधोगढ़	माधोगढ़
58		जौनपुर	शाहगंज	शाहगंज
59		जौनपुर	केराकत	केराकत
60		जौनपुर	मछलीशहर	मछलीशहर
61		जौनपुर	बदलापुर	बदलापुर
62		ज्योतिबा फुले नगर	धनौरा	धनौरा
63		झांसी	तेहरौली	तेहरौली
64		कन्नौज	तिर्वा	तिर्वा
65		कानपुर देहात	बिल्हौर	बिल्हौर
66		कांशीराम नगर	पटियाली	पटियाली
67		कौशाम्बी	चैल	चैल
68		कुशीनगर	तमकुहीराज	तमकुहीराज
69		कुशीनगर	हाटा	हाटा
70		ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट
71		लखीमपुर खीरी	गोला	गोला
72		महाराजगंज	नौतनवां	नौतनवां
73		महाराजगंज	निचलौअल	निचलौअल
74		मैनपुरी	करहल	करहल
75		मथुरा	मंट	मंट
76		मऊ	मधुबन	मधुबन
77		मिर्जापुर	मरिहान	मरिहान
78		मिर्जापुर	लालगंज	लालगंज
79		मुरादाबाद	बिलारी	बिलारी
80		मुरादाबाद	कांठ	कांठ
81		मुजफ्फर नगर	खतौली	खतौली
82		पीलीभीत	पूरनपुर	पूरनपुर
83		प्रतापगढ़	पट्टी	पट्टी
84		रायबरेली	लालगंज	लालगंज
85		रायबरेली	सालोन	सालोन
86		रायबरेली	ऊंचाहार	ऊंचाहार
87		रामपुर	बिलासपुर	बिलासपुर
88		रामपुर	शाहाबाद	शाहाबाद
89		रामपुर	स्वर	स्वर
90		सहारनपुर	बेहट	बेहट
91		सहारनपुर	इटावा	इटावा
92		भिनगा में श्रावस्ती	इकौना	इकौना
93		सीतापुर	लहरपुर	लहरपुर
94		सीतापुर	सिधौली	सिधौली
95		सोनभद्र	घोरावल	घोरावल
96		सुल्तानपुर	अमेठी	अमेठी
97		उन्नाव	हसनगज	हसनगज
98		उन्नाव	बीघापुर	बीघापुर
99		वाराणसी	पिंडारा	पिंडारा
100		संत कबीर नगर	मेन्हादावल	मेन्हादावल
पंजाब (2)				
101	**पंजाब**	रूपनगर	नांगल	नांगल
102		मोगा	कोट इस्से खान	कोट इस्से खान
केरल (30)				
103	**केरल**	कोल्लम	कोट्टाराक्कारा	चदया-मंगलम
104		कोल्लम	कोल्लम	पेरिनाडू
105		कोल्लम	करुनागप्पल्ली	चावरा
106		इडुक्की	इडुक्की	कट्टाप्पना

107		इडुक्की	पीरमेड	पीरमेड
108		इडुक्की	उडुम्बंचोला	कालकूंथल
109		तिरुवनंतपुरम	नेय्याट्टीनकारा	परसाला
110		तिरुवनंतपुरम	नेदुमनगड	वेल्लांडु
111		पथानामथिट्टा	रन्नी	रन्नी
112		पथानामथिट्टा	अडूर	पंडालम
113		कोट्टायम	वाईकॉम	वाडेकुमारी
114		कोट्टायम	कोट्टयम	अनिकाडु
115		अलपुझा	अम्बालप्पुज़्हा	पुन्नापारा
116		अलपुझा	चेरथाला	कांजीकुज्ह
117		एर्नाकुलम	कुन्नाथुनाडु	ऐक्करानाडु उत्तर
118		एर्नाकुलम	उत्तर परवूर	चेंदामंगलम
119		त्रिशूर	थलप्पिल्ली	वडक्केथरा
120		त्रिशूर	कोडुन्गल्लुर	एरियाद
121		पलक्कड़	ओट्टापलम	श्रीकृष्णपुरम
122		पलक्कड़	पलक्कड़	पुडुप्परियारम
123		पलक्कड़	अलाथुर	थेनकुरिस्सी
124		कोझिकोड	थामस्सेरी	रारोथ
125		कोझिकोड	वाटकरा	कुट्टियाडी
126		मलप्पुरम	पोन्नानी	एडप्पल
127		मलप्पुरम	पेरिन्तल्मन्न	पुलामंथोल
128		वायनाड	वयथिरी	कलपेट्टा
129		कन्नूर	टालीपरमबा	इरिक्कुर
130		कन्नूर	इरिट्टी	पयम
131		कन्नूर	थालास्सेरी	चोकली
132		कासरगोड	वेल्लारीकुंड	भीमनदी
महाराष्ट्र (26)				
133	महाराष्ट्र	अहमदनगर	पार्नर	रालेगण सिद्धि
134		धुले	सकरी (निजामपुर)	निजामपुर
135		गोंदिया	गोरेगांव	गोरेगांव
136		गोंदिया	साकेकासा	साकेकासा
137		गडचिरोली	कोरची	कोरची
138		गडचिरोली	मल्चेरा	मल्चेरा
139		लातूर	उदगीर	जलकोट
140		लातूर	निलंगा	शिरुरअनंतपाल
141		नांदेड़	तमसा, ताल. हडगांव	तमसा
142		नासिक	देओला	देओला
143		नासिक	त्र्यंबकेश्वर	त्र्यंबकेश्वर
144		नासिक	हरसूल	हरसूल
145		पुणे	कदम वाक वस्ती	कदम वाक वस्ति (लोनी कालभोर)
146		पुणे	माले (ताल मुलशी)	माले
147		पुणे	वेल्हे	वेल्हा
148		रायगढ़	बिरवाड़ी (महाड),	बिरवाड़ी (महाड),
149		रायगढ़	ताला	ताला
150		रायगढ़	पोलादपुर	पोलादपुर
151		रत्नागिरि	पाली	पाली
152		सांगली	जथ	शंख
153		सिंधुदुर्ग	वैभववादी	वैभववादी
154		थाणे	जवाहर	विक्रमगढ़ और मोखाडा
155		वर्धा	वर्धा	सेवाग्राम
156		वर्धा	वर्धा	अलीपुर
157		वर्धा	हिंगणघाट	देवली
158		कोल्हापुर	गगनबावड़ा	गगनबावड़ा
राजस्थान (45)				
159	राजस्थान	अजमेर	पुष्कर	पिसांगन
160		अलवर	तिजारा	तिजारा
161		अलवर	नीमराना	नीमराना

47

162		बालोतरा	बाड़मेर	बाड़मेर
163		बरन	अटरू	अटरू
164		बांसवाड़ा	तलवारा	तलवारा
165		बांसवाड़ा	गढ़ी	गढ़ी
166		भरतपुर	रूपवास	रूपवास
167		भरतपुर	कमान	कमान
168		भीलवाड़ा	मंडल	मंडल
169		भीलवाड़ा	सुवाना	सुवाना
170		बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर
171		बीकानेर	कोलायत	कोलायत
172		बूंदी	तलेरा	तलेरा
173		चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
174		चित्तौड़गढ़	भदेसर	भदेसर
175		चुरू	राजगढ़	राजगढ़
176		दौसा	दौसा	दौसा
177		धौलपुर	बसेरी	बसेरी
178		डूंगरपुर	आसपुर	आसपुर
179		डूंगरपुर	बिछीवाड़ा	बिछीवाड़ा
180		गंगानगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
181		गंगानगर	अनूपगढ़	अनूपगढ़
182		हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
183		जयपुर	सांभरलेक	सांभरलेक
184		जयपुर मेट्रो 1	बस्सी	बस्सी
185		जालौर	सांचोर	सांचोर
186		जैसलमेर	पोखरण	सांकडामुख्यालय पोकरण
187		झालावाड़	झालरापाटन	झालरापाटन
188		झुंझुनू	नवलगढ़	नवलगढ़
189		जोधपुर मेट्रो	जोधपुर	मंडोर
190		जोधपुर	ओसियान	ओसियान
191		करौली	हिंडौन सिटी	हिंडौन सिटी
192		कोटा	रामगंजमंडी	खेराबाद
193		कोटा	इटावा	इटावा
194		मेड़ता (नागौर)	जायल	जायल
195		पाली	रायपुर	रायपुर
196		प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
197		राजसमंद	रेलमगरा	रेलमगरा
198		एस.माधोपुर	गंगापुरसिटी	गंगापुरसिटी
199		सीकर	सीकर	कुडलीमुख्यालय, सीकर
200		सिरोही	पिंडवाड़ा	पिंडवाड़ा
201		टोंक	देवली	देवली
202		उदयपुर	गिरवा	गिरवा
203		उदयपुर	खेरवाड़ा	खेरवाड़ा
ओडिशा (21)				
204	ओडिशा	पुरी	पुरी सदर	पुरी
205		मल्कानगिरी	कोरुकुंडा	कोरुकुंडा
206		भद्रक	धामनगर	धामनगर
207		कालाहांडी	जूनागढ़	जूनागढ़
208		केंदुझार	आनंदपुर	घासीपुरा
209		केंद्रपाड़ा	राजनगर	राजनगर
210		कोरापुट	सेमिलगुडा	सेमिलगुडा
211		रायगढ़	कोलनारा	कोलनारा
212		झारसुगुडा	लखनपुर	लखनपुर
213		गंजम	सनाखेमुंडी	सनाखेमुंडी
214		नयागढ़	ओडागांव	ओडागांव
215		बारगढ़	अट्टाबीरा	अट्टाबीरा
216		खोरधा	तांगी	तांगी
217		नुआपाड़ा	कोम्ना	कोम्ना

48

218		नबरंगपुर	रायगढ़	रायगढ़
219		बालासोर	भोगराई	जलेश्वरपुर
220		सुबारापुर	डुंगुरीपाली	डुंगुरीपाली
221		गजपति	काशीनगर	काशीनगर
222		जगतसिंहपुर	रघुनाथपुर	रघुनाथपुर
223		जाजपुर	सुकिंदा	सुकिंदा
224		पुरी	ब्रह्मगिरी	ब्रह्मगिरी
झारखंड (1)				
225	**झारखंड**	कोडरमा	झुमरी तलैया	झुमरी तलैया
कर्नाटक (2)				
226	**कर्नाटक**	चिकबलपुर	गौरीबिदौर	होसरू
227		चिकबलपुर	चिकबलपुर	मंडिकल
मध्य प्रदेश (89)				
228	**मध्य प्रदेश**	अलीराजपुर	जोबट	जोबट,उदयगढ़
229		अनूपपुर	कोतमा	सेमरा, निगवानी
230		अशोकनगर	चंदेरी	डुंगासरा, प्राणपुर
231		बड़वानी	सेंधवा	सेंधवा
232		बेतुल	मुल्ताई	मुल्ताई
233		भिंड	लहर	भटपुरा, चिरौली
234		भोपाल	बेरसिया	बेरसिया
235		छतरपुर	बिजावर	बिजावर
236		छिंदवाड़ा	पंधुरना	पंधुरना
237		दमोह	हट्टा	हट्टा
238		दतिया	सेवढ़ा	सेवढ़ा
239		देवास	कन्नोड	कन्नोड
240		धार	मनावर	मनावर, सिंघाना, उमरबन
241		गुना	चचोड़ा	चाचौड़ा के अधीन सभी गांव
242		ग्वालियर	डबरा	डबरा
243		होशंगाबाद	सोहागपुर	शोभापुर, सेमरी हरचंद
244		होशंगाबाद	होशंगाबाद	तिगरिया, डोलरिया, रायपुर, पांजरा कलां, अंधियारी
245		जबलपुर	पाटन	पाटन
246		झाबुआ	थांदला	थांदला
247		मन्दसौर	गारोथ	गारोथ
248		मुरैना	अंबाह	अंबाह
249		नरसिंहपुर	गाडरवारा	गाडरवारा
250		नीमच	मनसा	मनसा
251		पन्ना	पवई	पवई
252		रायसेन	सिविल कोर्ट बरेली	बरेली
253		रायसेन	सांची	सांची
254		राजगढ़	बिओरा	बिआओरा
255		रतलाम	जावरा	जावरा
256		रीवा	सिरमौर	सिरमौर, लाल गांव, करमई, शाहपुर
257		सागर	खुरई	खुरई
258		सतना	नागोद	नागोद
259		सीहोर	बुदनी	रेहटी, बुदनी, शाहगंज
260		सिवनी	लखनादौन	लखनादौन, आड़ेगांव, धनोरा
261		शाहडोल	जीसिंहनगर	जयसिंहनगर, अमझोर, टेटका
262		शाजापुर	आगर-मालवा	अगर
263		शिवपुरी	करेरा	करेरा
264		सीधी	मझोली	मझौली, ताला, मड़वास, पथरौला
265		बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट
266		टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी
267		उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर
268		विदिशा	विदिशा	अहमदपुर, खामखेड़ा, देवखजूरी
269		खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव
270		अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर
271		अनूपपुर	अनूपपुर	फुंगा, देवहरा, पपरौदी, सकरा, परसवार

49

272		अशोकनगर	अशोकनगर	शाडोरा, कचनार
273		बेतुल	बेतुल	बेतुल
274		भिंड	भिंड	उमरी, नयागांव, मानपुरा, फूप
275		भोपाल	भोपाल	भोपाल
276		बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर
277		छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
278		छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
279		दमोह	दमोह	दमोह
280		दतिया	दतिया	दतिया
281		देवास	देवास	विजयगंज मंडी, बरोठा, सिया, खटाम्बा, क्षिप्रा,
282		धार	धार	तिरला
283		डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी
284		खंडवा	खंडवा	खंडवा
285		गुना	गुना	गुना केअधीन सभी गांव
286		ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव
287		हरदा	हरदा	हरदा
288		इंदौर	इंदौर	इंदौर
289		जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
290		झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ
291		कटनी	कटनी	कटनी
292		मंडला	मंडला	मंडला
293		मन्दसौर	मन्दसौर	दलौदा
294		मुरैना	मुरैना	मुरैना
295		नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
296		नीमच	नीमच	नीमच
297		पन्ना	पन्ना	पन्ना
298		रायसेन	रायसेन	
299		राजगढ़	राजगढ़	राजगढ़
300		रतलाम	रतलाम	रतलाम
301		रीवा	हुजूर	बांसा, अगडाल, बहुरी बांध, सगरा, खौर, पडोखर,
302		सागर	सागर	सागर
303		सतना	सतना	सतना
304		सीहोर	सीहोर	अहमदपुर, दोराहा, श्यामपुर, बिलकिसगंज, नापलाखेड़ी
305		सिवनी	सिवनी	गोपालगंज, बंडोल, भोमा, लखनवाड़ा
306		शाहडोल	सोहागपुर	सिंहपुर, गोहपारू
307		शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
308		श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
309		शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
310		सीधी	सीधी	गोपदबांस
311		टीकमगढ़	टीकमगढ़	जनपदपंचायत टीकमगढ़
312		उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
313		उमरिया	नौरोज़ाबाद	करकेली
314		विदिशा	सिरोंज	सिरोंज पथरिया दीपाखेड़ा मुगलसराय
315		सिंगरौली	वैधान	माडा, बैढ़न, राजमिलान, खुटार
316		खरगोन	मंडलेश्वर	मंडलेश्वर
हरियाणा (2)				
317	**हरियाणा**	कुरुक्षेत्र	लाडवा	लाडवा
318		सिरसा	रनिया	रनिया
गोवा (2)				
319	**गोवा**	पणजी	सत्तारी	सत्तारी
320		गोवा	संगुएम	संगुएम

स्रोत:ग्राम न्यायालय पोर्टल

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3641
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

मद्रास उच्च न्यायालय की अनुशंसा

3641. कु. सुधा आर.:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित और केंद्र सरकार को भेजे गए उम्मीदवारों की नियुक्ति 2014 से अब तक लंबित रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो मद्रास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद प्रत्येक उम्मीदवार की नियुक्ति को रोके रखने के क्या कारण हैं;

(ग) संबंधित उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा मंजूरी दिए जाने और नियुक्ति के लिए भेजे जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 2014 से लंबित रखी गई उम्मीदवारों की नियुक्ति का उच्च न्यायालय-बार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में रिक्तियों कितनी हैं; और

(ङ) केंद्र सरकार के पास न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की लंबित सूचियों का उच्च न्यायालय-वारब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) :उच्चतमन्यायालयकी 28 अक्तूबर, 1998 कीसलाहकारीराय (तृतीयन्यायाधीशमामले) केसाथपठित 6 अक्तूबर, 1993 (द्वितीयन्यायाधीशमामले) केनिर्णयकेअनुसरणमें 1998 मेंतैयारकिएगएप्रक्रियाज्ञापन (एमओपी) मेंउच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकीनियुक्तिभारतकेसंविधानकेअनुच्छेद 217 औरअनुच्छेद 224 केअधीनतथाअधिकथितप्रक्रियाकेअनुसारकीजातीहै

प्रक्रिया ज्ञापनकेअनुसार, उच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकीनियुक्तिकेलिएप्रस्तावोंकोआरंभकरनेकाउत्तरदायित्वसंबद्धउच्चन्यायालयकेमुख्यन्यायमूर्तिमेंनिहितहोताहै। एमओपीकेअनुसार, उच्चन्यायालयोंकोरिक्तिहोनेसेकमसेकम 06 महीनेपूर्व सिफारिशेंकरनाआवश्यकहै। तथापि, उच्चन्यायालयोंद्वाराइससमय-सीमाकाशायदहीपालनकियाजाताहै। उच्चन्यायालयोंमेंनियुक्तियोंकेलिए, संबंधितराज्यसरकारोंकेविचारप्रक्रिया ज्ञापनकेअनुसारप्राप्तकिएजातेहैं। विचाराधीननामोंकेसंबंधमेंसरकारकोउपलब्धअन्यरिपोर्टोंकेआलोकमेंभीसिफारिशोंपरविचारकियाजा

नाचाहिए । उच्चन्यायालयकॉलिजियम, राज्यसरकारोंऔरभारतसरकारकीसिफारिशकोतबसलाहकेलिएउच्चतमन्यायालयकॉलेजियम (एससीसी) कोअग्रेषितकियाजाताहै। केवलउन्हींव्यक्तियोंकोउच्चन्यायालयोंकेन्यायाधीशकेरूपमेंनियुक्तकियाजाताहैजिनकेनामोंकीसिफारिशराज्यस्तरीयसमितिद्वाराकीगईहै। उच्चतरन्यायपालिकामेंन्यायाधीशोंकीनियुक्तिकार्यपालिकाऔरन्यायपालिकाकेबीचएकसतत, एकीकृतऔरसहयोगात्मकप्रक्रियाहै। इसकेलिएराज्यऔरकेन्द्रदोनोंस्तरोंपरविभिन्नसंवैधानिकप्राधिकरणोंसेपरामर्शऔरअनुमोदनअपेक्षितहै। अतःउच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकीरिक्तियोंकोभरनेकेलिएअपेक्षितसमयनहींबतायाजासकताहै।

17.03.2025 तक, मद्रासउच्चन्यायालयमें 75 न्यायाधीशों कीस्वीकृतपदसंख्याकेमुकाबले 65 न्यायाधीशकार्यरतहैं। मद्रासउच्चन्यायालयकेन्यायाधीशोंकेरूपमेंनियुक्तिकेलिए 03 प्रस्तावप्रक्रियाधीनहैं।

17.03.2025 तक, उच्चन्यायालयोंमें 1122 न्यायाधीशोंकीस्वीकृतपदसंख्याकेमुकाबले 766 न्यायाधीशकार्यरतहैं। उच्चन्यायालयकोलेजियमसे 188 रिक्तियोंकेलिएसिफारिशेंअभीप्राप्तहोनीहैं। उच्चन्यायालय-वाररिक्तियोंकीस्थितिउपाबंध परदीगईहै।

****

उपाबंध

17.03.2025 कोयथास्थिति

उच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकीस्वीकृत पदसंख्या, कार्यरतपद संख्याऔररिक्तियां:

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
1	इलाहाबाद	160	79	81
2	आंध्रप्रदेश	37	30	7
3	बम्बई	94	66	28
4	कलकत्ता	72	46	26
5	छत्तीसगढ़	22	16	6
6	दिल्ली	60	39	21
7	गुवाहाटी	30	25	5
8	गुजरात	52	32	20
9	हिमाचलप्रदेश	17	12	5
10	जम्मू-कश्मीरऔरलद्दाख	25	15	10
11	झारखंड	25	16	9
12	कर्नाटक	62	50	12
13	केरल	47	44	3
14	मध्यप्रदेश	53	34	19
15	मद्रास	75	65	10
16	मणिपुर	5	4	1
17	मेघालय	4	4	0
18	उड़ीसा	33	18	15
19	पटना	53	37	16
20	पंजाबऔरहरियाणा	85	53	32
21	राजस्थान	50	34	16
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	30	12
24	त्रिपुरा	5	5	0
25	उत्तराखंड	11	9	2
	कुल	**1122**	**766**	**356**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3650
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

टेली-लॉ योजना

3650. श्री देवेश शाक्य :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेली-लॉ योजना के अंतर्गत फरवरी, 2025 तक बिहार और उत्तर प्रदेश में कानूनी सहायता प्राप्त करने वालेव्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पैनल वकीलों और ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (बीएलई)को राज्यवार, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रशिक्षण प्रदान किया है; और

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज, मैनपुरी, औरैया और कन्नौज जिलों के निवासियों को इस योजना से लाभ हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): टेली-लॉ कार्यक्रम दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना) स्कीम का एक प्रमुख घटक है, जिसके माध्यम से हिताधिकारियों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से पैनल वकीलों से जोड़कर मुकदमे से पूर्व सलाह प्रदान की जाती है। फरवरी, 2025 तक बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में सेवा प्राप्त करने वाले हिताधिकारियों का विवरण इस प्रकार है: -

	उत्तर प्रदेश			**बिहार**			**कुल**
वित्तीय वर्ष	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	
2021-2022	92764	48781	141545	34537	30978	65515	**207060**
2022-2023	181121	164898	346019	62186	47161	109347	**455366**
2023-2024	453441	308449	761890	104852	116080	220932	**982822**
2024-2025	300673	294499	595172	59769	111771	171540	**766712**

(ख): टेली-लॉ कार्यक्रम से जुड़े पैनल वकीलों और ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सहित पूरे देश में उनके उन्मुखीकरण के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। जबकि पैनल वकीलों के लिए प्रशिक्षण मुख्य रूप से नागरिकों को दिए जाने वाले विधिक परामर्श और सलाहकारी सेवाओं की प्रकृति पर केंद्रित है, वहीं ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को टेली-लॉ डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन, टोल-फ्री नंबर के उपयोग और नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण का ब्यौरा **उपाबंध 'क' में दिया गया है** ।

(ग): लाभान्वित हुए **उत्तर प्रदेश के एटा**, **कासगंज**, **मैनपुरी**, **औरैया और कन्नौज जिलों** के निवासियों का ब्यौरा **निम्नानुसार है: -**

जिला	2022-2023		2023-2024		2024-2025	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
एटा	2359	1054	1233	1039	4449	1843
कासगंज	422	172	1222	1366	2783	2377
मैनपुरी	353	506	329	878	931	515
औरैया	231	1047	743	932	926	717
कन्नौज	335	121	1000	377	2568	843

****

उपाबंध-क

टेली-लॉ स्कीम के संबंध में, लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3650 जिसका उत्तर तारीख 21.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान पैनल वकीलों और वीएलई के लिए प्रशिक्षण सत्रों की संख्या(फरवरी 2025 तक)				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**पैनल वकील**	**वीएलई**	**कुल**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप*	0	2	2
2	आंध्र प्रदेश	8	11	19
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	9	14	23
5	**बिहार**	**9**	**83**	**92**
6	चंडीगढ़*	0	2	2
7	छत्तीसगढ़	8	72	80
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव*	0	0	0
9	दिल्ली	5	0	0
10	गुजरात	8	4	12
11	गोवा	1	5	6

12	हरियाणा	8	74	82
13	हिमाचल प्रदेश	8	55	63
14	जम्मू-कश्मीर	9	40	49
15	झारखंड	8	34	42
16	कर्नाटक	8	8	16
17	केरल	6	36	42
18	लद्दाख	1	1	2
19	लक्षद्वीप*	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	9	70	79
21	महाराष्ट्र	8	52	60
22	मणिपुर*	0	0	0
23	मेघालय	6	10	16
24	मिजोरम	6	33	39
25	नगालैंड	6	21	27
26	ओडिशा	8	37	45
27	पुदुचेरी	1	3	4
28	पंजाब	10	64	74
29	राजस्थान	12	14	26
30	सिक्किम*	0	0	0
31	तमिलनाडु	9	48	57
32	तेलंगाना	9	68	77
33	त्रिपुरा	6	5	11
34	**उत्तर प्रदेश**	**8**	**82**	**90**
35	उत्तराखंड	7	7	14
36	पश्चिमी बंगाल	9	68	77
	कुल	**210**	**1023**	**1228**

टिप्पणी: -
*अंदमान और निकोबार द्वीप के वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को पश्चिमी बंगाल प्रशिक्षण सत्रों के साथ मिला दिया गया है।
*अरुणाचल प्रदेश के वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को असम प्रशिक्षण सत्रों के साथ मिला दिया गया है
*चंडीगढ़ के वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को पंजाब प्रशिक्षण सत्रों के साथ मिला दिया गया है
*दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव के वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को महाराष्ट्र प्रशिक्षण सत्र के साथ मिला दिया गया है
*सिक्किम वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को असम प्रशिक्षण के साथ मिला दिया गया है
*लक्षद्वीप के वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को केरल प्रशिक्षण के साथ मिला दिया गया है

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3671
जिसका उत्तर शुक्रवार,21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

झूठे साक्ष्यों के मामले

3671. श्री अतुल गर्ग :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों में आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार कितने आपराधिक मामले लंबित हैं;

(ख) न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 215 (1) के अंतर्गत झूठे साक्ष्य के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है;

(ग) क्या पीड़ित व्यक्ति भी उन व्यक्तियों के विरुद्ध मामला/शिकायत दर्ज करा सकता है, जिन्होंने न्यायालय में झूठा वक्तव्य दिया है अथवा झूठी गवाही दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार न्यायालय में झूठे वक्तव्य अथवा झूठी गवाही देने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कोई कानून लाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 17.03.2025 तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम.सं.	न्यायालय का नाम	आपराधिक मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	17,647
2.	उच्च न्यायालय	18,34,509
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	3,46,20,014

जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - वार विस्तृत विवरण क्रमशः **उपाबंध-1**और **उपाबंध-2** में है।

(ख): विभाग, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के अधीन न्यायालयों द्वारा दर्ज मामलों की संख्या या दंडित व्यक्तियों की संख्या का अभिलेखनहीं रखता है।

(ग) से (घ): भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 229 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड काउपबंध करती है। इसके विवरण और अन्य संबंधित उपबंधों को वेबसाइट: https://www.indiacode.nic.in/ पर देखा जा सकता है। और, मिथ्या बयानों/गवाही से निपटने के लिए विधिक उपबंध मौजूद हैं।

******

58

उपाबंध-1

'झूठी गवाही के मामले' से संबंधित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं.3671जिसका उत्तर 21.03.2025को दिया जाना हैके भाग (क), के उत्तर में निर्दिष्टविवरण

17.03.2025 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आपराधिक मामले
1	आंध्र प्रदेश	4,56,899
2	तेलंगाना	5,99,605
3	अंडमान और निकोबार	4,199
4	अरुणाचल प्रदेश	8,020
5	असम	4,02,337
6	बिहार	30,74,492
7	चंडीगढ़	78,974
8	छत्तीसगढ़	3,34,765
9	दिल्ली	13,01,253
10	दीव और दमन	1,850
11	सिलवासा में डीएनएच	2,567
12	गोवा	32,902
13	गुजरात	11,51,412
14	हरियाणा	10,20,681
15	हिमाचल प्रदेश	4,51,921
16	जम्मू-कश्मीर	2,14,451
17	झारखण्ड	4,52,935
18	कर्नाटक	10,90,624
19	केरल	11,92,476
20	लद्दाख	773
21	मध्य प्रदेश	15,96,896
22	महाराष्ट्र	38,75,637
23	मणिपुर	4,149
24	मेघालय	10,708
25	मिजोरम	3,158
26	नागालैंड	2,546
27	उड़ीसा	13,84,778
28	पुडुचेरी	22,310
29	पंजाब	4,80,629
30	राजस्थान	18,07,848
31	सिक्किम	964
32	तमिलनाडु	7,72,073
33	त्रिपुरा	30,459
34	संघ राज्यक्षेत्रलक्षद्वीप	386
35	उत्तर प्रदेश	97,08,589
36	उत्तराखंड	2,88,464
37	पश्चिमी बंगाल	27,57,284
कुल		3,46,20,014

उपाबंध-2

'झूठी गवाही के मामले' से संबंधित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं.3671जिसका उत्तर 21.03.2025को दिया जाना है के भाग (क), के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

17.03.2025 तक उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामले

क्रम.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	आपराधिक मामले
1	इलाहाबाद	5,52,716
2	बॉम्बे	1,14,296
3	कलकत्ता	26,930
4	गुवाहाटी	16,184
5	तेलंगाना	31,908
6	आंध्र प्रदेश	38,769
7	छत्तीसगढ़	28,086
8	दिल्ली	37,801
9	गुजरात	55,959
10	हिमाचल प्रदेश	12,433
11	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	8,635
12	झारखंड	40,834
13	कर्नाटक	54,068
14	केरल	51,489
15	मध्य प्रदेश	1,92,982
16	मणिपुर	686
17	मेघालय	272
18	पंजाब और हरियाणा	1,65,247
19	राजस्थान	1,81,876
20	सिक्किम	67
21	त्रिपुरा	171
22	उत्तराखंड	25,035
23	मद्रास	59,817
24	उड़ीसा	38,892
25	पटना	99,356
कुल		18,34,509

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *411

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में कमजोर समुदायों के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व

***411. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः**
श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में राज्यवार कुल कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं ;

(ख) वर्ष 2014 से देश के उक्त न्यायालयों में श्रेणीवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 2018 से 19 दिसंबर, 2022 तक उच्च न्यायालयों में कुल 537 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जिनमें से 1.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 2.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 11 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और 2.6प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त न्यायालयों में उक्त समुदायों के न्यायाधीशों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त न्यायालयों में उक्त समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) देश की अदालतों में रिक्त न्यायिक पदों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

:(च) से (क)एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

उपाबंध-1 **2014 से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति।**	

न्यायालयों में कमजोर समुदायों के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *411 जिसका उत्तर तारीख 28.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। (च) से

:(च) से (क) वर्ष से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के 2014संबंध में विवरण **उपाबंध-1**पर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कार्यरत संख्या और रिक्तियों के ,संबंध में विवरण **उपाबंध-2**पर दिया गया है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 224 और 217के अधीन की जाती हैजो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के ,आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं। इसलिए बीच किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणीवार डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है। 2018से, उच्चन्यायालयकेन्यायाधीशोंकेपदकेलिएसिफारिशकरनेवालोंकोविहित रूपविधान (उच्चतम न्यायालयकेपरामर्शसेतैयार) मेंअपनीसामाजिकपृष्ठभूमिकेबारेमेंविवरणप्रदानकरनाआवश्यकहै।इसलिए, 2018 सेउसविस्तारतकनियुक्तियोंकाडेटाउपलब्धहै।सिफारिशकरनेवालोंद्वारादीगईजानकारीकेअनुसार, 2018 से 31.12.2022 तकनियुक्त 540 न्यायाधीशोंमेंसे 15 एससीवर्ग, 7 एसटी वर्ग, 57 ओबीसी वर्ग और 57 अल्पसंख्यक वर्गकेहैं ।

प्रक्रिया ज्ञापन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ,के अनुसार (एमओपी) प्रस्तावप्रारंभ करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की हैजबकि उच्च न्यायालयों में , न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावप्रारंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की है। हालांकि सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए ,प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियोंअल्पसंख्यकों और ,अन्य पिछड़ा वर्गों ,अनुसूचित जनजातियों , महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर उचित विचारकिया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित हो सके। केवल वे व्यक्ति जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की जाती हैउन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के , न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।

****

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
क.	उच्चतम न्यायालय	09	01	03	06	08	10	-	09	03	14	04	02
ख.	उच्च न्यायालय												
1	इलाहाबाद	13	7	20	31	28	10	4	17	13	9	0	1
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	2	7	2	14	6	3	2
3	बम्बई	14	0	6	14	4	11	4	6	19	9	5	1
4	कलकत्ता	1	8	1	6	11	6	1	8	16	0	0	4
5	छत्तीसगढ़	2	0	3	3	4	0	0	3	3	2	3	0
6	दिल्ली	4	0	5	4	5	4	0	2	17	5	0	5
7	गुवाहाटी	0	5	5	2	2	4	0	6	2	5	0	1
8	गुजरात	1	0	5	0	4	3	7	7	0	8	4	0
9	हिमाचल प्रदेश	3	0	4	0	0	2	0	1	2	3	0	0
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	0	0	0	3	2	0	5	2	4	0	1	0
11	झारखंड	3	1	4	2	3	2	0	4	1	0	1	0
12	कर्नाटक	5	0	5	2	12	10	10	6	6	5	0	1
13	केरल	6	7	5	3	4	1	6	12	1	3	12	0
14	मध्य प्रदेश	7	0	18	0	8	2	0	8	6	14	0	1
15	मद्रास	0	0	25	12	8	1	10	5	4	13	3	0
16	मणिपुर	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
18	उड़ीसा	3	3	0	0	1	1	2	4	6	2	0	0
19	पटना	4	2	6	6	0	4	0	6	11	2	2	3
20	पंजाब और हरियाणा	14	1	1	8	7	10	1	6	21	4	0	2
21	राजस्थान	1	0	11	5	0	3	6	8	2	9	0	4
22	सिक्किम	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तेलंगाना	0	0	1	10	0	3	1	7	17	3	0	4
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0
25	उत्तराखंड	0	0	0	3	3	1	0	0	0	3	0	2
	कुल (उच्च न्यायालय)	**82**	**35**	**126**	**115**	**108**	**81**	**66**	**120**	**165**	**110**	**34**	**31**

63

उपाबंध-2

उच्चतमन्यायालयऔरउच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकीस्वीकृतसंख्याऔरकार्यरतसंख्याकोदर्शानेवालाविवरण (24.03.2025 तक)

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्ति
क.	उच्चतम न्यायालय	34	33	01
ख.	उच्च न्यायालय			
1	इलाहाबाद	160	79	81
2	आंध्र प्रदेश	37	30	7
3	बम्बई	94	66	28
4	कलकत्ता	72	46	26
5	छत्तीसगढ़	22	16	6
6	दिल्ली	60	39	21
7	गुवाहाटी	30	25	5
8	गुजरात	52	32	20
9	हिमाचल प्रदेश	17	12	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	25	15	10
11	झारखंड	25	15	10
12	कर्नाटक	62	50	12
13	केरल	47	44	3
14	मध्य प्रदेश	53	34	19
15	मद्रास	75	65	10
16	मणिपुर	5	4	1
17	मेघालय	4	4	0
18	उड़ीसा	33	18	15
19	पटना	53	37	16
20	पंजाब और हरियाणा	85	53	32
21	राजस्थान	50	34	16
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	30	12
24	त्रिपुरा	5	5	0
25	उत्तराखंड	11	9	2
	कुल	**1122**	**765**	**357**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4669
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान

4669.डॉ. संबित पात्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों की गणना के लिए कोई तंत्र विकसित किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली की सफलता के आकलन के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;और

(घ) क्या न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालयों में आकलन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ई-न्यायालय परियोजना के अधीन विकसित राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो सभी स्तरों के न्यायालयों अर्थात् भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों में वास्तविक समय के आधार पर सभी मामलों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। पोर्टल की 'लंबित डैशबोर्ड' सुविधा सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामलों के लिए लंबित मामलों की जानकारी होस्ट करती है, जिसमें मामलों की आयु, चरण और प्रकार के आधार पर ड्रिल-डाउन विश्लेषण करने की योग्यता होती है।

(ख) :लंबित न्यायालय मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों को कम करने के प्रति अटूट रुप से प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. न्याय वितरण और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके दोहरे उद्देश्य थे - प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुँच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना तथा प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध

परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधि जारी की जा रही है, जिससे मुवक्किलों सहित विभिन्न पणधारियों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ से लेकर 28.02.2025 तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 को 22,062 हो गई है तथा आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 को 19,775 हो गई है।

iii. इसकेअतिरिक्त, ई-न्यायालयमिशनमोडपरियोजनाकेचरण-1औरचरण-2केअधीन, जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंकीआईटीसक्षमताकेलिएसूचनाऔरसंचारप्रौद्योगिकी (आईसीटी) कालाभउठायागयाहै। 2023 तक 18,735 जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंकोकंप्यूटरीकृतकियागया। 99.5% न्यायालयपरिसरोंकोडब्ल्यूएएनकनेक्टिविटीप्रदानकीगईहै। 3,240 न्यायालयपरिसरोंऔर 1,272 तत्स्थानीजेलोंकेबीचवीडियोकॉन्फ्रेंसिंगकीसुविधासक्षमकीगईहै।तारीख31.01.2025 तकजिलान्यायालयोंमें 1572 ई-सेवाकेंद्रोंऔरउच्चन्यायालयोंमें 39 ई-सेवाकेंद्रोंकोवकीलोंऔरमुवक्किलोंकोनागरिककेंद्रितसेवाएंप्रदानकरकेडिजिटलडिवाइडकोपाटनेकेलिएकार्यात्मकबनायागयाहै। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासीन्यायालयस्थापितकिए गए हैं। तारीख 31.01.2025 तक इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ मामलों की सुनवाई की और 714.99 करोड़ रूपए से अधिक जुर्माने के रूप में वसूल किए । कैबिनेटने तारीख 13.09.2023 को 7,210 करोड़रुपयेकेपरिव्ययपरई-न्यायालयपरियोजनाकेतीसरेचरणकोमंजूरीदेदीहै।चरण-1 औरचरण-2केलाभोंकोअगलेस्तरपरलेजातेहुए, ई-न्यायालयचरण-3काउद्देश्यडिजिटल, ऑनलाइनऔरकागजरहितन्यायालयोंकीओरबढ़तेहुएन्यायकीसुगमताकीव्यवस्थाको आरंभ करनाहै।इसकाउद्देश्यन्यायवितरणकोसभीपणधारियोंकेलिएउत्तरोत्तरअधिकमजबूत, आसानऔरसुलभबनानेकेलिएआर्टिफिशियलइंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेनआदिजैसीनवीनतमतकनीककोशामिलकरनाहै।

iv.सरकार,भारतकेउच्चतमन्यायालयऔरउच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकेरिक्तपदोंकोनियमितरूप सेभरतीरहीहै। 01.05.2014 से 20.03.2025 तकउच्चतमन्यायालयमें 67 न्यायाधीशोंकीनियुक्तिकीगई।इसीअवधिकेदौरानउच्चन्यायालयोंमें 1030 नएन्यायाधीशोंकीनियुक्तिकीगईऔर 791 अपरन्यायाधीशोंकोस्थायीकियागया।उच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकीस्वीकृतपद संख्यामई, 2014 में 906 सेबढ़करअबतक 1122 होगईहै।जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंमेंन्यायिकअधिकारियोंकीस्वीकृतऔरकार्यरतपद संख्यामेंनिम्नानुसारवृद्धिहुईहै:

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत :न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 31.01.2025 तक देश भर में 860 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को त्वरित निपटान करने के लिए नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। तारीख 31.01.2025 तक देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससीकार्यरत हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को सुचारू करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन-पूर्वमध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यस्थम् अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में संशोधन किए गए हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए आरंभ की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए)

अधिनियम, 1987 केअधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालयकी डिक्री माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायीस्थापननहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्वनिर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	**मुकदमेबाजी-पूर्व मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम आरंभ किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डाटा का प्रतिशत-वार ब्यौरा

वर्ग	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	%-**वार ब्रेक अप**	**दी गई सलाह**	**%-वारब्रेक अप**
लिंग-वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणी-वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
अन्य पिछड़ा वर्ग	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*डाटा तारीख28.02.2025 तक.

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप मेंरजिस्टरकर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रस्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल आरंभ किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 विधि विद्यालयों में प्रो-बोनो क्लब आरंभ किए गए हैं।

(ग) और (घ):न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली की सफलता के संबंध में कोई अध्ययन/मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त,

वर्तमान में, न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालयों में मूल्यांकन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4682
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि

4682. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दैनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए अनेक सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के कार्यान्वयन के बावजूद लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) उच्चतम न्यायालय में मामलों के बढ़ते बोझ के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा देश की विभिन्न अन्य अदालतों में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 24.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है

क्र सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	81,329
2.	राजस्थान उच्च न्यायालय	671113

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मामलों के लंबित रहने का कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है। यह एक बहुआयामी स्थिति है। तथापि, देश की जनसंख्या में वृद्धि, लोगों के बीच पहुँच में आसानी और जागरूकता, प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि के साथ, नए मामलों के दाखिल होने की संख्या साल दर साल लगातार बढ़ रही है, जबकि न्यायाधीशों और न्यायालयों की संख्या वही बनी हुई है। इसलिए, मामलों के लंबित रहने का मुख्य कारण देश में न्यायाधीश/जनसंख्या अनुपात का अपर्याप्त होना और माननीय न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या है। 2020 के आसपास शुरू हुई महामारी ने भी लंबित मामलों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जबकि मामलों का निपटान न्यायपालिका के दायरे में आता है, सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ऐसे वातावरण का सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो मामलों के त्वरित समाधान को सुकर बनाए। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पारितंत्र की व्यवस्था करने के लिए निम्नानुसार अनेक पहलें की हैं

v. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

vi. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप सेप्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघराज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) 28.02.2025 तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

vii. इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों स्थापित की गई हैं। 31.01.2025 तक इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। मत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालयों चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालयों चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम आसूचना (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

viii. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 20.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1030 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 791 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च

न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्न तारीख के अनुसार	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियोंके सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi.चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 31.01.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 860 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों विधानसभा सदस्यों/से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससीकार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयोंमें लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii.वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है। ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंधहै जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंधकरता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के

विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	सलाह सक्षम	% वार ब्रेक अप
लिंग वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
ओबीसी	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%

कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*28.02.2025 तक के आंकड़े।

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4689
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

4689. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्च और निचली न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट नीतियां या आरक्षण हैं और यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसे उपाय शुरू करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए न्यायपालिका अथवा कॉलेजियम प्रणाली के साथ कोई चर्चा की है और यदि हां, तो ऐसी चर्चाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य देशों की तुलना में भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और न्यायिक प्रणाली में लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए भारत क्या सबक अपना सकता है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 तथा 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं।

प्रक्रिया के ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की शुरूआत का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की शुरूआत का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित होता है। तथापि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अनुरोध किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजने के दौरान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक् विचार किया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता को सुनिश्चित किया जा सके। केवल वे व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा सिफारिश किए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

2014 से अब तक, उच्चतम न्यायालय में 06 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा उच्च न्यायालयों में 162 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। 18.03.2025 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में 02 महिला न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों में 110 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 7,852 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं।

जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 तथा 234 के अनुसार राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन आती हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से विरचित नियमों द्वारा शासित होती है।

न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व पर देश भर में तुलनात्मक डाटा केंद्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किया जाता है। न्यायिक नियुक्तियां संविधान के उपबंधों के अनुसार की जाती हैं। ऐसा होने पर भी, सरकार सामाजिक विविधता, जिसके अंतर्गत लिंग प्रतिनिधित्व भी है, के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध रहती है तथा नियुक्ति प्रक्रिया में उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहन देना जारी रखती है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4710
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

लोक अदालत

4710.श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक अदालत का आयोजन करके लंबित मामलों को निपटाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों के लिए लोक अदालत आयोजित करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में ऐसी अदालतों के आयोजन हेतु निर्धारित समयावधि का ब्यौरा क्या है तथा आज तक निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क):लोकअदालतोंकाआयोजनविधिकसेवासंस्थानोंद्वाराऐसेअंतरालोंपरकियाजाताहै, जैसाकिवेउचितसमझतेहैं, ताकिन्यायालयोंमेंलंबितमामलोंकीसंख्याकमकीजासकेऔरविवादोंकोमुकदमेबाजीसेपहलेकेचरणमेंहीनिपटायाजासके।लोकअदालतेंकोईस्थायीसंस्थानहींहैंऔरसंबंधितन्यायालयोंद्वारानिर्दिष्टन्यायालयों के लंबित मामलोंकोसंभालतीहैं।चूँकिलोकअदालतेंस्थायीप्रकृतिकीनहींहोतीहैं, इसलिएसभीअनिर्णितमामलेसंबंधितन्यायालयोंकोवापसकरदिएजातेहैंऔरइसलिएलोकअदालतोंमेंकुछभीलंबितनहींरहताहै।यहउल्लेखकियागयाहैकिकिसीभीप्रकारकीलोकअदालतकेआयोजनसेपहलेकोईविनिर्दिष्टनिपटानलक्ष्यतयनहींकियाजाताहै।

(ख) और (ग):राष्ट्रीयविधिकसेवाप्राधिकरण (नालसा) द्वाराराष्ट्रीयविधिकसेवाप्राधिकरण (लोकअदालत) विनियम, 2009 केद्वाराराज्यविधिकसेवाप्राधिकरणोंकोअधिकाधिकलोकअदालतेंआयोजितकरनेकेलिएदिशा-निर्देश/निदेशजारीकिएगएहैं, ताकिलंबितमामलोंकीसंख्याकमकीजासके।प्रत्येकवर्ष, नालसाराष्ट्रीयलोकअदालतोंकेआयोजनकेलिएकैलेंडरजारीकरताहै।वर्ष 2025 केदौरान, 8 मार्चकोराष्ट्रीयलोकअदालतआयोजितकीगई।इसकेपश्चात् 10 मई, 13 सितंबरऔर 13 दिसंबरकोराष्ट्रीयलोकअदालतेंआयोजितकरनेकाकार्यक्रमहै।राज्यलोकअदालतेंस्थानीयपरिस्थितियोंऔरजरूरतोंकेअनुसारराज्यविधिकसेवाप्राधिकरणोंद्वाराआयोजितकीजातीहैं।लोकअदालतेंसमय-समयपरबड़ीसंख्यामेंमामलोंकासमाधानकरकेन्यायालयोंकेमामला

भारकोकमकरतीहैं।पिछलेदोवर्षोंऔरचालूवर्ष (दिसंबरतक) केदौरानलोकअदालतोंद्वारानिपटाएगएमामलोंकीसंख्याकाब्यौरा निम्नानुसारहै:

(i) <u>राष्ट्रीयलोकअदालत</u>

वर्ष	मुकदमे-पूर्वनिपटाएगए मामले	निपटाएगए लंबितमामले	कुलनिपटाएगएमामले
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119

(ii) <u>राज्यलोकअदालत</u>

वर्ष	मुकदमे-पूर्वनिपटाएगए मामले	निपटाएगए लंबितमामले	कुलनिपटाएगएमामले
2022-23	94,939	7,56,370	8,51,309
2023-24	2,19,230	9,87,873	12,07,103
2024-25	7,68,560	4,39,667	12,08,227

(iii) <u>स्थायीलोकअदालत (सार्वजनिकउपयोगितासेवाएं)</u>

वर्ष	कुलनिपटाएगएमामले
2022-23	1,71,138
2023-24	2,32,763
2024-25	1,61,277

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4725
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायिक सुधार

4725. डॉ. आनन्द कुमार गोंड :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर के न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कोई सुधार शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश, विशेषकर बहराइच में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित मामलों के लिए फास्ट्रैक न्यायालयस्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार न्यायिक दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या हाशिए पर पड़े समुदायों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में देश में कितने लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) : लंबित मामलों को समयबद्ध रीति से निपटाना, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा अधिदेशित मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के प्रति अटूट वचनबद्धता रखती है। इसके लिए, सरकार ने एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कई पहल की हैं जो न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे की सुविधा प्रदान करती है। इनमें से कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

i. **राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन : राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में अभिवृद्धि करके तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को सुनिश्चित करके पहुंच में वृद्धि करने के** दोहरे **उद्देश्यों के साथ अगस्त**, 2011 **में की गई थी। मिशन**, **न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्वयित दृष्टिकोण का अनुसरण करता रहा है**, **जिसमें**, **अन्य बातों के साथ-साथ**, **न्यायालयों के लिए ऐसी बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण**, **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पदसंख्या में वृद्धि**, **अत्यधिक मुकदमेबाजी से ग्रस्त क्षेत्रों में नीति और**

विधायी उपाय और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनर्निमाण **करना तथा मानव संसाधन विकास पर बल देना है।**

ii **न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) :** न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हॉलों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वाटरों, वकीलों के हॉलों, शौचालय परिसरों और वादियों सहित विभिन्न हितधारकों के जीवन को आसान बनाने वाले डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जा रही हैं जिससे न्याय दिलाने में मदद मिलती है। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ से आज की तारीख तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गतन्यायालय हॉलों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 को 22,062 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 को 19,775 हो गई है।

iii **न्यायिक नियुक्तियां:** सरकार नियमित रूप से भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भर रही है। 01.05.2014 से 06.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 66 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1024 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 788 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या मई, 2014 के 906 से बढ़ाकर अब तक 1122 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

तारीख	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है।

iv. **बकाया समितियां:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायामूर्तियों के सम्मेलन में पारित एक संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों की स्थापना की गई है। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियां गठित की गई हैं।

v. **विधायी संशोधन:** न्यायालयों की लंबित मामलों की संख्या को कम करने और उनके बोझ को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।

vi. **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा देना: वैकल्पिक विवाद समाधान** पद्धतियों **को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार**, **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम**, 2015 **को अगस्त**, 2018 **में संशोधित किया गया था**, **जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व**-**संस्थान मध्य**कता **और निपटान** (**पीआईएमएस**) **अनिवार्य हो गया।** माध्यस्थम **और सुलह अधिनियम**, 1996 **में संशोधन** माध्यस्थम **और सुलह** (**संशोधन**) **अधिनियम** 2015 **द्वारा किया गया है ताकि समय**-**सीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाई जा सके।**

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 **के** अधीन, **मामले की प्रबंधन सुनवाई के लिए प्रावधान है जो किसी मामले के कुशल**, **प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन का प्रावधान करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणात्मक समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और** विधि **के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान**, **मामले** की अवधि के दौरान **प्रक्रियात्मक कैलेंडर** बनाने**और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।**

वाणिज्यिक न्यायालयों **के लिए** आरंभ**की गई एक और नई विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जा सकने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।**

(ख) : अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना, जिसके अंतर्गत साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के लिए त्वरित निपटान न्यायालय भी हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है जो अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करती हैं।

14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 के दौरान जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों, टर्मिनल बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना की सिफारिश की थी। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से यह भी आग्रह किया था कि वे इस उद्देश्य के लिए कर अंतरण के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजकोषीय अंतराल का उपयोग करें। संघ सरकार ने राज्य सरकारों से यह भी आग्रह किया है कि वे वित्तीय वर्ष 2015-16 से त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए धन आवंटित करें। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.01.2025 तक देश में 860 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में, 31.01.2025 तक राज्य में 373 त्वरित निपटान न्यायालयकार्यरत हैं।

इसके अलावा, दंडविधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार समयबद्ध तरीके से बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए अक्टूबर, 2019 से विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान न्यायालयविशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है। उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 31.01.2025 तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यरत हैं। इन न्यायालयों नेस्कीम के आरंभ से 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है जबकि 2,03,000 से अधिक मामले लंबित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 31.01.2025 तक बहराइच में 3 कार्यात्मक एफटीएससी के साथ राज्य में 218 कार्यात्मक एफटीएससी हैं।

(ग) : सरकार न्यायिक दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को अपनाने के माध्यम से न्यायिक प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण I और II के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का लाभ उठाया गया था। वर्ष 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सक्षम की गई है। 31.01.2025 तक, जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्रों और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को

पाटने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों की स्थापना की गई है। 31.01.2025 तक, इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और जुर्माने के रूप में 714.99 करोड़ रुपये से अधिक वसूल किए हैं। मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई-न्यायालय चरण- III को मंजूरी दी है। चरण- I और चरण- II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण- III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय की बढ़ी हुई आसानी की व्यवस्था आरंभ करना है। यह सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करने का इरादा रखता है।

(घ) और (ङ) : सीमांत समुदायों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने और न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य निशक्तताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए लोक न्यायालयों का आयोजन किया जाए। इस प्रयोजनार्थ, तालुक स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाएं स्थापित की गई हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए गए क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के अंतर्गत विधिक सहायता और सलाह; विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/सशक्तिकरण शिविर; विधिक सेवा क्लीनिक; विधिक साक्षरता क्लब; लोक न्यायालयों और पीड़ित मुआवजा स्कीम का कार्यान्वयनभी है।
- विगत तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान देश में विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरानिम्नानुसार हैं:-

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2022-23	12,14,769
2023-24	15,50,164
2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	11,79,800
कुल	**39,44,733**

- वर्ष 2021 में "डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया" (दिशा) नामक एक व्यापक, अखिल भारतीय स्कीम 250 करोड़ रुपए के परिव्यय पर पाँच वर्षों (2021- 2026) की अवधि के लिएआरंभ की गई थी। दिशा स्कीम का उद्देश्य टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आसान, सुलभ, सस्ती और नागरिक केंद्रित विधिक सेवाएं प्रदान करना है। दिशा स्कीम के अधीन, टेली-लॉ मोबाइल ऐप "टेली-लॉ" के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ता है और मुकदमा-पूर्व सलाह प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर देता है; न्याय बंधु (प्रोबोनो सेवाएं) पंजीकृत लाभार्थियों को न्यायालयों में निशुल्क विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन, नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और हकदारियों को जानने, समझने और उनका लाभ उठाने के लिए सशक्त किया जाता है। 28 फरवरी 2025 तक, दिशा स्कीम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में लगभग 2.10 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है।

- इसके अतिरिक्त, दूर-विधि सेवाओं ने इसके कुल 1,08,69,661 लाभार्थियों में से महिलाओं (39.4%), सामान्य (24%), अन्य पिछड़े वर्गों (31%), अनुसूचित जातियों (31%) और अनुसूचित जनजातियों (14%) को प्रभावित किया है। इसके अलावा, पहुंच बढ़ाने के लिए, टेली लॉ वेब पोर्टल और टेली-लॉ एप्लिकेशन का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों के माध्यम से इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुकदमा-पूर्व सलाह और न्यायालयों में विधिक प्रतिनिधित्व के लिए टेली-लॉ को न्याय बंधु (प्रोबोनो विधिक सेवाएं) प्लेटफार्म के साथ एकीकृत करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। तत्काल विधिक सलाह और परामर्श के लिए 14454 के माध्यम से नागरिकों के लिए टोल-फ्री नंबर आरंभ किया गया है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4731
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

ई-न्यायालय परियोजना के चरण

4731. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-न्यायालय स्थापित करने की परियोजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) दिल्ली एवं देश के अन्य राज्यों में ई-न्यायालय स्थापित करने की स्थिति क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क)से (ख): ई-न्यायालय परियोजना,राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" पर आधारित, भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए 2007 से कार्यान्वित एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण-1 (2011-2015) का उद्देश्य न्यायालयों को आधारभूत हार्डवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना था, जबकि चरण-2 (2015-2023) में वादियों और वकीलों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें एंड-टू-एंड डिजिटल प्रणाली का विकास सम्मिलित है, जिसने जनता की न्यायपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक पहुंच के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया।

चरण-1 में उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

i. 14,249 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, 13,683 न्यायालयों में लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) की स्थापना,

ii. 13,436 न्यायालयों में हार्डवेयर तथा 13,672 न्यायालयों में सॉफ्टवेयर स्थापित किए गए।

iii. 14,309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए तथा सभी उच्च न्यायालयों में परिवर्तन प्रबंधन अभ्यास पूरा किया गया।

iv. 14,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को यूबीयूनटीयूलिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया।

v. 3900 से अधिक न्यायालय कर्मचारियों को सिस्टम प्रशासक के रूप में केस सूचना प्रणाली (सीआईएस) में प्रशिक्षित किया गया।

vi. 493 न्यायालय परिसरों तथा 347 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा चालू की गई।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-2 के अधीन सरकार की ओर से कई ई-पहलों ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में मदद की है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन देश भर के कुल न्यायालय परिसरों में से 99.5% परिसरों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई। ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना का उद्देश्य मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस), ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ), वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी), सबमरीन केबल इत्यादि जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, देश भर में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ना है। यह ई-न्यायालय परियोजना की रीढ़ है, जो देश भर के न्यायालयों में डेटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादी, मामले की जानकारी और 29.94 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (आज की तारीख तक) तक पहुँच सकते हैं।

iii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, मेघालय और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों में न्यायालयों की कार्यवाहियोंका सीधा प्रसारण आरंभ हो गया है।

iv. आज तक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 2,57,14,770 मामलों की सुनवाई की है, जबकि उच्च न्यायालयों ने 92,31,640 मामलों (कुल 3.49 करोड़) की सुनवाई की है। भारत के उच्चतमं न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9,94,054 सुनवाइयां (मार्च 2020 से फरवरी 2025 तक) की हैं।

v. वकीलों के लिए 24X7 किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने और अपलोड करने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ ई-फाइलिंग सिस्टम (संस्करण 3.0) आरंभ किया गया था।

vi. शुल्क, आदि के परेशानी मुक्त हस्तांतरण के लिए ई-भुगतान प्रणाली शुरू की गई थी।

vii. प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया की सेवा और समन जारी करने के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई थी।

viii. जजमेंट सर्च पोर्टल की शुरुआत बेंच, केस टाइप, केस नंबर, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ की गई है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क में दी जा रही है।

ix. नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक आसान और परेशानी मुक्त पहुंच की सुविधा के लिए, पूरे भारत में 1610 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए हैं।

x. यातायात संबंधी अपराधों की सुनवाई के लिए 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 वर्चुअल कोर्ट काम कर रहे हैं। इन वर्चुअल कोर्ट द्वारा 6.66 करोड़ से अधिक मामलों पर विचार किया गया और 68 लाख से अधिक मामलों में 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है।

xi. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय सेवाओं के भागरूप में, एसएमएस पुश एंड पुल, ईमेल, बहुभाषी ई-न्यायालय सेवा पोर्टल, जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र), सूचना कियोस्क, वकीलों/वादियों के लिए ई-न्यायालय मोबाइल ऐप (आज तक 2.87 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (आज तक 21,105 डाउनलोड) के माध्यम से वकीलों/वादियों को केस की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं।

xii. अधिक निष्पक्षता, स्थिरता, पारदर्शिता और गति लाने के लिए, देश भर के जिला और तालुका न्यायालयों में केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस) संस्करण 4.0 सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।

ई-न्यायालय चरण 3 (2023-2027) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2023 में ₹7,210 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है, जो चरण 2 के लिए वित्तपोषण से चार गुना अधिक है। परियोजना में विभिन्न नई डिजिटल पहलों की परिकल्पना की गई है, जैसे डिजिटल और कागजरहित न्यायालयों की स्थापना, जिसका उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाहियों को डिजिटल प्रारूप में लाना, न्यायालय के अभिलेखों का डिजिटलीकरण (विरासत रिकॉर्ड और लंबित मामले दोनों), न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार, यातायात उल्लंघन के न्यायनिर्णयन से परे ऑनलाइन न्यायालयों का विस्तार, सभी न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्रों की परिपूर्णता, डिजिटाइज्ड न्यायालयों अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और उनका समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा भंडार, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, सीधा प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि, लंबित मामलों के विश्लेषण, भावी मुकदमों का पूर्वानुमान लगाने आदि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) जैसे इसके उपसमूहों का उपयोग। इस प्रकार, सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने के प्रयासों ने देश के सभी नागरिकों के लिए न्यायालय के अनुभव को सुविधाजनक, सस्ता और परेशानी मुक्त बनाकर न्याय प्राप्त करना आसान बना दिया है। आज तक, **उपाबंध-1** में दिए गए विवरण के अनुसार, 18,735 न्यायालयों को डिजिटल अवसंरचना प्रदान की गई है।

****

उपाबंध-1

ई-न्यायालय परियोजना के चरणों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4731, जिसका उत्तर 28/03/2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	**उच्च न्यायालय**	**राज्य**	**न्यायालय परिसर**	**न्यायालय**
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बम्बई	दादरा और नागर हवेली	1	3
		दमण और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखण्ड	झारखण्ड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल लक्षद्वीप	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुडुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	उड़ीसा	उड़ीसा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	कुल		**3452**	**18735**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4738
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में न्याय विकास परियोजनाएं

4738. श्री जी. लक्ष्मीनारायण :

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में न्याय विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्याहै;

(ग) चल रही, विलंबित या पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं सहित इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है;

(घ) क्या उक्त राज्य में न्याय विकास योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव लंबित हैं और यदि हां, तो उनके अनुमोदन या कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने तथा चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : भारत सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की भौतिक अवसंरचना में उत्तरोत्तर सुधार करने के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए वकील हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय इकाइयों का संनिर्माण भी समाविष्ट है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे चल रही और पूरी हो चुकी परियोजना को वास्तविक समय में जियो-टैग करें और इसे न्याय विकास पोर्टल पर प्रदर्शित करें, जो न्यायिक अवसंरचना परियोजना की प्रगति और समयबद्ध समापन पर डाटा एकत्र

88

करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) की तकनीकी सहायता से विकसित ऑनलाइन मानीटरी प्रणाली है। आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, सीएसएस के अधीन अनुमोदित और न्याय विकास पोर्टल पर जियो-टैग की गई परियोजना के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर है।

1993-94 में स्कीम के आरंभ से अब तक आंध्र प्रदेश राज्य को 273.23 करोड़ रुपये की रकम जारी की जा चुकी है, जिसमें से पिछले पांच वर्ष के दौरान 151.12 करोड़ रुपये (जिसके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य के हिस्से भी है) जारी किए गए हैं। पिछले पांच वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार है -

(रकम करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई
1.	2020-21	10.28 (सीएस) + 9.12 (एसएस)	19.40	19.40
2.	2021-22	0.00 (सीएस) + 12.98 (एसएस)	12.98	12.98
3.	2022-23	22.50 (सीएस) + 27.17 (एसएस)	49.67	48.85
4.	2023-24	49.81 (सीएस) + 17.61 (एसएस)	67.42	65.31
5.	2024-25 (तारीख...)*	0.99 (सीएस) + 0.66 (एसएस)	1.65	1.65
कुल		**151.12**	**151.12**	**151.12**

* एसएनए-स्पर्श सीएस के अधीन जारी:
सीएस:केंद्रीय हिस्सा, एसएस: राज्य हिस्सा

आज की तारीख में, राज्य में 661 न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं। 81 न्यायालय हॉल और 14 आवासीय इकाइयां संनिर्माणाधीन हैं। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है और भारत सरकार, इस संबंध में राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करती है। परियोजना को समय पर पूरा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों की है। स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समयबद्ध और सतत अवसंरचना विकास के लिए मानीटरी तंत्र विद्यमान हैं। स्कीम के अधीन चल रही परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में राज्य में उच्च न्यायालय स्तरीय मानीतरी समिति है। इसके अतिरिक्त, परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए न्याय विभाग में केंद्रीय स्तरीय मानीटरी समिति है। इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा वास्तविक सूचना प्राप्त करने के लिए राज्यों के नियमित दौरे किए जाते हैं। परियोजनाओं की वास्तविक समय मॉनीटरी के लिए न्याय विकास पोर्टल पर उपलब्ध जियो-टैगिंग सुविधाओं के अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बैठकें भी होती हैं। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रशासनिक मंजूरी के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के समक्ष लंबित परियोजनाओं के ब्यौरे **उपाबंध-2** पर है।

****

उपाबंध -1

28.03.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.4738 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

न्याय विकास पोर्टल पर उपलब्ध आंध्र प्रदेश जियोटैग परियोजना के ब्यौरे					
क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**जिला**	**प्रास्थिति**	**न्यायालय हॉल की सं.**	**आवासीय इकाइयों की सं.**
1	धर्मावरम में नव स्थापित ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय के लिए भवन जी 2 का संनिर्माण	अनंतपुर	सीएमपी	1	1
2	हिंदूपुर में विद्यमान ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन पर अपर जिला न्यायालय भवन का संनिर्माण	अनंतपुर	सीएमपी	1	0
3	हिंदूपुर में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश और कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	अनंतपुर	सीएमपी	0	0
4	चित्तूर जिले के पालमनेर में चार न्यायालय भवन परिसर और आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	चित्तूर	यूसी	4	4
5	चित्तूर जिले के पकाला में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए न्यायालय भवन का संनिर्माण	चित्तूर	सीएमपी	1	0
6	चित्तूर जिले के थंबल्लापल्ले में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	चित्तूर	सीएमपी	0	1
7	चित्तूर जिले के मदनपल्ली में विद्यमान द्वितीय अपर न्यायाधीश न्यायालय भवन पर प्रथम तल का संनिर्माण	चित्तूर	सीएमपी	1	0
8	चित्तूर जिले के पुंगनूर में न्यायिक अधिकारियों के लिए चार आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	चित्तूर	यूसी	0	4
9	चित्तूर में 15 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	चित्तूर	यूसी	15	1
10	पुंगनूर में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण	चित्तूर	सीएमपी	1	0
11	श्रीकालहस्ती में 2 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	चित्तूर	सीएमपी	2	0
12	मैडुकुर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के लिए 2 न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	कुडुप्पा	सीएमपी	2	0
13	रायचोटी में अपर कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय परिसर भवन का संनिर्माण	कुडुप्पा	सीएमपी	1	0

14	रेलवे कोडुर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण	कुडुप्पा	सीएमपी	1	0
15	सिद्धौत में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण	कुडुप्पा	यूसी	1	0
16	प्रोड्डातुर पार्ट बी दूसरी मंजिल पर 4 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कुडुप्पा	सीएमपी	1	0
17	ईजी जिले में तुनी में अपर कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए विद्यमान पीजेसीजे क्वार्टर पर प्रथम तल का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	0	1
18	जिला न्यायालय राजामहेंद्रवरम में विद्यमान कुटुंब न्यायालय भवन पर प्रथम तल का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	2	0
19	पूर्वी गोदावरी जिले में राजमहेंद्रवरम में दस न्यायालय भवन का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	यूसी	10	0
20	पूर्वी गोदावरी जिले के रामचंद्रपुरम में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	यूसी	0	1
21	पूर्वी गोदावरी जिले के प्रतिपाडु में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	0	1
22	प्रतिपाडु में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश भवन का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	1	0
23	काकीनाडा में तृतीय अपर जिला न्यायालय भवन का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	2	0
24	अपर ज्येष्ठ न्यायाधीश न्यायालय को समायोजित करने के लिए काकीनाडा में विद्यमान आबकारी न्यायालय के ऊपर 3 तलों का संनिर्माण ।	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	2	0
25	अमलापुरम में विद्यमान 4 न्यायालय भवन परिसर पर तीसरा तल का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	2	0
26	मुम्मिदिवरम में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	1	0
27	अमलापुरम में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	0	0
28	पीतापुरम में नव स्थापित अपर जिला और सत्र न्यायालय को समायोजित करने के लिए भवन का संनिर्माण	पूर्व गोदावरी	सीएमपी	2	0

29	नरसरावपेट में 13 अपर जिला न्यायाधीश और प्रधान सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	गंटूर	सीएमपी	0	0
30	ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश मंगलगिरि के लिए विद्यमान क्वार्टर मंगलगिरी पर पहला तल का संनिर्माण	गंटूर	सीएमपी	0	0
31	मछलीपट्टनम में जिला न्यायालय में त्वरित निपटान न्यायालय भवन पर पहला तल का संनिर्माण	कृष्णा	सीएमपी	1	0
32	अवनीगड्डा में दो न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कृष्णा	सीएमपी	2	0
33	कैकलूर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए न्यायालय भवन का संनिर्माण	कृष्णा	सीएमपी	1	0
34	कैकलूर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश को आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	कृष्णा	सीएमपी	0	1
35	गुडीवाड़ा में 11अपर जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	कृष्णा	यूसी	0	0
36	विजयवाड़ा में पुराने उप न्यायालय भवन को गिराने के पश्चात बहुमंजिला न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कृष्णा	यूसी	26	1
37	नंदीगामा में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश और अपर कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए 2 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कृष्णा	यूसी	2	0
38	कुरनूल जिले के अदोनी में नए छह न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कुरनूल	यूसी	6	0
39	कुरनूल जिले के धोन में चार न्यायालय भवन (स्टिल्ट 3 मंजिल) का संनिर्माण	कुरनूल	यूसी	4	0
40	कुरनूल में 4 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कुरनूल	सीएमपी	4	1
41	नंदयाल में 8 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	कुरनूल	सीएमपी	8	0
42	नेल्लोर में प्रधान जिला परिसर में 6 न्यायालय भवनों का संनिर्माण	नेल्लोर	सीएमपी	6	0
43	गुदुर में विद्यमान दो न्यायालय भवन परिसर में पहला तल का संनिर्माण	नेल्लोर	यूसी	2	0

44	नायडूपेट में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय को आवास प्रदान करने के लिए भवन का संनिर्माण	नेल्लोर	सीएमपी	1	2
45	प्रकाशम जिले के गिद्दलूर में अपर कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	0	1
46	मरकापुर में अपर जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर और संयुक्त दीवार का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	0	1
47	मरकापुर न्यायालय परिसर में उपलब्ध रिक्त स्थल में दो न्यायालय भवन (जी+1) का संनिर्माण	प्रकाशम	यूसी	2	0
48	गिद्दालुर में दो न्यायालय परिसर का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	2	0
49	मरकापुर में दो न्यायालय परिसर का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	2	8
50	ओंगोल में न्यायिक अधिकारियों के लिए 8 क्वार्टर का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	0	4
51	ओंगोल में न्यायिक अधिकारियों के लिए 4 क्वार्टर ब्लॉक का संनिर्माण	प्रकाशम	सीएमपी	0	1
52	श्रीकाकुलम जिले के कोटाबोम्माली में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	श्रीकियाकुलम	सीएमपी	1	0
53	श्रीकाकुलम में चार न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	श्रीकियाकुलम	सीएमपी	4	0
54	पालकोंडा में एकल न्यायालय भवन का संनिर्माण	श्रीकियाकुलम	सीएमपी	1	2
55	विशाखापत्तनम जिले के चोडावरम में चार न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	विशाखापत्तनम	यूसी	4	0
56	नरसीपट्टनम में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय का संनिर्माण	विशाखापत्तनम	सीएमपी	1	0
57	गजुवाका में दो न्यायालय भवन पर अतिरिक्त न्यायालय का संनिर्माण	विशाखापत्तनम	सीएमपी	2	0
58	अराकू में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	विशाखापत्तनम	सीएमपी	0	0
59	विशाखापत्तनम में चार न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	विशाखापत्तनम	यूसी	4	0

60	सलूर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण	विजयानगरम	सीएमपी	2	0
61	विजयानगरम जिले के पार्वतीपुरम में प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश आवासीय क्वार्टरों का संनिर्माण	विजयानगरम	यूसी	0	1
62	विजयानगरम जिले के पार्वतीपुरम में अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश आवासीय क्वार्टरों का संनिर्माण	विजयानगरम	यूसी	0	1
63	विजयानगरम जिले के पार्वतीपुरम में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	विजयानगरम	यूसी	0	1
64	पार्वतीपुरम में सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	विजयानगरम	सीएमपी	0	0
65	पार्वतीपुरम में 2 न्यायालय भवन परिसर का संनिर्माण	विजयानगरम	सीएमपी	2	0
66	कुरुपम में न्यायालय भवन और आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	विजयानगरम	सीएमपी	1	0
67	पश्चिम गोदावरी जिले के एलुरु में जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	पश्चिम गोदावरी	सीएमपी	0	1
68	पश्चिमी गोदावरी जिले के तनुकू में विद्यमान ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश भवन पर पहला तल का संनिर्माण	पश्चिम गोदावरी	यूसी	2	0
69	पालकोल में प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय के विद्यमान भूमि तल पर पहला तल का संनिर्माण	पश्चिम गोदावरी	सीएमपी	1	0

सीएमपी: पूर्ण, यूसी: संनिर्माणाधीन
स्रोत: न्याय विकास पोर्टल

उपाबंध –2

28.03.2025 **के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.**4738 **के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

प्रशासनिक मंजूरी के लिए सरकार के समक्ष लंबित परियोजनाएं

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	तारीख जिस पर सरकार को पत्र अग्रेषित किया गया	रु./- में रकम
	अनंतपुर जिला		
1	जिला न्यायालय परिसर, अनंतपुर में छह न्यायालय भवन का संनिर्माण ।	आरओसी.सं.1349/2013-डीआईआई (बी), तारीख 17.06.2023	19,44,00,000/-
	चित्तूर जिला		
2	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों में अभिग्रहीत किए गए विनिषिद्ध/गांजे को न्यायालय परिसर, चित्तूर में अभिज्ञात स्थल के भीतर संरक्षित करने के लिए भंडारण भवन का संनिर्माण ।	आरओसी.सं..323/2021-डीआईआई (बी), तारीख28.07.2022	50,00,000/-
3	श्रीकालहस्ती में न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन भवन का संनिर्माण ।	आरओसी.नं.234/2022-डीआईआई (बी), तारीख28.10.2024	75,00,000/-
4	चतुर्थ अपर कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के कार्यालय के लिए अस्थायी संरचना का संनिर्माण ।	आरओसी.सं.162/2021-डीआईआई (बी) तारीख25.1.2024।	46,00,000/-
5	तिरुपति में विद्यमान न्यायाधीश निलयम में तीन आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण (3,25,00,000/- के सामने पुनरीक्षित)	आरओसी.सं.1081/2013 **तारीख** 21.2.2024	3,87,00,000/-
	पूर्वी गोदावरी जिला		
6	प्रतिपाडु में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय भवन का संनिर्माण । (4,19,20,000/- रुपये की रकम के सामने पुनरीक्षित)	आरओसी.सं.1358/2007-डीआईआई (बी), तारीख 31.12.2018	5,64,00,000/-
7	ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, कोठापेट को आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण (1,50,00,000/- के बजाय पुनरीक्षित प्रशासनिक मंजूरी)	आरओसी.सं.1542/2012-डीआईआई (बी), तारीख 6.09.2024	1,60,00,000/-
8	राजमहेंद्रवरम में न्यायिक अतिथि गृह का संनिर्माण । (75.00 लाख के बजाय)	आरओसी.सं.63/2019-डीआईआई (बी), तारीख 13.11.2024	1,00,00,000/-
9	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों में अभिग्रहीत किए गए विनिषिद्ध/गांजे को परिरक्षित करने के लिए भंडारण भवन का संनिर्माण । (24.00 लाख के बजाय)	आरओसी.सं.162/2021-डीआईआई (बी), तारीख 20.09.2024	28,00,000/-
10	कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मुम्मिदिवरम को आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण । (रु. 1,45,00,000/- के बजाय)	आरओसी.नं.272/2022-डीआईआई (बी), तारीख 13.11.2024	1,49,00,000/-
11	(ii) काकीनाडा के विद्यमान आबकारी न्यायालय भवन में 2 मंजिलों में आंतरिक और बाह्य विद्युतीकरण, अग्निशमन यंत्र और लिफ्ट व्यवस्था की व्यवस्था करना।	आरओसी.नं.834/2013-डीआईआई (बी), तारीख 04.11.2023	53,50,000/-
	गुंटूर जिला		
12	तेनाली में बार एसोसिएशन भवन का संनिर्माण । (31.00 लाख के बजाय)	आरओसी.नं.760/2022-डीआईआई (बी), तारीख 13.11.2024	57,00,000/-

	कडपा जिला		
13	कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश , रेलवे कोडुर के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण । (पुनरीक्षित प्रशासनिक मंजूरी)	आरओसी.सं.558/2008-डीआईआई (बी), तारीख 2.12.2024	1,30,00,000/-
14	कडपा जिले के प्रोद्दातुर में चार न्यायालय भवन परिसर के लिए दूसरी मंजिल, आंतरिक सड़कों, परिसर की दीवार और विद्दुत के कार्य पर अधूरे कार्य को पूरा करना।	आरओसी.नं.438/2005-डीआईआई (बी), तारीख 18.12.2023	6,58,00,000/-
15	बार एसोसिएशन भवन, कडपा की छत पर सम्मेलन हॉल-सह-विधिक अनुसंधान केंद्रीय का संनिर्माण ।	आरओसी.सं.517/2022-डीआईआई (बी), तारीख 13.12.2023	1,35,00,000/-
16	जिला न्यायालय परिसर, कडपा में दांडिक न्यायालय परिसर (जी + 5) का संनिर्माण (8 न्यायालय हॉल)	आरओसी.नं.1201/2017-डीआईआई (बी), तारीख 28.11.2024	28,90,00,000/-
17	मैडुकुर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय में परिसर की दीवार, सीसी फुटपाथ और सीसी नालियों और पार्किंग शेड का संनिर्माण । (रु. 2,04,00,000/- के बजाय)	आरओसी.नं.976/2014-डीआईआई (बी), तारीख 5.12.2024	1,95,00,000/-
18	नंदालुर में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश को एकल न्यायालय भवन और आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण ।	आरओसी.नं.327/2015,तारीख 20.11.2024	6,60,00,000/-
	कृष्णाजिला		
19	नंदीगामा के दो न्यायालय भवन के चल रहे संनिर्माण पर प्रथम तल पर 16 अपर जिला न्यायाधीश और प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए दो न्यायालयों का संनिर्माण । (अतिरिक्त रकम)	आरओसी.नं.906/2011-डीआईआई (बी), तारीख 06.02.2023	3,30,00,000/-
20	मायलावरम में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय भवन का संनिर्माण ।	आरओसी.नं.162/2021-डीआईआई (बी), तारीख11.05.2023	4,75,00,000/-
	प्रकाशम जिला		
21	मरकापुर में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण । (110.00 लाख के बजाय)	आरओसी.सं.661/2018-डीआईआई (बी), तारीख 13.11.2024।	1,50,00,000/-
22	परचूर में विद्यमान ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय भवन का नवीनीकरण।	आरओसी.नं.308/2023-डीआईआई (बी), तारीख 27.12.2023	1,77,00,000/-
23	चिराला में अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण	आरओसी.क्र.1154/2013-डीआईआई (बी) तारीख 7.12.2024	1,51,00,000/-
	श्रीकाकुलम जिला		
24	कोथुरू, श्रीकाकुलम जिले में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण ।	आरओसी.नं.330/2019-डीआईआई (बी), तारीख 14.09.2022	5,51,00,000/-
25	टेककली में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश के आवासीय क्वार्टर (दुहरे प्रकार का क्वार्टर) का संनिर्माण	Roc.No.665/2021-DII(B), dt.05.12.2022	2,80,00,000/-
26	श्रीकाकुलम जिले के टेककली में ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन (दो न्यायालय भवन) का संनिर्माण । (रु. 12,10,00,000/- के बजाय)	आरओसी.नं.302/2022-डीआईआई (बी), तारीख 03.04.2024	11,90,00,000/-
27	पलासा, श्रीकाकुलम जिले में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय भवन का संनिर्माण । (आरएएस))	आरओसी.नं.1001/2017-डीआईआई (बी) तारीख 4.4.2024	5,90,00,000/-
	विशाखापट्टनम		
28	गजुवाका में अपर जिला न्यायाधीश के क्वार्टर (दो	आरओसी सं..751/2014-	3,72,00,000/-

	क्वार्टर) का संनिर्माण । (आरएएस)	डीआईआई (बी) तारीख 6.4.2024	
	विजयनगरम जिला		
29	कोठावलसा में एकल न्यायालय भवन का संनिर्माण ।	आरओसी.नं.379/2020-डीआईआई (बी), तारीख 18.04.2023	4,68,00,000/-
	पश्चिम गोदावरी जिला		
30	ताडेपल्लीगुडेम में न्यायालय परिसर में पुस्तकालय कक्ष का संनिर्माण .	आरओसी.नं.1378/2018-डीआईआई (बी), तारीख 27.02.2018	18,00,000/-
31	तनुकू में अपर जिला न्यायाधीश के लिए आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण (1,70,00,000/- के बजाय)	आरओसी.नं.633/2016-डीआईआई (बी), तारीख 24.10.2024	1,77,00,000/-
32	ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, नरसापुर के आवासीय क्वार्टर का संनिर्माण ।	आरओसी.नं.594/2018-डीआईआई (बी), तारीख 18.09.2021	1,25,00,000/-

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4799
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

अवमानना संबंधी लंबित मामले

4799. श्री आनंद भदौरिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1.45 लाख अवमानना संबंधी मामले लंबित हैं और यदि हां, तो न्यायालयवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन आदेशों का अनुपालन किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) :भारतकेउच्चतमन्यायालयद्वाराप्रदानकीगईजानकारीकेअनुसार, 20.03.2025 तकउच्चतमन्यायालयकेसमक्षअवमाननाके1,852 मामलेलंबितहैं।इसकेअतिरिक्त, राष्ट्रीयन्यायिकडाटाग्रिड (एनजेडीजी) परउपलब्धजानकारीकेअनुसार, 24.03.2025 तकविभिन्नउच्चन्यायालयोंकेसमक्षलंबितअवमाननामामलोंकीसंख्या**उपाबंध-1** परहै ।

उच्चतमन्यायालयऔरविभिन्नउच्चन्यायालयोंकेसमक्षलंबितअवमानमामलोंमेंआदेशोंकाअनुपालननकिएजानेकेकारणसरकारकेपासउपलब्धनहींहैं।जहांतकभारतसरकारकासंबंधहै, न्यायालयकेआदेशोंकेकार्यान्वयनकाउत्तरदायित्वसंबंधितप्रशासनिकमंत्रालयों/विभागोंकाहै।

******

'लंबित अवमानना मामलों' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4799 जिसका उत्तर तारीख 28.03.2025 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

उच्चन्यायालयोंमें 24.03.2025 तकलंबितअवमाननाकेमामले

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	अवमानना के लंबित मामले
1.	इलाहाबाद	24,376
2.	बम्बई	9,394
3.	कलकत्ता	24,886
4.	गुवाहाटी	1,933
5.	तेलंगाना	13,957
6.	आंध्र प्रदेश	15,679
7.	छत्तीसगढ़	826
8.	दिल्ली	3,788
9.	गुजरात*	-
10.	हिमाचल प्रदेश	483
11.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	5,244
12.	झारखंड	1,738
13.	कर्नाटक	2,384
14.	केरल	3,715
15.	मध्य प्रदेश	10,892
16.	मणिपुर	210
17.	मेघालय	74
18.	पंजाब और हरियाणा	4,959
19.	राजस्थान	7,252
20.	सिक्किम	4
21.	त्रिपुरा	50
22.	उत्तराखंड	1,066
23.	मद्रास*	-
24.	उड़ीसा	10,663
25.	पटना*	-
कुल		**1,43,573**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)
*एनजेडीजी पोर्टल पर डेटा उपलब्ध नहीं है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *487

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

कुटुंबन्यायालय

***487. श्रीजी. सेल्वमः**

श्रीसी. एन. अन्नादुरईः

क्या**विधिऔरन्याय**मंत्रीयहबतानेकीकृपाकरेंगेकिः

(क) तमिलनाडुमेंकितनेकुटुंबन्यायालयकार्यरतहैं ;

(ख) क्यासरकारकाऐसेक्षेत्रोंमेंनएकुटुंबन्यायालयस्थापितकरनेकाकोईप्रस्तावहैजहांयेअभीतकस्थापितनहींकिएगएहैंऔरयदिहां, तोतत्संबंधीब्यौराक्याहैऔरतमिलनाडुमेंइसकेजिलावारकार्यान्वयनकीसमय-सीमाक्याहै ;

(ग) क्यासरकारवैवाहिकऔरअभिरक्षासेसंबंधितमामलोंकोनिपटानेमेंकुटुंबन्यायालयोंकेसमक्षआनेवालीचुनौतियोंसेअवगतहै, यदिहां, तोन्यायाधीशोंकीकमी, बुनियादीढांचेकीकमीऔरप्रक्रियागतविलंबसहितऐसीचुनौतियोंकाब्यौराक्याहै ;

(घ) देशमेंकुटुंबन्यायालयोंकेकामकाजकोसुदृढ़करनेकेलिएक्याकदमउठाएगएहैं/उठाएजानेकाविचारहै ;

(ङ) क्यासरकारनेकुटुंबन्यायालयोंमेंमध्यस्थताऔरपरामर्शजैसेवैकल्पिकविवादसमाधान (एडीआर) तंत्रकेउपयोगकोप्रोत्साहितकियाहै, यदिहां, तोऐसीपहलोंकाब्यौराक्याहैऔरउनकीसफलताकीदरकितनीहै ; और

(च) सरकारकीन्यायालयोंपरबोझकमकरनेकेलिएएडीआरतंत्रोंकोऔरअधिकसुदृढ़करनेहेतुक्यायोजनाहै ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क)से (च) :एकविवरणसदनकेपटलपररखदियागयाहै।

'कुटुम्बन्यायालय' केसंबंधमेंलोकसभातारांकितप्रश्नसंख्या *487 के, जिसका उत्तरतारीख 04 अप्रैल, 2025को दिया जाना है,भाग (क) से (च) केउत्तरमेंनिर्दिष्टविवरण

(क) से (घ):कुटुंब न्यायालयअधिनियम, 1984 सुलहकोबढ़ावादेनेऔरविवाहऔरकुटुंबमामलोंसेसंबंधितविवादोंकेत्वरितनिपटानके लिए रक्षोपाय करनेऔरउनसेजुड़ेमामलोंकेलिएराज्यसरकारोंद्वाराअपनेसंबंधितउच्चन्यायालयोंकेपरामर्शसेकुटुंब न्यायालयोंकीस्थापनाकाउपबंध करताहै। कुटुंबन्यायालयअधिनियमकीधारा 3 (1) (क) केअधीन,

राज्यसरकारोंकेलिएयहअनिवार्यहैकिवेराज्यकेप्रत्येकक्षेत्रकेलिएएककुटुंबन्यायालयस्थापितकरें, जिसमेंएकशहरयाएककस्बासम्मिलितहै, जिसकीआबादीदसलाखसेअधिकहै। राज्योंकेअन्यक्षेत्रोंमेंभी, यदिराज्यसरकारेंआवश्यकसमझेतोकुटुम्बन्यायालयोंकीस्थापनाकीजासकतीहै। न्यायालयोंमेंमामलोंकासमयपरनिपटाराअनेककारकोंपरनिर्भरकरताहैजिसमें, *अन्यबातोंकेसाथ,*न्यायाधीशोंऔरन्यायिकअधिकारियों, सहायकन्यायालयकर्मचारिवृंदकीपर्याप्तसंख्यामेंउपलब्धताऔरभौतिकअवसंरचना, अंतर्वलिततथ्योंकीजटिलता, साक्ष्यकीप्रकृति, हितधारकों अर्थातबार, अन्वेषणएजेंसियों, गवाहोंऔरवादियोंकासहयोगतथानियमोंऔरप्रक्रियाओंकाउचितअनुप्रयोगसम्मिलितहै। केन्द्रीयसरकारसंविधानकेअनुच्छेद 21 केअनुसारमामलोंकेशीघ्रनिपटारेऔरलंबितमामलोंकीसंख्यामेंकमीलानेकेलिएपूर्णतप्रतिबद्धहै।

उच्चन्यायालयोंसेप्राप्तजानकारीकेअनुसार, 28.02.2025 तक, तमिलनाडुराज्यमें 40 कुटुंबन्यायालयोंसहितदेशभरमें 914 कुटुंबन्यायालयकार्यरतहैं। कार्यरतकुटुंबन्यायालयोंकीराज्य/संघराज्यक्षेत्र-वारसंख्या**उपाबंध** में है ।

कुटुंब न्यायालयोंमें, कार्यवाहीमेंदेरीतनावकोबढ़ातीहैऔरभावनात्मकतनावकोबढ़ातीहै, समयपरविवादसमाधानमेंबाधाडालतीहै। न्यायालय के निर्णयों केबावजूदबालअभिरक्षा, मुलाक़ातकेअधिकारऔरवित्तीयसहायतापरनिर्णयलागूकरनाचुनौतीपूर्णबनाहुआहै, जिससेनिरंतरसंघर्षऔरहताशाहोतीहै। इसकेअतिरिक्त, न्यायालय मेंपेशीकेलिएदूसरेशहरकीयात्राकीआवश्यकतामहत्वपूर्णसंभारतंत्रऔरवित्तीयबोझडालतीहै, खासकरउनपरिवारोंकेलिएजोपहलेसेहीतनावमेंहैं। यहभीध्यानरखनामहत्वपूर्णहैकिपरामर्शदातासलाहऔरमार्गदर्शनप्रदानकरनेमेंमहत्वपूर्णभूमिकानिभातेहैं, लेकिनउनकीप्रभावशीलताउचितप्रशिक्षणऔरक्षमतानिर्माणपरनिर्भरकरतीहै। कुटुंबन्यायालयोंमेंसुधारकेलिएपर्याप्तअवसंरचनाऔरविशेषीकृतन्यायाधीशोंकोपर्याप्तप्रशिक्षणप्रदानकरनाआवश्यकहै। लैंगिकसंवेदनशीलताप्रशिक्षणकेसाथ-साथन्यायाधीशों, न्यायालयकेकर्मचारियोंऔरहितधारकोंकोसंवेदनशीलबनाना, निष्पक्षव्यवहारसुनिश्चितकरने, पूर्वाग्रहकोकमकरनेऔरसभीपक्षकारों, विशेषरूपसेमहिलाओंकेअधिकारोंकीरक्षाकरनेकेलिएअनिवार्यहै। महिलान्यायाधीशोंऔरपरामर्शदाताओंकीनियुक्तिपरविचारकरनेसेप्रणालीकीप्रभावशीलतामेंऔरवृद्धिहोसकतीहै।सरकारद्वारा राज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकेमुख्यमंत्रियोंऔरसभीउच्चन्यायालयोंकेमुख्यन्यायमूर्तियोंकोविधिऔरन्यायमंत्रीकेस्तरपरपत्राचारकरकेइनमुद्दोंकोराज्यों/उच्चन्यायालयोंकेध्यानमेंलायागयाहै।

पूर्वोक्तअधिनियमकीधारा 6 केअनुसार, यहराज्य/संघराज्यक्षेत्रसरकारोंकाउत्तरदायित्वहैकिवेअपनेसंबंधितउच्चन्यायालयकेपरामर्शसेकुटुंबन्यायालयकोउसकेकृत्योंकेनिर्वहनमेंसहायताकरनेकेलिएअपेक्षितपरामर्शदाताओं, अधिकारियोंऔरअन्यकर्मचारियोंकीसंख्याऔरप्रवर्ग निर्धारितकरेंऔरकुटुंबन्यायालयकोऐसेपरामर्शदाता, अधिकारीऔरअन्यकर्मचारीप्रदानकरेंजिन्हेंवहठीकसमझे।

इसकेअतिरिक्त, सरकारनेन्यायपालिकाद्वारामामलोंकेशीघ्रनिपटारेकेलिएपारिस्थितिकीतंत्रकाउपबंधकरनेकेलिएनिम्नानुसारअनेकपहलेंकीहैं :

i. राष्ट्रीयन्यायपरिदानऔरविधिकसुधारमिशनकीस्थापनाप्रणालीमेंविलंबोंऔरबकायामामलोंमेंकमीकरकेऔरसंरचनात्मकपरिवर्तनोंकेमाध्यमसेजवाबदेहीमेंअभिवृद्धिकरकेऔरनिष्पादनमानकोंऔरक्षमताओंकोसुनिश्चितकरकेपहुंचमेंवृद्धिकरनेकेदोहरेउद्देश्योंकेसाथअगस्त, 2011 मेंकीगईथी। मिशन, न्यायिकप्रशासनमेंबकायाऔरलंबितमामलोंकेचरणबद्धसमापनकेलिएसमन्वयितदृष्टिकोणकाअनुसरणकरतारहाहै, जिसमें, अन्यबातोंकेसाथ-साथ, न्यायालयोंकेलिएऐसीबेहतरअवसंरचनाअंतर्वलितहैजिसकेअंतर्गतकंप्यूटरीकरण,

जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंकीस्वीकृतपदसंख्यामेंवृद्धि, अत्यधिकमुकदमेबाजीसेग्रस्तक्षेत्रोंमेंनीतिगतऔर विधायीउपायऔरमामलोंकेशीघ्रनिपटारेकेलिएन्यायालयप्रक्रियाकापुनर्निर्माणकरनातथामानवसंसाधनविकासपरबलदेनाहै।

ii. न्यायिकअवसंरचनाकेविकासकेलिएकेंद्रीयप्रायोजितस्कीमकेअधीन, राज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकोन्यायालयहॉलों, न्यायिकअधिकारियोंकेलिएआवासीयक्वार्टरों, वकीलोंकेहॉल, शौचालयपरिसरोंऔरडिजिटलकम्प्यूटरकक्षोंकेनिर्माणकेलिएनिधियांजारीकीजारहीहैंजिससेवादियोंसहितविभिन्नहितधारकों केजीवनकोआसानबनायाजासकेऔरजिससेन्यायपरिदानमेंसहायतामिलेगी। 28.02.2025 तक, 1993-94 मेंन्यायपालिकाकेलिएअवसंरचना सुविधाओंकेविकासकेलिएकेंद्रीयप्रायोजितस्कीम (सीएसएस) के आरंभ के पश्चात् 11886.29 करोड़रुपयेजारीकिएगएहैं। इसस्कीमकेअधीनन्यायालय हॉलोंकीसंख्या 30.06.2014 को 15,818 सेबढ़कर 28.02.2025 को 22,062 होगईहैऔरआवासीयइकाइयोंकीसंख्या 30.06.2014 को 10,211 सेबढ़कर 28.02.2025 को 19,775 होगईहै।

iii. इसकेअलावा, ई-न्यायालय मिशनमोडपरिस्कीमकेचरण I और II केअधीन, जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंकेआईटीसक्षमताकेलिएसूचनाऔरसंचारप्रौद्योगिकी (ICT) कालाभउठायागयाथा। 2023 तक 18,735 जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंकोकम्प्यूटरीकृतकियागयाथा। 99.5% न्यायालयपरिसरोंकोवैनकनेक्टिविटीप्रदानकीगईहै। 3,240 न्यायालयपरिसरोंऔर 1,272 संबंधितजेलोंकेबीचवीडियोकॉन्फ्रेंसिंगसुविधासक्षमकीगईहै। 28.02.2025 तक, जिलान्यायालयोंमें 1572 ई-सेवाकेंद्रोंऔरउच्चन्यायालयोंमें 39 ई-सेवाकेंद्रोंकोवकीलोंऔरवादियोंकोनागरिककेंद्रितसेवाएंप्रदानकरकेडिजिटलविभाजनकोपाटनेकेलिए कार्यात्मकबनायागयाहै। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासीन्यायालयों कीस्थापनाकीगईहै। 28.02.2025 तक, इनन्यायालयों ने 6.95 करोड़सेअधिकमामलोंकोसंभालाहैऔर 736.11 करोड़रुपएसेअधिककाजुर्मानावसूलकियाहै। मंत्रिमंडलने 13.09.2023 को 7,210 करोड़रुपएकेपरिव्ययपर ई-न्यायालयपरिस्कीमकेचरण- III कोमंज़ूरीदीहै। चरण- I औरचरण- II केलाभोंकोअगलेस्तरपरलेजातेहुए, ई-न्यायालयचरण- III काउद्देश्यडिजिटल, ऑनलाइनऔरकागजविहीन न्यायालयों कीओरबढ़करन्यायकीबढ़ीहुईआसानीकीव्यवस्थाआरंभकरनाहै। यहसभीहितधारकोंकेलिएन्यायवितरणकोउत्तरोत्तरअधिकमजबूत, आसानऔरसुलभबनानेकेलिएकृत्रिम बुद्धिमता (एआई), ब्लॉकचेनआदिजैसीनवीनतमतकनीककोसम्मिलित करनेकाआशय रखताहै।

iv. अप्रैल, 2015 मेंआयोजितमुख्यन्यायमूर्तियों केसम्मेलनमेंपारितसंकल्पकेअनुसरणमें, पांचवर्षसेअधिकसमयसेलंबितमामलोंकोनिपटानेकेलिएसभी 25 उच्चन्यायालयोंमेंबकायासमितियोंकीस्थापनाकीगईहै। जिलान्यायालयोंकेअंतर्गतभीबकायासमितियांगठितकीगईहैं।

v. चौदहवेंवित्तआयोगकेतत्वावधानकेअधीन, जघन्यअपराधों, वरिष्ठनागरिकों, महिलाओं, बच्चोंआदिसेसंबंधितमामलोंसेनिपटनेकेलिएत्वरितनिपटानन्यायालयोंकीस्थापनाकीगईहै। 28.02.2025 तक, देशभरमें 857 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरतहैं। निर्वाचितसांसदों/विधायकोंसेसंबंधितआपराधिकमामलोंकोतेजीसेनिपटानेकेलिएनौ (9) राज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंमेंदस (10) विशेषन्यायालयकार्यकर रहेहैं। इसकेअतिरिक्त, केन्द्रीयसरकारनेबलात्कारऔरपोक्सोअधिनियमकेलंबितमामलोंकेशीघ्रनिपटारेकेलिएपूरेदेशमेंत्वरितनिपटानविशेषन्यायालयों (एफटीएससी) कीस्थापनाकरनेकीस्कीमअनुमोदितकीहै। 28.02.2025 तक, देशभरके 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंमें 404 अनन्यपॉक्सो (ईपॉक्सो) न्यायालयोंसहित 745 एफटीएससीकार्यरतहैं, जिन्होंने 3,13,000 सेअधिकमामलोंकानिपटाराकियाहै।

102

vi. लंबितमामलोंकोकमकरनेऔरन्यायालयों के बोझ कोकमकरनेकेउद्देश्यसे, सरकारनेविभिन्नविधियोंजैसेपरक्राम्यलिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिकन्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थमऔरसुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 औरदंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 मेंसंशोधनकियाहै।

vii. वैकल्पिकविवादसमाधानविधियोंकोपूरेदिलसेबढ़ावादियागयाहै। तदनुसार, वाणिज्यिकन्यायालयअधिनियम, 2015 कोअगस्त, 2018 मेंसंशोधितकियागयाथा, जिससेवाणिज्यिकविवादोंकेमामलेमेंपूर्व-संस्थानमध्यस्थताऔरनिपटान (पीआईएमएस) अनिवार्यहोगया। पीआईएमएसतंत्रकीदक्षताकोऔरबढ़ानेकेलियेसरकारनेमध्यकताअधिनियम, 2023 केमाध्यमसेवाणिज्यिकन्यायालयअधिनियम, 2015 मेंऔरसंशोधनकियाहै। विवादोंकेत्वरितसमाधानमेंतेजीलानेकेलिएमाध्यस्थमऔरसुलहअधिनियम, 1996 मेंवर्ष 2015, 2019 और 2021 मेंसंशोधनकिएगएहैं।

वाणिज्यिकन्यायालयअधिनियम, 2015 केअधीन, मामलाप्रबंधनसुनवाईकेलिएएकउपबंध है,जोकिसीमामलेकेकुशल, प्रभावीऔरउद्देश्यपूर्णन्यायिकप्रबंधनकाउपबंध करताहैताकिविवादकासमयपरऔरगुणात्मकसमाधानप्राप्तकियाजासके। यहतथ्यऔरविधिकेविवादितमुद्दोंकीशीघ्रपहचान, मामलेकेजीवनकेलिएप्रक्रियात्मककैलेंडरकीस्थापनाऔरविवादकेसमाधानकीसंभावनाओंकीखोजमेंसहायताकरताहै।

वाणिज्यिकन्यायालयोंकेलिएआरंभकीगईएकऔरनईविशेषतारंगबैंडिंगकीप्रणालीहैजोकिसीभीवाणिज्यिकमामलेमेंदिएजासकनेवालेस्थगनकीसंख्याकोतीनतकसीमितकरतीहैऔरन्यायाधीशोंकोलंबितमामलोंके चरणकेअनुसारसूचीबद्धकरनेकेबारेमेंसचेतकरतीहै।

viii. लोकन्यायालयआमलोगोंकेलिएउपलब्धएकमहत्वपूर्णवैकल्पिकविवादसमाधानतंत्रहै। यहएकऐसामंचहैजहांन्यायालयमेंयामुकदमेबाजी-पूर्वचरणमेंलंबितविवादों/मामलोंकासौहार्दपूर्णढंगसेनिपटारा/समझौताकियाजाताहै। विधिकसेवाप्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 केअधीन, लोकन्यायालयद्वारादिएगएपंचाटकोसिविलन्यायालयकीडिक्रीमानाजाताहैऔरयहसभीपक्षोंकेलिएअंतिम औरबाध्यकारीहोताहैऔरइसकेविरुद्धकिसीन्यायालयमेंकोईअपीलनहींकीजासकतीहै। लोकन्यायालयस्थायीप्रतिष्ठाननहींहै। राष्ट्रीयलोकअदालतें, सभीतालुकों, जिलोंऔरउच्चन्यायालयोंमेंपूर्व-नियततारीखकोएकसाथआयोजितकीजातीहैं।

पिछलेचारवर्षोंकेदौरानराष्ट्रीयलोकअदालतोंमेंनिपटाएगएमामलोंकेब्यौरेनिम्नानुसारहैं: -

वर्ष	मुकदमेबाजीपूर्वमामले	लंबितमामले	महायोग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

ix. सरकारने 2017 मेंटेली-लॉकार्यक्रमआरंभ किया, जोएकप्रभावीऔरविश्वसनीय ई-इंटरफेसप्लेटफॉर्मप्रदानकरताहै, जोजरूरतमंदऔरवंचितवर्गोंकोपैनलवकीलोंकेसाथविधिक सलाहऔरपरामर्शकेलिएवीडियोकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनऔरचैटसुविधाओंकेमाध्यमसेजोड़ताहै, जोग्रामपंचायतोंमेंस्थितकॉमनसर्विससेंटर (सीएससी) औरटेली-लॉमोबाइलऐपकेमाध्यमसेउपलब्धहैं।

*टेली-लॉडाटाकाप्रतिशत-वारब्यौरा

प्रवर्ग	रजिस्टर्ड	प्रतिशतवार ब्रेकअप	सक्षमकी गई सलाह	प्रतिशतवार ब्रेकअप

लिंगवार				
स्त्री	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जातिप्रवर्ग वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
ओबीसी	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचितजाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*28.02.2025 तककेआंकड़े।

x. देशमेंप्रो बोनो संस्कृतिऔरप्रो बोनोवकालतकोसंस्थागतबनानेकेप्रयासकिएगएहैं। एकतकनीकीढांचातैयारकियागयाहैजहांप्रो बोनो कार्यकेलिएअपनासमयऔरसेवाएंदेनेकेलिएस्वेच्छासेअधिवक्तान्यायबंधु (एंड्रॉइडऔरआईओएसऔरऐप्स) परप्रोबोनोवकील केरूपमेंरजिस्ट्रीकरण करसकतेहैं। न्यायबंधुसेवाएंउमंगप्लेटफॉर्मपरभीउपलब्धहैं। राज्य/संघराज्यक्षेत्रस्तरपर 23 उच्चन्यायालयोंमेंअधिवक्ताओंकाप्रो बोनोपैनलआरंभकियागयाहै। नवोदितवकीलोंमेंप्रो बोनोसंस्कृतिसंवर्धन करनेकेलिए 109 विधिविद्यालयोंमेंप्रो बोनोक्लबआरंभ किएगएहैं।

(ङ) और (च): सरकार, सौहार्दपूर्णनिपटानकोसुकरबनानेऔरमुकदमेबाजीकेभारकोकमकरनेकेलिएकुटुंबन्यायालयोंमेंमध्यकताऔरपरामर्शसहितअनुकल्पीविवादसमाधान (एडीआर) तंत्रोंकोबढ़ावादेरहीहैक्योंकियेतंत्रकमप्रतिकूलहैंऔरविवादोंकेसमाधानकेपारंपरिकतरीकोंकाबेहतरविकल्पप्रदान करनेमेंसक्षमहैं। अनुकल्पीविवादसमाधानतंत्रकेउपयोगसेन्यायपालिकापरभारकमहोनेऔरइसप्रकारदेशकेनागरिकोंकोसमयपर न्यायप्रदानकरनेमेंसमर्थहोनेकीभीआशाकीजातीहै। सरकारइनतंत्रोंकोसुदृढ़करनेऔरउन्हेंऔरअधिकप्रभावोत्पादकऔरत्वरितबनानेकेलिएनीतिगतऔरविधायीहस्तक्षेपकररहीहै।

कुटुंबन्यायालयअधिनियम, 1984 कीधारा 9 कुटुंबन्यायालयोंकोपारिवारिकविवादोंकेसमाधानमेंमध्यस्थताऔरसुलहकेमहत्वपरबलदेतेहुएमुकदमेबाजीकीकार्यवाहीकरनेसेपूर्वनिपटानकेलिएप्रयासकरनेकाअधिदेशदेतीहै।

****

उपाबंध

28.02.2025 तककार्यात्मककुटुंबन्यायालयोंकीसंख्याकाराज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वारविवरण

क्रम सं.	राज्य/संघराज्यक्षेत्रोंकानाम	कार्यात्मककुटुंबन्यायालयोंकीसंख्या
1	आंध्रप्रदेश	16
2	अंदमानऔरनिकोबारद्वीपसमूह	1
3	अरुणाचलप्रदेश	0
4	असम	7
5	बिहार	39
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	27
8	दादराऔरनागरहवेलीऔरदमणऔरदीव	0
9	दिल्ली	30
10	गोवा	0
11	गुजरात	108
12	हरियाणा	33
13	हिमाचलप्रदेश	3
14	जम्मू-कश्मीर	4
15	झारखंड	30
16	कर्नाटक	41
17	केरल	37
18	लद्दाख	2
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्यप्रदेश	64
21	महाराष्ट्र	51
22	मणिपुर	4
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	0
25	नागालैंड	2
26	ओडिशा	30
27	पुडुचेरी	2
28	पंजाब	34
29	राजस्थान	50
30	सिक्किम	6
31	तमिलनाडु	40
32	तेलंगाना	22
33	त्रिपुरा	9
34	उत्तरप्रदेश	189
35	उत्तराखंड	27
36	पश्चिमीबंगाल	6
	कुल	914

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *488

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ

***488. श्री तमिलसेल्वन थंगा :**

डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार या अधिवक्ता समुदाय से राज्य में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है क्योंकि दक्षिण के राज्यों द्वारा बहुत लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

: (ख) और (क) एकविवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की"न्यायन्यायपीठके संबंध में "श्री तमिलसेल्वन थंगा और डॉ . एम.के. विष्णु प्रसाद द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *488 जिसका उत्तर तारीख 04.04.,को दिया जाना है 2025 के भाग के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । (ख) और (क)

:(ख) और (क)भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद 130 मेंयहउपबंधहैकिउच्चतमन्यायालयदिल्लीमेंअथवाऐसेअन्यस्थानयास्थानोंमें अधिविष्ट होगा, जिन्हेंभारतकामुख्यन्यायमूर्ति,राष्ट्रपतिकेअनुमोदनसेसमय-समयपरनियतकरे ।

2. देशकेविभिन्नभागोंमेंउच्चतम न्यायालयकीन्यायपीठोंकीस्थापनाकेलिएविभिन्नक्षेत्रोंसेसमय-समयपरअभ्यावेदनप्राप्तहुएहैं ।ग्यारहवेंविधिआयोगने 1988 मेंप्रस्तुत "उच्चतम न्यायालय - एकनयादृष्टिकोण" शीर्षकवालीअपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजित करने के लिए दसवें विधि आयोग द्वारा अपनी 95वीं रिपोर्टमेंकीगईसिफारिशोंकोदोहराया, अर्थात् (i) दिल्लीमेंसंवैधानिकन्यायालयऔर (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमऔरमध्यभारतमेंबैठनेवालाअपीलन्यायालययासंघीयन्यायालय ।अठारहवेंविधिआयोगने 2009 मेंप्रस्तुतअपनी 229वींरिपोर्टमेंयहभीसुझावदियाथाकिदिल्लीमेंएकसंवैधानिकन्यायपीठस्थापितकीजाएऔरउत्तरीक्षेत्रमेंदिल्ली, दक्षिणीक्षेत्रमेंचेन्नई/हैदराबाद, पूर्वीक्षेत्रमेंकोलकाताऔरपश्चिमीक्षेत्रमेंमुंबईमेंचारकैसेशनन्यायपीठेंस्थापितकीजाएं ।

3. यहमामलाभारतकेमुख्यन्यायमूर्तिकेपासभेजागया, जिन्होंनेबतायाकिमामलेपरविचारकरनेकेपश्चात् 18 फरवरी, 2010 कोहुईपूर्णन्यायालयकीबैठकमें पायागयाकिदिल्लीकेबाहरउच्चतम न्यायालयकीन्यायपीठस्थापितकरनेकाकोईऔचित्यनहींहै ।भारतकेमुख्यन्यायमूर्तिनेइससेपहलेअगस्त, 2007 मेंभीइसीतरहकेविचारव्यक्तकिएथे ।

4. राष्ट्रीयअपीलन्यायालयकीस्थापनापररिटयाचिकाडब्ल्युपी(सी) संख्या 36/2016 में, उच्चतम न्यायालयनेअपनेतारीख 13.07.2016 केनिर्णयकेमाध्यमसेउपरोक्तमुद्देकोआधिकारिकनिर्णयकेलिएसंवैधानिकन्यायपीठकोनिर्दिष्टकरनाउचित समझा ।मामलावर्तमानमेंउच्चतम न्यायालयमेंविचाराधीनहै ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5526

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

संसद सदस्यों के खिलाफ मामले

5526. श्री देवेश शाक्य :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में संसद सदस्यों के विरुद्ध कुल कितने मामले दर्ज किए गए है ;

(ख) इनके द्वारा किये गए अपराधों की प्रकृति क्या है तथा गंभीर एवं छोटे अपराधों के रूप में उनका वर्गीकरण क्या है ;

(ग) संसद सदस्यों के दोषी पाए जाने वाले मामलों की संख्या कितनी है तथा दोषसिद्धि दर कितनी है ;

(घ) कितने मामलों में संसद सदस्यों को दोषमुक्त या बरी किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने संसद सदस्यों के विरुद्ध मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क)से (घ) :रिटयाचिका (सिविल) 699/2016 (अश्विनीकुमारउपाध्यायबनामभारतसंघऔरअन्य) मेंभारतकेमाननीयउच्चतमन्यायालयकेतारीख 1 नवंबर, 2017 और 14 दिसंबर, 2017 केआदेशोंकेअनुसरणमें, संघसरकारनेनिर्वाचितसांसदों/विधायकोंसेसंबंधितआपराधिकमामलोंकेशीघ्रविचारणऔरनिपटानकेलिए 11 राज्यों (2 राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्लीमेंऔरएक-एकआंध्रप्रदेश,तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहारऔरपश्चिमीबंगालमें) में 12 विशेषन्यायालयोंकीस्थापनाकीसुविधाप्रदानकी। 28.02.2025 तक, 9 राज्योंमेंऐसे 10 विशेषन्यायालयकार्यरतहैं (बिहारऔरकेरलकेविशेषन्यायालयों कोसर्वोच्चन्यायालयकेतारीख 04.12.2018 केनिदेश केअनुसारबंदकरदियागयाथा)। माननीयउच्चतमन्यायालयइनन्यायालयोंकेनिष्पादनकापर्यवेक्षणकरताहै,

जबकिभारतसरकारराज्यसरकारकेअनुरोधपरउन्हेंप्रतिन्यायालयप्रतिवर्ष 65.00 लाखरुपएतकनिधि पोषणकरतीहै।

इलाहाबादउच्चन्यायालयद्वाराउपलब्धकराईगईजानकारीकेअनुसार, 22.03.2025 तकउत्तरप्रदेशकेजिलान्यायालयोंमेंसंसदसदस्यों (सांसदों) केखिलाफमामलोंकीसंख्याअपेक्षित वर्गीकरणकेसाथनीचेदीगईहै:

वर्ष	**सांसदों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत मामलों की संख्या**	**सांसदों के विरुद्ध लघु आपराधिक मामलों की संख्या**	**सांसदों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामलों की संख्या**	**उन मामलोंकीसंख्याजिन मेंसांसदोंका उन्मोचन करदियागयाथायादोष मुक्त करदियागयाथा**	**उनमामलोंकीसं ख्याजिनमेंसांसद दोषीपाएगएथे**
2025*	23	49	27	7	0
2024	36	50	36	16	0
2023	49	66	35	21	10
2022	136	82	39	24	7
2021	108	70	21	12	4
2020	105	65	25	4	3

*22.03.2025 कीस्थिति

(ङ) **और** **(च):**संसदसदस्योंसहितलंबितमामलोंकीसमग्रसंख्याकोकमकरनेकेलिएइलाहाबादउच्चन्यायालयद्वारानिम्नलिखितसमेत अनेककदमउठाएजारहेहैं :

- लंबितमामलोंकावास्तविकसत्यापनऔरलंबितऔरनिपटाएगएमामलोंकासहीडेटाफीड।
- 1980 तककेवर्षोंकेपुरानेमामलोंकेशीघ्रनिपटारेकेलिए, मामलोंकोउपयुक्तपीठकेसमक्षसूचीबद्धकरनाऔरयदिआवश्यकहो, तोविशेषन्यायपीठोंकागठनकरना।
- वर्ष 1981 से 1990 तककेमामलोंकेलिएइन्हेंमाननीयन्यायालयोंकेसमक्षउठायाजारहाहैऔरमाननीयन्यायाधीशोंसेअनुरोधकियाजारहाहैकिवेइनमामलोंकोप्रतिदिनलेंऔरउनपरनिर्णयलेनेकेलिएसभीप्रयासकरें। वर्ष 1991 से 1995, 1996 से 2000 आदिचरणोंमेंमामलोंपरविशेषध्यानदेनेकेलिएपंचवर्षीययोजनाएंबनाईजारहीहैं।
- माननीयन्यायालयोंकेसमक्षकेवलऐसेमामलोंकोसूचीबद्धकरनाजोअंतिमसुनवाईकेलिएपरिपक्वहैं याजहांऐसेआदेशपारितकिएजानेहैंजोकिसी न किसीतरहसेपक्षकारोंकेअधिकारोंकोप्रभावितकरसकतेहैं। जहांकेवलमंत्रालयीकार्यकीअपेक्षा होतीहैऔरकोईप्रभावीन्यायिकआदेशपारितकरनेकीअपेक्षा नहींहोतीहैजैसेकिपक्षकारों कोनोटिसभेजना, निचलीअदालतकेरिकॉर्ड (एलसीआर) कोबुलाना, पेपर-बुकतैयारकरनेकाआदेशदेना, अभियुक्तकोनोटिसदेना, रिपोर्टप्राप्तकरनाकिआरोपीमरचुकाहैयाजीवितहैआदि, ऐसेमामलोंकोमाननीयन्यायालयकेसमक्षसूचीबद्धनहींकियाजाताहै। इसकेबजाय, ऐसेमामलोंकोइनछोटेमंत्रालयीकार्योंकोकरनेकेलिएविशेषड्यूटीपरकुछन्यायिकअधिकारियोंकेसमक्षसूचीबद्धकियाजाताहै।

- अपेक्षा केअनुसारएकलऔरखंडन्यायपीठोंकागठनऔरन्यायपीठोंकोकार्यकाउचितआबंटनतथाअनुशासनमेंउपलब्धन्यायिकविशेषज्ञताकाउपयोग।

- उच्चन्यायालयमेंमामलोंकेसूचीबद्धहोनेऔरनिपटारेमेंतेजीलानेकेलिए, मामलोंकोसमूहोंमेंसूचीबद्धकिएजानेकेलिएवर्गीकृतकियाजारहाहै।

- विशेषप्रकारकेमामलोंयाव्यक्तियोंकेसंबंधमेंशीघ्रन्यायप्रदानकरनेकेलिए, उच्चतम न्यायालय (शीघ्र) मामलेऔरवरिष्ठनागरिकोंसेजुड़ेमामलेसूचीकेशीर्षपरसूचीबद्धहैं।

- ताकिपुरानेलंबितमामलोंकोपूरीतरहसेसमाप्तकियाजासके, मामलोंकोएकक्रम मेंसूचीबद्धकियाजाताहै, जोसबसेपुरानेसेआरंभ होताहै।

- हालहीमें, जिनमामलोंमेंनिचले न्यायालयकीकार्यवाहियोंपररोकलगादीगईहै, उन्हेंमाननीयन्यायालयोंकेसमक्षसूचीबद्धकियाजारहाहै।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5534

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

अ.जा./अ.ज.जा. और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए न्याय

5534. एडवोकेट चन्द्र शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विशेषकर देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों की न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के लिए क्या पहल की गई है ;

(ख) उक्त समुदायों को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विगत तीन वर्षों में उक्त समुदायों के कुल कितने लोगों को इन योजनाओं से लाभ मिला है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : सरकार ने नागरिकों जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य सीमांत समुदाय भी हैं, के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कई पहल की हैं।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन की गई थी ताकि एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन समाविष्ट समाज के कमजोर वर्गों जिनके अंतर्गत फायदाग्राही भी है,को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें। यह अधिनियम उपबंध करता है कि आर्थिक या अन्य निःशक्तताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए।इस प्रयोजन के लिए, तालुक न्यायालय स्तर से उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना की गई है।

विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य सीमांत समुदायों के लोगों की संख्या के ब्यौरे हैं; 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) निम्नानुसार हैं:
-

वर्ष	एससी	एसटी	*अन्य सीमांत समुदाय	कुल

2022-23	93,796	78,556	10,42,417	12,14,769
2023-24	1,07,673	1,00,823	13,41,668	15,50,164
2024-25 (दिसंबर2024 तक)	89,351	86,824	10,03,625	11,79,800

*सीमांत समुदायों में महिलाएं, बच्चे, अभिरक्षा में लिए लोग, निःशक्त व्यक्ति, औद्योगिक कामगार, उभयलिंगी, मानव तस्करी के पीड़ित या भिखारी, सामूहिक आपदा हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिक आपदा के पीड़ित, साधारण जिनकी वार्षिक आय विहित सीमा से अधिक नहीं है, और अन्य शामिल हैं|

इसके अतिरिक्त, सरकार "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पना" (दिशा) नामकस्कीम भी कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य मुकदमा-पूर्व सलाह और अन्य सेवाओं की आसान, सुलभ, वहनीय और नागरिक-केन्द्रित परिदान करना है। इस स्कीम के अधीन, तीन कार्यक्रम हैं,अर्थात्: क) टेली-लॉ जो नागरिकों को पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप "टेली-लॉ" और टोल-फ्री नंबर के माध्यम से वकीलों से जोड़ता है (ख) न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) रजिस्ट्रीकृत फायदाग्राहियों को न्यायालयों में निःशुल्क विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और (ग) विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन, नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और हकदारियों को जानने, समझने और उनका लाभ उठाने का अधिकार दिया जाता है । टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन, 31 मार्च 2025 तक 1,10,38,557 फायदाग्राहियों को समाविष्ट किया गया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सीमांत समुदायों (ओबीसी) के लोगों की संख्या, जिनको विगत तीन वर्ष में टेली-लॉ कार्यक्रम से लाभान्वित किया है, निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	**एससी**	**एसटी**	**ओबीसी**	**कुल**
2022-23	6,48,403	3.10,718	5,38,204	14,97,325
2023-24	13,79,780	4,70,347	14,27,018	19,97,145
2024-25 (मार्च2025 तक)	9,46,570	4,07,388	10,02,382	14,54,190

न्यायबंधु (प्रो-बोनोविधिकसेवाएं) औरविधिकसाक्षरताऔरविधिकजागरूकताकार्यक्रम (एलएलएलएपी) केसंबंधमेंप्रवर्ग-वारडाटा नहींरखेजातेहैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5536

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में ग्राम न्यायालय

5536. श्री जी. लक्ष्मीनारायण :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किए गए और कार्यरत ग्राम न्यायालयों की संख्या राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार कितनी है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई ;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में न्यायालयों के कार्यान्वयन में बुनियादी ढांचे, न्यायिक रिक्तियों या कम मामले निपटान दरों से संबंधित मुद्दों सहित किसी भी चुनौती की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार द्वारा उक्त राज्य में विशेष रूप से पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम न्यायालयों के कामकाज में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त ग्राम न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) यह अनिवार्य बनाती है कि राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, जिनमें मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी । तथापि, अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने को अनिवार्य नहीं बनाता है ।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलबध कराई गई जानकारी के अनुसार, अब तक, आंध्र प्रदेश राज्य में किसी भी ग्राम न्यायालय को प्रचालित नहीं किया गया है । भारत सरकार ने, आरंभ में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में अधिसूचित 42 ग्राम न्यायालयों को 4.37 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी । तथापि, राज्य सरकार ने उक्त निधि का उपयोग नहीं किया है क्योंकि ग्राम न्यायालय आज की तारीख तक प्रचालित नहीं है । क्योंकि राज्य में कोई ग्राम न्यायालय प्रचालित

नहीं किए गए हैं, इस लिए चुनौतियों, यदि कोई हों, तथा उनके कार्यकरण में सुधार का मुद्दा ही नहीं उठता ।

****

114

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5607

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

निःशुल्क कानूनी सहायता सेवा

5607. श्री तेजस्वी सूर्या :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कानूनी सहायता प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और जिला और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों का कार्यकरण कैसा है ;

(ख) देशभर में डीएसएलए और एसएलएसए में पैनलबद्ध अथवा सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) देशभर में राज्यवार कितने मामलों में वे पैरवी कर रहे हैं और कितने मामलों में उन्होंने मुवक्किलों की पैरवी की है ;

(घ) क्या दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) हाशिए पर रहने वाले समुदाय उक्त सेवाओं के बारे में जागरूक हों और इन तक पहुंच सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) : सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्थापना की है, जो अधिनियम की धारा 12 के अधीन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए, तालुक न्यायालय स्तर से उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी) उच्चतम न्यायालय में कार्य करती है, जबकि 38 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ (एचसीएलएससी), 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए), 708 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और 2439 तालुक विधिक सेवा समितियाँ (टीएलएससी) हैं। सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरणों/संस्थाओं के कार्यकरण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती है। विधिक सेवा प्राधिकारियों के कार्यनिष्पादन की मानीटरी करने के लिए, एनएएलएसए सभी एसएलएसए से मासिक कार्यकलाप रिपोर्ट प्राप्त करता है जिसमें किसी विशेष मास में किए गए सभी कार्यकलापों पर विशेष बल दिया जाता है। तत्पश्चात्, एनएएलएसए द्वारा मासिक आधार पर अंतिम कार्यकलाप रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है। मासिक कार्यकलाप रिपोर्ट के अलावा, नालसा सभी एसएलएसए से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यनिष्पादन को मानीटर करने के लिए नालसा द्वारा अखिल भारतीय और प्रादेशिक बैठकों का भी आयोजन किया जाता है। भारत सरकार

नालसा के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अर्थात; विधिक सहायता रक्षा परामर्शी प्रणाली (एलएडीसीएस) स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है । एलएडीसीएस स्कीम के अधीन, एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता हेतु पात्र फायदाग्राहियों को ही दांडिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान की जाती है। एलएडीसीएस स्कीम का उद्देश्य दांडिक न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करना और विचारण और अपील चरणों पर सभी दांडिक मामलों में फायदाग्राहियों को विधिक सेवाएं प्रदान करना है।31 दिसंबर 2024 तक, देश भर के 654 जिलों में एलएडीसी कार्यालय क्रियाशील हैं और इसमें 3448 रक्षा परामर्शियों सहित 5251 कर्मचारिवृन्द नियोजित हैं । वर्ष 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान, एलएडीसीएस कार्यालयों ने 3.95 लाख से अधिक दांडिक मामलों का निपटारा किया है ।

(ख) और (ग) : अप्रैल, 2024 से दिसंबर, 2024 के दौरान देश भर में विभिन्न एसएलएसए और डीएसएलए में पैनल में सम्मिलित या सेवाएं प्रदान करने वाले पैनल अधिवक्ताओं के और जिन मामलों में वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश भर में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के राज्य-वार ब्यौरे **उपाबंध-क** पर हैं।

(घ) और (ङ) : एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर में हकदार व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाओं का उपबंध करती है। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा बच्चों, श्रमिकों, आपदा के पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, निःशक्त व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों/स्कीमों पर देश भर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न विधियों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएं और पत्रिकाएं भी तैयार करती है । वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित 12,49,496 और 1,26,966 विधिक जागरूकता शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः लगभग 13.93 करोड़ और 3.06 करोड़ व्यक्तियों ने भाग लिया।

****

			उपाबंध –क
निःशुल्क विधिक सहायतासेवाएंसे संबंधितलोकसभाअतारांकितप्रश्नसंख्या5607जिसका उत्तर तारीख 04.04.2025 को दिया जाना है, केउत्तर मेंनिर्दिष्ट विवरण।			
अप्रैल, 2024 सेदिसंबर, 2024 केदौरानदेशभरमेंविभिन्नएसएलएसएऔरडीएसएलएमेंपैनलमेंसम्मिलित यासेवाएंप्रदानकरनेवालेपैनलअधिवक्ताओंकीसंख्याऔरऐसेमामलेजिनमेंवेप्रतिनिधित्वकररहेहैंऔरदेशभरमेंमुवक्किलकाप्रतिनिधित्वकररहेहैं ।			
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरणकानाम**	**पैनलअधिवक्ता**	**मुवक्किल/मामलोंकाप्रतिनिधित्व**
1	अंदमानऔरनिकोबारद्वीप	36	159
2	आंध्रप्रदेश	1,352	3,050
3	अरुणाचलप्रदेश	157	2,353
4	असम	601	14,874
5	बिहार	1,940	7,075
6	चंडीगढ़	426	1,370
7	छत्तीसगढ़	2,689	6,159
8	दादराऔरनागरहवेली	6	32
	दमणऔरदीव	21	53
9	दिल्ली	1,617	35,031
10	गोवा	241	978
11	गुजरात	2,868	15,755
12	हरियाणा	1,019	13,975
13	हिमाचल प्रदेश	415	4,166
14	जम्मू-कश्मीर	578	2,615
15	झारखंड	1,025	8,444
16	कर्नाटक	2,827	5,233
17	केरल	2,043	12,527
18	लद्दाख	13	86
19	लक्ष्यद्वीप	0	1
20	मध्यप्रदेश	2,254	15,627
21	महाराष्ट्र	4,395	21,609
22	मणिपुर	226	311
23	मेघालय	152	1,740
24	मिजोरम	63	1,813
25	नागालैंड	77	532
26	ओडिशा	2,228	2,088
27	पुडुचेरी	352	469
28	पंजाब	689	23,330
29	राजस्थान	1,622	10,508
30	सिक्किम	153	693
31	तमिलनाडु	4,406	13,240
32	तेलंगाना	1,891	3,353
33	त्रिपुरा	336	1,141
34	उत्तरप्रदेश	2,476	2,448
35	उत्तराखंड	309	4,240
36	पश्चिमी बंगाल	3,189	15,387
	कुल	**44,692**	**252,465**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5633

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

कानूनी सुधार

5633. श्री अनूप संजय धोत्रे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नागरिकों को न्याय व्यवस्था तक पहुंच में सुधार लाने के लिए देरी को दूर करने, लंबित मामलों को कम करने और न्याय वितरण प्रणाली की समग्र दक्षता बढ़ाने की पहल सहित क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण और नीति आयोग की रिपोर्टों में उजागर किया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार समकालीन परिस्थितियों/घटनाओं और उभरती चुनौतियों के साथ तालमेल रखने के लिए व्यापक कानूनी सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करती है और यदि हां, तो मौजूदा कानूनों और विनियमों की समीक्षा करने और उन्हें अद्यतन करने के लिए क्या पहल की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

)क (से) ग : (सरकारसमसामयिकविकासऔरउभरतीचुनौतियोंकेसाथतालमेलबनाएरखनेकेलिएव्यापकविधिकसुधारोंऔरमौजूदाविधियोंऔरविनियमोंकीसमय-समयपरसमीक्षाकीआवश्यकताकोसमझतीहै ।सरकारनेन्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने केलिएमामलोंकेतेजीसेनिपटानकेलिएएकपारिस्थितिकीतंत्रप्रदानकरनेकेलिएकईपहलकीहैं , जोइसप्रकारहैं:-

(i) न्याय वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त ,2011 मेंकीगईथी , जिसकेदोहरेउद्देश्यथे - प्रणालीमेंदेरीऔरबकायाकोकमकरकेपहुंचबढ़ानाऔरसंरचनात्मकपरिवर्तनोंकेमाध्यमसेजवाबदेहीबढ़ानातथाप्रदर्शनमानकोंऔरक्षमताओंकोनिर्धारित करना । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है , जिसमें,अन्यबातोंकेसाथ-साथ,कम्प्यूटरीकरणसहितन्यायालयोंकेलिएबेहतरबुनियादीढांचा , जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंकीस्वीकृतसंख्यामें वृद्धि ,

अत्यधिकमुकदमेबाजीवालेक्षेत्रोंमेंनीतिऔरविधायीउपायऔरमामलोंकेत्वरितनिपटानकेलिएन्यायालय प्रक्रियाकीपुनःइंजीनियरिंगऔरमानवसंसाधनविकासपरजोरदेनाशामिलहै ।

(ii)न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत ,राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंकोन्यायालयकक्षों ,न्यायिकअधिकारियोंकेलिएआवासीयक्वार्टरों ,वकीलोंकेहॉल , शौचालयपरिसरोंऔरडिजिटलकंप्यूटरकक्षोंकेनिर्माणकेलिएधनराशिजारीकीजारहीहै , जिससेवादियोंसहितविभिन्नहितधारकोंकाजीवनआसानहोसकेऔरन्याय प्रदान करने में सहायता मिले । वर्ष 1993- 94मेंन्यायपालिकाकेलिएअवसंरचनासुविधाओंकेविकासकेलिएकेंद्रप्रायोजितयोजना)सीएसएस (कीशुरुआतकेबादसे तारीख28 .02. 2025तक11886 . 29 करोड़रुपयेजारीकिएजाचुकेहैं ।इसयोजनाकेअधीनन्यायालयकक्षोंकीसंख्यातारीख 30.06. 2014को 15, 818सेबढ़करतारीख 28.02. 2025तक22 , 062होगईहैऔरआवासीयइकाइयोंकीसंख्यातारीख 30.06. 2014को10 , 211सेबढ़करतारीख 28.02. 2025तक19 , 775होगईहै ।

(iii)इसकेअलावा ,ई-कोर्टमिशनमोडपरियोजनाकेचरण1और2केतहत , जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंकीआईटीसक्षमताकेलिएसूचनाऔरसंचारप्रौद्योगिकी) आईसीटी (कालाभउठायागयाहै । 2023 तक18 , 735 जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंकोकम्प्यूटरीकृतकियागयाहै ।99 .5% न्यायालयपरिसरोंकोडब्ल्युएएन कनेक्टिविटीप्रदानकीगईहै ।3 , 240न्यायालयपरिसरोंऔर1 , 272 संबंधितजेलोंकेबीचवीडियोकॉन्फ्रेंसिंगसुविधासक्षमकीगईहै ।28 .02. 2025तक ,1572 ई-सेवाएंउपलब्धकराईगईहैं ।जिलान्यायालयोंऔर 39 ई-सेवाकेंद्रोंमेंअधिवक्ताओंऔरवादियोंकोनागरिककेंद्रितसेवाएंप्रदानकरकेडिजिटलडिवाइडकोपाटने केलिएउच्चन्यायालयोंमेंकेंद्रोंकोकार्यात्मकबनायागयाहै । 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंमें 28 वर्चुअलन्यायालयस्थापितकिए गएहैं ।तारीख 28.02. 2025तक ,इनन्यायालयोंने6 . 95 करोड़सेअधिकमामलोंका निपटान कियाहैऔर736 . 11करोड़रुपयेसेअधिककाजुर्मानावसूलकियाहै ।मंत्रिमंडलनेतारीख 13.09. 2023को7 , 210करोड़रुपयेकेपरिव्ययसेई-कोर्टपरियोजनाकेचरण-3कोमंजूरीदीहै ।चरण-1औरचरण-2केलाभोंकोअगलेस्तरपरलेजातेहुए ,ई-कोर्टचरण-3काउद्देश्यडिजिटल , ऑनलाइनऔरपेपरलेसन्यायालयोंकीओरबढ़करन्यायमेंआसानीकीव्यवस्थाशुरूकरनाहै ।इसकाउद्देश्यन्यायवितरणकोसभीहितधारकोंकेलिएउत्तरोत्तरअधिकमजबूत , आसानऔरसुलभबनानेकेलिएआर्टिफिशियलइंटेलिजेंस) एआई(, ब्लॉकचेनआदिजैसीनवीनतमतकनीककोशामिलकरनाहै ।

) iv(सरकारभारत,उच्चतमन्यायालयऔरउच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकेरिक्तपदोंकोनियमितरूपसेभर तीरहीहै ।तारीख 01.05. 2014सेतारीख 31.03. 2025तकउच्चतमन्यायालयमें 67 न्यायाधीशोंकीनियुक्तिकीगई ।इसीअवधिकेदौरानउच्चन्यायालयोंमें 1034 नएन्यायाधीशोंकीनियुक्तिकीगईऔर 794 अतिरिक्तन्यायाधीशोंकोस्थायीकियागया ।उच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकीस्वीकृतसंख्यामई ,2014 में 906 सेबढ़करअबतक 1122 होगईहै ।जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंमेंन्यायिकअधिकारियोंकीस्वीकृतऔरकार्यरतसंख्यामेंनिम्नानुसारवृद्धि हुईहै:

तारीख को	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
31.03.2025	25,791	20,459

स्रोत :न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि ,
जिलाऔरअधीनस्थन्यायपालिकामेंरिक्तियोंकोभरनाराज्य/संघराज्यक्षेत्रसरकारोंऔरसंबंधितउच्चन्यायालयोंकेअधिकारक्षेत्रमेंआताहै ।

(v) अप्रैल ,2 015मेंआयोजितमुख्यन्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में ,पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है । जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियों का गठन किया गया है ।

(vi) चौदहवेंवित्तआयोगकेतत्वावधानमेंजघन्यअपराधों ,वरिष्ठनागरिकों ,महिलाओं , बच्चोंआदिसेजुड़ेमामलोंसेनिपटनेकेलिएफास्टट्रैककोर्टकीस्थापनाकीगईहै ।तारीख 28.02. 2025 तकदेशभरमें 857 फास्टट्रैककोर्टकार्यरतहैं ।निर्वाचितसांसदों/विधायकोंसेजुड़ेआपराधिकमामलोंकोफास्टट्रैककरनेकेलिएनौ) 9 (राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंमेंदस) 10 (विशेषन्यायालयकार्यरतहैं ।इसकेअतिरिक्तकेंद्रीयसरकारनेबलात्कारऔरपॉक्सोअधिनियमकेलंबितमामलोंकेशीघ्रनिपटारेके लिएदेशभरमेंफास्टट्रैकविशेषन्यायालय) एफटीएससी (स्थापितकरनेकीयोजनाकोमंजूरीदीहै ।तारीख 28.02. 2025तकदेशभरके 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंमें 404 विशेषपॉक्सो)ईपॉक्सो (न्यायालयोंसहित 745 एफटीएससीकार्यरतहैं ,जिन्होंने3 ,13, 000 सेअधिकमामलोंकानिपटाराकियाहै ।

(vii) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को सुचारू करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है ,जैसे कि परक्राम्य लिखत)संशोधन (अधिनियम , 2018, वाणिज्यिकन्यायालय)संशोधन (अधिनियम ,2018, विशिष्टअनुतोष)संशोधन (अधिनियम , 2018, मध्यस्थम् और सुलह)संशोधन(अधिनियम ,2019 औरदंड विधि) संशोधन (अधिनियम , 2018 ।

(viii) वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है । तदनुसार , वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम ,2015 कोअगस्त ,2018 मेंसंशोधितकियागयाथा ,जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता)पीआईएमएस (आज्ञापक हो गया ।पीआईएमएसतंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए ,सरकार ने मध्यकता अधिनियम ,2023 केमाध्यमसेवाणिज्यिकन्यायालयअधिनियम ,2015 मेंऔरसंशोधनकियाहै । विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम ,1996 मेंवर्ष2015, 2019 और 2021में संशोधन किए गए हैं ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम ,2015 केअधीन ,केस प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल ,प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके । यह, तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान ,मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है ।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक और नई विशेषता, रंग बैंडिंग की प्रणाली है ,जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है और न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है ।

(ix) लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है । यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण)एलएसए (

अधिनियम ,1987 केअधीन ,लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती । लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है । राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों ,जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाती हैं ।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है- :

वर्ष	**मुकदमे-पूर्व मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

(x) सरकार ने वर्ष 2017में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया ,जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर)सीएससी (पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ,टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**%वारब्रेक अप**	**दी गई सलाह**	**%वार ब्रेक अप**
लिंग-वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणी-वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
अन्य पिछड़ा वर्ग	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*डेटा तारीख28.02.2025 तक.

(xi) देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं । एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है,**जहां प्रोबोनोकार्यकेलिएअपनासमयऔरसेवा**एं**देनेवालेअधिवक्तान्यायबंधु)एंड्रॉइडऔरआईओएसऔरऐप्स (परप्रोबोनोअधिवक्ताकेरूप**मेंरजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं ।राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**स्तरपर**23**उच्चन्यायालयोंमेंअधिवक्ताओंकाप्रोबोनोपैनलशुरूकियागयाहै ।नवोदितवकीलोंमेंप्रोबोनोसंस्कृतिकोबढ़ावादेनेकेलिए**109**लॉस्कूलों**में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं ।

******

122

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5634

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

एनएएलएसए के तहत कानूनी सहायता सेवाएं

5634. डॉ. बायरेड्डी शबरी :
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के अंतर्गत मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की राज्यवार और श्रेणीवार (एससी, एसटी, महिलाएं, बच्चे, बरिष्ठ नागरिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 2019 से एनएएलएसए और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) के अंतर्गत कानूनी सहायता सेवाओं के लिए आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में कानूनी सहायता सेवाओं के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो ऐसे आकलनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितने कानूनी सहायता क्लीनिकों और लोक अदालतों की स्थापना की गई और उनके मामलों के निपटान की दर क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार की मोवाइल कानूनी सहायता सेवाओं का विस्तार करने अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) को सुदृढ़ करने के किन्हीं प्रस्तावों सहित कानूनी सहायता पहुंच में वृद्धि करने की योजना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क):पिछले पांच वर्षों; 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्रमशः **उपाबंध- क1, क2, क3, क4 और क5** में है ।

(ख): 2019 से नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) के अधीन विधिक सहायता सेवाओं के लिए आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई निधियां वर्ष-वार निम्नानुसार है:-

करोड़ रुपये में

वित्तीयवर्ष	**आवंटित निधि**	**स्वीकृतनिधि**	**उपयोगकीगईनिधि#**
2019-20	140.00	140.00	142.50
2020-21	100.00	100.00	100.06
2021-22	145.00	145.00	145.96
2022-23	190.00	190.00	193.09
2023-24	200.00 (राष्ट्रीयविधिकसहायतानिधि)	194.50	199.31
	200.00	200.00	199.97

	(विधिकसहायताबचावपरामर्शप्रणालीस्कीम)		
2024-25	200.000 (राष्ट्रीयविधिकसहायतानिधि)	200.000	*199.92
	147.925 (विधिकसहायताबचावपरामर्शप्रणालीस्कीम)	147.925	147.925

*तारीख 29.03.2025 तक
#इस रकम में किसी न्यायालय के आदेश के अधीन या एलएसए अधिनियम, 1987 के अधीन किसी अन्य स्रोत से प्राप्त 'लागत प्राप्तियां' शामिल हैं।

(ग):राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एलएसएअधिनियम 1987 के अधीन एक कानूनी निकाय है।नालसानियमित रूप से विधिक सहायता सेवाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए पूरे भारत में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। इसके साथ ही, विधिक सहायता संस्थानों के समग्र कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों की अखिल भारतीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों के दौरान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के पदाधिकारी विधिक सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता पर बहुमूल्य फीडबैक प्रदान करते हैं।

(घ):पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**विधिकसहायताक्लीनिकोंकीसंख्या**
2022-23	11711
2023-24	11384
2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	12647

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा आयोजित लोक अदालतों, प्राप्त मामलों और निपटाएं गए मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः **उपाबंध-ख**, **उपाबंध-ग**और**उपाबंध-घ** में दिया गया है।

(ड.):नालसा विधिक सहायता सेवाओं की आउटरीच और पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है, जिसमें जरूरतमंद लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों को शामिल किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रयास*सुहास चकमा बनाम भारत संघ*मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद किया गया थाजिसमें नालसा ने पूरे देश में अपने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर, 15100 को प्रचारित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए। इस पहल में नंबर को विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर रखना शामिल था ताकि अधिकतम दृश्यता हो और यह सुनिश्चित हो सके कि व्यक्ति, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों के लोग, आसानी से विधिक सहायता प्राप्त कर सकें। नालसा एसएलएसए और डीएलएसए को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए निरंतर सहायता प्रदान करता है।

****

उपाबंध-क1

नालसा के अधीन विधिक सहायता सेवाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5634, जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

वर्ष 2020-2021 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण							
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**महिला**	**बच्चे**	**सामान्य (जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक न हो)**	**कुल**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	14	0	0	14
2	आंध्र प्रदेश	56	16	239	7	246	564
3	अरुणाचल प्रदेश	181	787	719	11	23	1721
4	असम	86	151	2467	111	744	3559
5	बिहार	1132	260	3622	535	1358	6907
6	चंडीगढ़	14	0	530	121	175	840
7	छत्तीसगढ	2364	7642	1580	169	5682	17437
8	दादरा और नागर हवेली	0	1	8	0	0	9
	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	356	12	10605	853	2785	14611
10	गोवा	2	0	478	1	110	591
11	गुजरात	545	326	2588	162	1000	4621
12	हरियाणा	265	0	3253	133	1188	4839
13	हिमाचल प्रदेश	165	15	1111	27	286	1604
14	जम्मू-कश्मीर	384	153	1951	393	1845	4726
15	झारखंड	4964	4324	8132	2118	2584	22122
16	कर्नाटक	4121	2684	4369	205	1066	12445
17	केरल	529	182	4240	338	2415	7704
18	लद्दाख	3	5	0	0	40	48
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	9471	9861	17950	5448	6445	49175
21	महाराष्ट्र	1127	543	4640	147	2528	8985
22	मणिपुर	1265	6575	4805	927	1385	14957
23	मेघालय	125	1038	273	25	37	1498
24	मिजोरम	16	854	288	2	0	1160
25	नागालैंड	290	2036	647	207	209	3389
26	ओडिशा	662	414	1689	23	656	3444
27	पुडुचेरी	11	0	74	70	33	188
28	पंजाब	2508	5	6428	207	3932	13080
29	राजस्थान	98	46	519	5540	299	6502
30	सिक्किम	11	62	316	21	46	456
31	तमिलनाडु	864	248	4452	163	3044	8771
32	तेलंगाना	49	13	646	9	362	1079
33	त्रिपुरा	176	158	1085	34	248	1701
34	उत्तर प्रदेश	343	5	620	107	303	1378
35	उत्तराखंड	69	49	722	8	250	1098
36	पश्चिमी बंगाल	1083	599	4594	368	6271	12915

	कुल	33335	39064	95654	18490	47595	234138

उपाबंध-क2

नालसा के अधीन विधिक सहायता सेवाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5634, जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

वर्ष 2021-2022 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	बच्चे	सामान्य (जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक न हो)	कुल
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	22	0	2	24
2	आंध्र प्रदेश	133	43	725	26	684	1611
3	अरुणाचल प्रदेश	242	821	740	114	28	1945
4	असम	7822	14017	10352	2478	23381	58050
5	बिहार	15335	517	18372	7525	63666	105415
6	चंडीगढ़	17	0	744	131	326	1218
7	छत्तीसगढ	3753	8459	6821	663	4902	24598
8	दादरा और नागर हवेली	1	2	12	0	0	15
	दमण और दीव	1	0	13	0	0	14
9	दिल्ली	723	7	16496	2857	7366	27449
10	गोवा	3	3	495	4	309	814
11	गुजरात	1354	773	6074	259	3755	12215
12	हरियाणा	730	0	5516	206	2420	8872
13	हिमाचल प्रदेश	351	69	2510	63	772	3765
14	जम्मू-कश्मीर	211	331	2474	119	2100	5235
15	झारखंड	15346	28628	63113	11570	46194	164851
16	कर्नाटक	5835	5767	5975	315	1200	19092
17	केरल	1037	253	7261	643	3130	12324
18	लद्दाख	48	1479	325	43	0	1895
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	819053	1096264	316946	137320	480489	2850072
21	महाराष्ट्र	1656	785	9366	359	4105	16271
22	मणिपुर	1558	7212	6648	1174	1201	17793
23	मेघालय	21	698	447	204	59	1429
24	मिजोरम	104	1700	414	43	17	2278
25	नागालैंड	471	3934	1763	649	396	7213
26	ओडिशा	1187	1095	2299	23	1127	5731
27	पुडुचेरी	30	3	161	135	61	390
28	पंजाब	2429	7	8184	254	5976	16850
29	राजस्थान	144	51	897	5070	472	6634
30	सिक्किम	29	100	425	26	67	647
31	तमिलनाडु	1281	299	7279	270	5887	15016
32	तेलंगाना	89	33	1244	46	1426	2838
33	त्रिपुरा	246	154	1490	36	390	2316
34	उत्तर प्रदेश	5983	6	27452	98	4675	38214
35	उत्तराखंड	142	22	1060	37	471	1732
36	पश्चिमी बंगाल	2066	693	7093	1128	7933	18913

	कुल	889431	1174225	541208	173888	674987	3453739

उपाबंध-क3

नालसा के अधीन विधिक सहायता सेवाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5634, जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

वर्ष 2022-2023 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	बच्चे	सामान्य (जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक न हो)	कुल
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	1	0	34	0	2	37
2	आंध्र प्रदेश	202	65	1012	72	1106	2457
3	अरुणाचल प्रदेश	460	1671	1234	10	35	3410
4	असम	1184	2084	4070	682	2627	10647
5	बिहार	10344	1347	17148	6912	1699	37450
6	चंडीगढ़	10	0	956	121	338	1425
7	छत्तीसगढ	3698	7842	4672	372	4514	21098
8	दादरा और नागर हवेली	1	0	18	0	0	19
	दमण और दीव	4	2	9	0	1	16
9	दिल्ली	1341	36	19175	523	9849	30924
10	गोवा	7	56	772	7	597	1439
11	गुजरात	2494	1369	7712	381	5298	17254
12	हरियाणा	645	0	5618	246	2074	8583
13	हिमाचल प्रदेश	436	78	2590	181	779	4064
14	जम्मू-कश्मीर	503	308	2110	175	912	4008
15	झारखंड	9387	12339	19712	5331	492	47261
16	कर्नाटक	4642	2846	8129	359	2053	18029
17	केरल	681	210	9567	1026	2397	13881
18	लद्दाख	10	357	160	12	13	552
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	14819	14597	32930	19048	10467	91861
21	महाराष्ट्र	2077	760	11930	424	4774	19965
22	मणिपुर	1090	9300	7413	1491	1100	20394
23	मेघालय	22	1134	327	49	81	1613
24	मिजोरम	14	1990	642	0	95	2741
25	नागालैंड	406	3271	1369	472	324	5842
26	ओडिशा	1121	838	2534	17	890	5400
27	पुडुचेरी	23	0	180	197	77	477
28	पंजाब	3912	37	11607	292	8459	24307
29	राजस्थान	212	75	1122	6352	591	8352
30	सिक्किम	22	95	376	18	79	590
31	तमिलनाडु	2093	302	9682	201	6599	18877
32	तेलंगाना	117	45	1423	172	1579	3336
33	त्रिपुरा	417	447	2010	128	700	3702
34	उत्तर प्रदेश	5265	2	1569	156	3053	10045
35	उत्तराखंड	122	16	1001	36	482	1657
36	पश्चिमी बंगाल	2587	1370	9680	1054	11332	26023
	कुल	**70369**	**64889**	**200493**	**46517**	**85468**	**467736**

<u>उपाबंध-क4</u>

नालसा के अधीन विधिक सहायता सेवाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5634, जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

वर्ष 2023-2024 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	बच्चे	सामान्य (जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक न हो)	कुल
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	42	0	14	56
2	आंध्र प्रदेश	318	75	983	61	1128	2565
3	अरुणाचल प्रदेश	628	2006	1453	84	41	4212
4	असम	1254	3098	6168	2366	8922	21808
5	बिहार	7306	1270	15307	6889	2575	33347
6	चंडीगढ़	15	0	1355	238	692	2300
7	छत्तीसगढ	6884	12701	9621	544	8489	38239
8	दादरा और नागर हवेली	2	6	21	0	0	29
	दमण और दीव	4	2	14	1	4	25
9	दिल्ली	1705	16	22631	2761	12984	40097
10	गोवा	6	4	790	4	480	1284
11	गुजरात	3825	2716	11560	565	7981	26647
12	हरियाणा	1568	0	7818	468	3151	13005
13	हिमाचल प्रदेश	547	143	3195	90	897	4872
14	जम्मू-कश्मीर	757	398	4082	510	2759	8506
15	झारखंड	21387	27451	47687	14730	2534	113789
16	कर्नाटक	6751	3876	11955	932	3210	26724
17	केरल	2789	441	15812	3899	5822	28763
18	लद्दाख	29	333	105	3	0	470
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	30163	25563	41291	19955	20759	137731
21	महाराष्ट्र	2298	635	17566	964	5823	27286
22	मणिपुर	751	8585	7621	2487	2881	22325
23	मेघालय	27	716	490	68	81	1382
24	मिजोरम	4	2528	537	62	62	3193
25	नागालैंड	373	2342	557	137	510	3919
26	ओडिशा	1375	1073	3264	39	1967	7718
27	पुडुचेरी	26	0	181	256	49	512
28	पंजाब	5287	28	13714	419	9968	29416
29	राजस्थान	333	132	1337	6274	938	9014
30	सिक्किम	32	118	553	18	127	848
31	तमिलनाडु	1881	782	10962	178	7186	20989
32	तेलंगाना	131	66	2066	334	3198	5795
33	त्रिपुरा	795	831	3732	286	1610	7254
34	उत्तर प्रदेश	2776	83	2487	1654	4964	11964
35	उत्तराखंड	626	215	2358	846	1570	5615
36	पश्चिमी बंगाल	5020	2590	14423	1404	18516	41953

	कुल	107673	100823	283738	69526	141892	703652

उपाबंध-क5

नालसा के अधीन विधिक सहायता सेवाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5634, जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (दिसंबर, 2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	बच्चे	सामान्य (जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक न हो)	कुल
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	56	0	18	74
2	आंध्र प्रदेश	120	10	455	70	553	1208
3	अरुणाचल प्रदेश	482	963	593	46	10	2094
4	असम	265	315	1878	110	2646	5214
5	बिहार	105	28	283	159	188	763
6	चंडीगढ़	14	0	521	78	196	809
7	छत्तीसगढ	537	421	1409	67	337	2771
8	दादरा और नागर हवेली	1	4	20	0	0	25
	दमण और दीव	5	3	19	2	6	35
9	दिल्ली	912	16	11989	2186	5012	20115
10	गोवा	9	17	483	4	247	760
11	गुजरात	1114	387	4958	861	2521	9841
12	हरियाणा	371	0	3653	230	1248	5502
13	हिमाचल प्रदेश	377	70	2225	88	507	3267
14	जम्मू-कश्मीर	82	54	1506	70	360	2072
15	झारखंड	155	356	539	66	210	1326
16	कर्नाटक	531	147	1680	147	735	3240
17	केरल	952	342	5159	1008	2177	9638
18	लद्दाख	0	16	58	5	0	79
19	लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	1
20	मध्य प्रदेश	1243	1132	2927	313	1061	6676
21	महाराष्ट्र	891	241	6833	422	2329	10716
22	मणिपुर	0	10	115	2	97	224
23	मेघालय	12	408	351	72	105	948
24	मिजोरम	26	1015	320	19	0	1380
25	नागालैंड	59	237	51	0	50	397
26	ओडिशा	100	45	737	32	138	1052
27	पुडुचेरी	25	0	117	183	47	372
28	पंजाब	1497	0	5713	239	3324	10773
29	राजस्थान	126	46	702	4182	375	5431
30	सिक्किम	13	105	343	17	88	566
31	तमिलनाडु	561	111	2545	177	1889	5283
32	तेलंगाना	110	43	641	8	436	1238
33	त्रिपुरा	42	60	609	51	130	892
34	उत्तर प्रदेश	166	0	119	30	445	760
35	उत्तराखंड	75	10	816	39	265	1205
36	पश्चिमी बंगाल	269	117	2582	828	1657	5453
	कुल	**11247**	**6730**	**63005**	**11811**	**29407**	**122200**

उपाबंध-ख

नालसा के अधीन विधिक सहायता सेवाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5634, जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

अंतिम तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2022, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में प्राप्त और निपटाए गए मामलों (दोनों मुकदमेबाजी पूर्व और लंबित मामले) की जानकारी वाला विवरण ।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**2022**		**2023**		**2024**	
		प्राप्त मामले	**निपटाए गए मामले**	**प्राप्त मामले**	**निपटाए गए मामले**	**प्राप्त मामले**	**निपटाए गए मामले**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	5555	3310	5933	1536	7594	2976
2	आंध्र प्रदेश	1026449	647956	982779	671612	497317	262449
3	अरुणाचल प्रदेश	7938	1071	6837	990	8028	1771
4	असम	707744	113989	963744	164445	1079328	179325
5	बिहार	2594655	305483	2868992	357765	3183423	355600
6	चंडीगढ़	77646	15569	96578	63764	59511	36743
7	छत्तीसगढ	1539971	1125318	2105736	1664237	5141101	4634630
8	दादरा और नागर हवेली	4343	1323	8456	982	8228	724
	दमण और दीव	1959	215	43579	19650	23371	8234
9	दिल्ली	617852	535025	817332	671278	852367	665892
10	गोवा	24461	3934	23018	3505	26816	4052
11	गुजरात	2731581	1185571	3926438	1863177	4410203	2161033
12	हरियाणा	1100069	673487	1343620	985650	1834082	1376486
13	हिमाचल प्रदेश	255681	111150	368230	150181	365995	182024
14	जम्मू-कश्मीर	459202	390496	530332	404665	727975	679992
15	झारखंड	1386756	1121405	3053483	2822947	5375328	5171277
16	कर्नाटक	5167842	3444607	17195581	14840452	15925526	14369064
17	केरल	395978	136101	285372	57726	311233	59020
18	लद्दाख	1948	1444	2796	1781	3026	2150
19	लक्षद्वीप	318	129	107	41	183	42
20	मध्य प्रदेश	3125248	419776	3489492	536105	3389490	499888
21	महाराष्ट्र	34223486	4754239	27444014	3543736	58086210	4675264
22	मणिपुर	1905	1343	636	437	1161	1003
23	मेघालय	5318	956	4277	680	4506	915
24	मिजोरम	13529	4432	10757	4087	6745	1230
25	नागालैंड	3229	888	2566	801	2911	1021
26	ओडिशा	821017	337065	898167	348288	1323513	758705
27	पुडुचेरी	21110	6405	23240	6297	25497	4331
28	पंजाब	824437	392256	1140074	760712	1524941	1161869
29	राजस्थान	6685251	4572315	19870336	16586071	15188298	12303117
30	सिक्किम	402	232	263	126	246	129
31	तमिलनाडु	840700	447536	704748	355762	769962	338520
32	तेलंगाना	1622035	1611677	5634105	5591849	14750839	14693814
33	त्रिपुरा	30126	4814	50635	15724	79365	42910
34	उत्तर प्रदेश	30114718	18698973	47350615	31644594	48137476	38487330
35	उत्तराखंड	100809	67438	116672	85032	98566	86813
36	पश्चिमी बंगाल	1078663	788082	1445470	1115532	1739032	1315776
	कुल योग	**97619931**	**41926010**	**142815010**	**85342217**	**184969393**	**104526119**

उपाबंध-ग

नालसा के अधीन विधिक सहायता सेवाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5634, जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

अंतिम तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य लोक अदालत में प्राप्त और निपटाए गए मामलों (दोनों मुकदमेबाजी पूर्व और लंबित मामले) की जानकारी वाला विवरण ।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**2022-23**			**2023-24**			**2024-25 (दिसंबर, 2024 तक)**		
		गठित पीठों की संख्या	**प्राप्त मामले**	**निपटाए गए मामले**	**गठित पीठों की संख्या**	**प्राप्त मामले**	**निपटाए गए मामले**	**गठित पीठों की संख्या**	**प्राप्त मामले**	
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	4999	16380	6720	80	3511	1825	0	0	0

130

3	अरुणाचल प्रदेश	1	5	4	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	9	576	574	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	30	6536	538	32	5455	1413	0	0	0
7	छत्तीसगढ	124	1487	139	0	0	0	0	0	0
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	60	15773	11094	198	131178	123151	184	149892	142568
10	गोवा	43	5094	1308	13	1109	245	8	1969	329
11	गुजरात	3805	95554	19717	12	11311	244	2137	24572	9108
12	हरियाणा	43135	420041	230018	92	37733	29196	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	142	6798	4198	59	2968	2880	38	1457	1447
14	जम्मू-कश्मीर	225	88719	76683	134	31572	28170	242	32853	29115
15	झारखंड	1523	15668	10868	1495	39685	33718	877	1087296	796828
16	कर्नाटक	229	35802	2632	0	0	0	0	0	0
17	केरल	607	85191	23246	657	108894	26231	428	39532	9515
18	लद्दाख	4	294	240	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	3	32	3	1	2	1	1	4	2
20	मध्य प्रदेश	1242	14064	5367	1472	60425	48996	835	7609	1752
21	महाराष्ट्र	30	2954	341	38	6432	580	4	21	1
22	मणिपुर	4	91	43	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	41	3855	1202	12	273	94	48	1779	524
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	6	135624	112422	3	284068	244230	0	0	0
27	पुडुचेरी	47	13781	743	38	10770	492	17	6845	266
28	पंजाब	6	20	15	154	6133	2268	0	0	0
29	राजस्थान	1202	35255	1628	1086	40751	1039	723	22919	687
30	सिक्किम	150	1513	887	143	1111	784	104	918	515
31	तमिलनाडु	1295	119811	16369	1336	196315	34744	306	54461	3466
32	तेलंगाना	2604	32367	25365	2474	177182	171817	1718	31254	13897
33	त्रिपुरा	19	8033	2492	62	39021	25637	35	19798	13080
34	उत्तर प्रदेश	30	1768325	259125	172	1020023	411941	224	151801	59246
35	उत्तराखंड	125	56459	26498	102	37193	17407	59	13536	5675
36	पश्चिमी बंगाल	454	17167	10830	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**62194**	**3003269**	**851309**	**9865**	**2253115**	**1207103**	**7988**	**1648516**	**1088021**

उपाबंध-घ

नालसा के अधीन विधिक सहायता सेवाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5634, जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

अंतिम तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य लोक अदालत में प्राप्त और निपटाए गए मामलों (दोनों मुकदमेबाजी पूर्व और लंबित मामले) की जानकारी वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2022-23			2023-24			2024-25 (दिसंबर, 2024 तक)		
		गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1058	387	558	1349	1479	1134	935	1010	1083
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	213	66	56	195	133	97	108	40	19
5	बिहार	313	235	157	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	241	7563	10945	239	11322	11511	163	7424	7117
7	छत्तीसगढ	1224	2003	2028	1174	6899	6749	753	7654	5559
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	773	18288	18682	781	19682	19337	527	14110	13917
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	4	479	53
11	गुजरात	1	8	8	0	0	0	0	0	0
12	हरियाणा	3416	70102	72440	3659	101318	107362	2391	45375	33664
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	झारखंड	6216	30114	26154	5826	29779	35715	3777	18844	16872
16	कर्नाटक	904	7338	4588	603	4709	4190	894	3975	5594
17	केरल	226	369	2564	415	262	1527	246	248	359
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	1176	514	608	1071	264	409	602	154	207
21	महाराष्ट्र	1017	1370	1208	1023	779	485	656	467	714
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	753	1358	1612	1041	1344	1891	777	1541	1200
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	4902	12907	14545	4969	21521	20279	3328	13427	12047
29	राजस्थान	4435	4804	5072	4230	5382	5799	3416	3493	3168
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	1121	597	528	1119	439	427	706	312	314
32	तेलंगाना	118	14101	7540	104	12136	12746	47	5867	7086
33	त्रिपुरा	70	165	162	97	152	157	77	155	121
34	उत्तर प्रदेश	3720	2637	1173	4476	2713	2516	2513	1278	1164
35	उत्तराखंड	590	832	510	649	411	432	474	405	385
36	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**32487**	**175758**	**171138**	**33020**	**220724**	**232763**	**25148**	**159577**	**161277**

****

132

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5644

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में संरचनात्मक समस्या

5644. श्री आदित्य यादव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायपालिका को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक समस्याओं जैसे लंबित मामलों, पुरातन प्रक्रियाओं और स्थगन की संस्कृति का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : संरचनात्मक मुद्दे, जैसे कि मामलों का लंबन, अप्रचलित प्रक्रियाएं तथा स्थगन की संस्कृति न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार की संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अनिवार्य रूप से मामलों के त्वरित निपटान तथा लंबन को कम करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता है। इस ओर, सरकार ने न्यायपालिका के द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितकी तंत्र का उपबंध करने के लिए अनेकों पहल की हैं, जो निम्नानुसार है:-

i.न्याय परिदान तथा विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन अगस्त, 2011 में दो उद्देश्यों, प्रणाली में विलंब तथा बकाया को कम करने के द्वारा सुगम्यता में वर्धन और निष्पादन मानकों तथा क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में बढ़ोतरी के लिए स्थापित किया गया था। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकायों तथा लंबन के चरणबद्ध परिनिर्धारण के लिए समन्वयित दृष्टिकोण को चला रहा है, जो अन्य बातों के साथ, न्यायालयों, जिसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, स्वीकृत संख्या में वृद्धि तथा अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति तथा विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर भी है, के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित करता है।

ii.न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, अधिवक्ता हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष, जो विभिन्न पणधारियों, जिसके अंतर्गत मुवक्किल, भी है, को न्याय परिदान में सहायता के लिए उनका जीवन सुगम बनाता है, के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की जा रही हैं।

28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ से 11,886.29 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन, 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार, न्यायालय हॉल की संख्या 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 को 22,062 हो गई है तथा 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार आवासीय युनिटों की संख्या 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 को 19,775 हो गई है।

iii.और, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-1 और चरण-2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के आईटी सामर्थ्य के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय कंप्यूटरीकृत हुए थे। 99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यूएएन (WAN) कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। 3,240 न्यायालय परिसरों तथा 1,272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा समर्थ कर दी गई है। 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, जिला न्यायालयों में 1,572 ई-सेवा केंद्र तथा उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र कार्यात्मक किए गए हैं, जिससे अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को नागरिक केंद्रीक सेवाएं प्रदान करने के द्वारा डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, इन न्यायालयों ने 6.95 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान किया है तथा 736.11 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला है। 13.09.2023 को मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपए के परिव्यय पर ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 का अनुमोदन किया है। चरण-1 तथा चरण-2 के अभिलाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-3 डिजिटल, ऑनलाइन तथा कागजविहीन न्यायालयों की ओर बढ़ने के द्वारा न्याय की सुगमता को बढ़ाने की व्यवस्था प्रारंभ करने का उद्देश्य रखता है। यह नवीनतम प्रौद्योगिकी, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन, आदि निगमित करने का आशय करता है, जिससे सभी पणधारियों को प्रगतिशील न्याय परिदान और अधिक सख्त, आसान तथा सुगम्य बनाया जा सके।

iv.सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां नियमित आधार पर भर रही है। 01.05.2014 से 31.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। उसी अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में 1,034 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 794 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए थे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर अब तक 1,122 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत तथा कार्यरत संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:-

आज तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
31.03.2025	25,791	20,459

स्रोतः न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरना, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा संबद्ध उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आता है।

v.अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों की स्थापना की जा चुकी है। बकाया समितियों की स्थापना जिला न्यायालयों के अधीन भी की गई है।

vi.14वें वित्तीय आयोग के संरक्षण के अधीन त्वरित निपटान न्यायालय, जघन्य अपराधों के मामलों, मामले जिनके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक, महिला, बालक आदि भी हैं, के व्यौहार के लिए स्थापित किए गए थे। 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देशभर में 857 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यात्मक हैं।

त्वरित निपटान दंड मामलों, जिनके अंतर्गत निर्वाचित संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य भी हैं, के निपटान के लिए नौ(9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस(10) विशेष न्यायालय कार्यात्मत हैं। और, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग तथा पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए स्कीम अनुमोदित की है। 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देशभर में 745 एफटीएससी, जिसके अंतर्गत 404 अनन्य रूप से पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालय 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यात्मक हैं, जिनमें 3,13,000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया है।

vii. न्यायालयों के लंबन को कम करने तथा अनवरूधता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न विधियों, जैसे पराक्रम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019, का संशोधन किया है।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों का पूरे दिल से संवर्धन किया गया है। तद्नुसार, अगस्त, 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामलों में पूर्व-संस्था मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) को अनिवार्य बनाया जा सके। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का और संशोधन किया है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 1996 में विवादों के त्वरित निपटान की शीघ्रता के लिए वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए गए हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन मामला सुनवाई प्रबंधन के लिए एक उपबंध है, जो मामले के दक्ष, प्रभावी तथा प्रयोजनपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए के उपबंध करता है, ताकि विवादों का समयबद्ध और पारिमाणिक समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की, मामले की जीवन अवधि के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवादों के समाधान की संभावना की खोज में, असमय पहचान में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए पुरःस्थापित एक और नूतन विशेषता कलर बैंडिंग की प्रणाली है, जो स्थगन की संख्या को सीमित करती है, जिसे किसी वाणिज्यिक विषय में तीन को अनुदत्त किया जा सकता है तथा न्यायाधीशों को उनके लंबन की स्थिति के अनुसार, मामलों के सूचीकरण के बारे में सतर्क करता है।

ix. लोक अदालत, आम जनता को उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिन विवाद समाधान तंत्र है। यह ऐसा मंच है, जहां विधि के न्यायालय या मुकदमेबाजी-पूर्व अवस्था में लंबित विवादों और मामलों को सौहार्दपूर्णतया निपटाया जाता/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत द्वारा दिए गए पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाता है तथा वह अंतिम होती है और सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है और उसके विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत स्थायी स्थापन नहीं है। सभी ताल्लुक/जिला और उच्च न्यायालयों में पूर्व-नियत तारीख पर एक ही समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

अंतिम चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	**मुकदमेबाजी-पूर्व मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037

2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
योग	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

x.सरकार ने 2017 में, टेली-विधि कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों और टेली-विधि मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरभाष तथा चैट सुविधाओं के द्वारा पैनल के अधिवक्ताओं से विधिक सलाह तथा परामर्श लेने वाले जरूरतमंद तथा अहितकर वर्गों को जोड़ने वाले प्रभावी तथा विश्वस्त ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म का उपबंध करता है।

* टेली-विधि डाटा का प्रतिशत-वार ब्रेक अप

प्रवर्ग	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**प्रतिशत-वार ब्रेक अप**	**सलाह समर्थ**	**प्रतिशत-वार ब्रेक अप**
लिंग वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरूष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति प्रवर्ग वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
ओबीसी	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अ.जा.	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
आ.ज.जा.	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
योग	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*28.02.2025 को यथास्थिति डाटा

xi.देश में निःस्वार्थ संस्कृति तथा निःस्वार्थ वकालत के संस्थाकरण के लिए प्रयास किए गए हैं। एक प्रौद्योगिक ढांचा खड़ा किया गया है, जहां अधिवक्ता स्वेच्छा से निःस्वार्थ कार्य के लिए उनका समय और सेवाएं दे सकते हैं और न्यायबंधु (एन्ड्रॉइड और आईओएस तथा ऐप्स) पर निःस्वार्थ अधिवक्ताओं के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्यायबंधु सेवाएं उमंग मंच पर भी उपलब्ध हैं। अधिवक्ताओं का निःस्वार्थ पैनल राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है। उदीयमान अधिवक्ताओं के मन में निःस्वार्थ संस्कृति को बैठाने के लिए 109 विधि विद्यालयों में निःस्वार्थ क्लब आरंभ किए जा चुके हैं।

****

136

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5649

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी

5649. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या न्यायाधीशों की कमी के कारण न्यायालयों में लंबित मामलों में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का बिहार में महिलाओं के लिए विधि महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ):संवैधानिकन्यायालयोंकेन्यायाधीशोंकीनियुक्तिकार्यपालिकाऔरन्यायपालिकाकेबीचएकसतत, एकीकृतऔरसहयोगात्मकप्रक्रियाहै।इसकेलिएराज्यऔरकेंद्रदोनोंस्तरोंपरविभिन्नसंवैधानिकप्राधिकरणोंसेपरामर्शऔरअनुमोदनकीआवश्यकताहोतीहै।

उच्चतमन्यायालयऔरउच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकीनियुक्तियांसंविधानकेअनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 औरअनुच्छेद 224 द्वाराशासितहोतीहैं।एमओपीकेअनुसार, उच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकीनियुक्तिकेप्रस्तावकीशुरुआतसंबंधितउच्चन्यायालयकेमुख्यन्यायमूर्तिकेपासहोतीहै।उच्चन्यायालयकेमुख्यन्यायमूर्तिकोरिक्तिहोनेसेछहमहीनेपहलेउच्चन्यायालयकेन्यायाधीशकीरिक्तिकोभरनेकेप्रस्तावकोआरंभकरनाआवश्यकहै।उच्चन्यायालयकॉलेजियमद्वारासिफारिश किए गएसभीनामसरकारकेविचारोंकेसाथउच्चतमन्यायालयकॉलेजियम (एससीसी) कोसलाहकेलिएभेजेजातेहैं।केवलवेव्यक्ति, जिनकोएससीसीद्वारासिफारिशकियाजाताहै, उच्चन्यायालयोंकेन्यायाधीशकेरूपमेंनियुक्तकिएजातेहैं।01.04.2025 तक, उच्चन्यायालयोंमें 1122 न्यायाधीशोंकीस्वीकृतपदोंकेमुकाबले 766 न्यायाधीशकामकररहेहैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम से 216 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी प्राप्त होनी शेष हैं।मई 2014 से 04.02.2025

तकउच्चतमन्यायालयमें 67 न्यायाधीशनियुक्तकिएगएहैंऔरविभिन्नउच्चन्यायालयोंमें 1034 न्यायाधीशनियुक्तकिएगएहैं।

भारतीयसंविधानकेअनुच्छेद 233 औरअनुच्छेद 234 केअनुसारजिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंमेंनियुक्तियाँराज्यसरकारोंऔरउच्चन्यायालयोंकेअधिकारक्षेत्र मेंआतीहैं।भर्तीप्रक्रियाराज्यसरकारोंद्वाराउच्चन्यायालयोंकेपरामर्शसेबनाएगएनियमोंद्वाराशासितहोतीहै , जोमलिकमज़हरसुल्तानमामलेमेंजनवरी 2007 केआदेशकेअनुसारमाननीयउच्चतमन्यायालयद्वारानिर्धारितसमयसीमाकापालनकरतीहै।

न्यायालयोंमेंलंबितमामलोंकीसंख्यामेंवृद्धिकाएकमात्रकारणन्यायाधीशोंकीरिक्तियांनहींहैं।न्यायालयोंमेंलंबितमामलोंकेकईकारणहैं, जिनमेंभौतिकअवसंरचनाऔरसहायकन्यायालयकर्मचारियोंकीउपलब्धता, शामिलतथ्योंकीजटिलता, साक्ष्यकीप्रकृति, पणधारियों जैसेबार, अन्वेषणएजेंसियों, गवाहोंऔरमुवक्किलों कासहयोगऔरनियमोंऔरप्रक्रियाओंकाउचितअनुप्रयोगशामिलहैं।मामलोंकेनिपटानमेंदेरीकरनेवाले अन्यकारकोंमेंविभिन्नप्रकारकेमामलोंकेनिपटानकेलिएसंबंधितन्यायालयोंद्वाराविहितसमयसीमाकाअभाव, बार-बारस्थगनऔरसुनवाईकेलिएमामलोंकीनिगरानी, ट्रैकऔरसमूहीकरणकेलिएपर्याप्तव्यवस्थाकाअभावशामिलहै।

(ड.): अधिवक्ताअधिनियम, 1961 भारतमेंविधिकशिक्षाऔरवकीलोंकेमानकोंकोनिर्धारितकरनेकेलिएसुसंगत विधिहैऔरयहबीसीआईकोविश्वविद्यालयोंकोमान्यतादेनेऔरविश्वविद्यालयोंसेसंबद्धताप्राप्तकरनेपरविधिकशिक्षाप्रदानकरनेकेउद्देश्यसेमहाविद्यालयों/विधिक शिक्षाकेंद्रोंकोमंजूरीदेनेकीशक्तिप्रदानकरताहै।विधिविश्वविद्यालयों/निजीविधिमहाविद्यालयोंकीस्थापना संबंधितराज्यविधानमंडलोंद्वाराअधिनियमितअधिनियमोंकेअधीनकीगईहै।बिहारमेंमहिलाओंकेलिएविधिमहाविद्यालयखोलनेकेसंबंधमेंभारतसरकारकीकोईभूमिकानहींहै।

******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5661

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में डिजिटलीकरण

5661. कु. सुधा आर.:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 40 वर्षों से अधिक समय से लंबित सिविल और आपराधिक मामलों की राज्यवार और उच्च न्यायालयवार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यवार और उच्च न्यायालयवार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है ;

(ग) देश में दस्तावेजों के डिजिटलीकरण कार्यक्रम की राज्यवार और उच्च न्यायालयवार स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने देश में उच्च न्यायालयों की कोई अतिरिक्त पीठ बनाने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क):राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 02.04.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 03 सिविल मामले और 0 दांडिक मामले 40 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इसके अतिरिक्त 28.03.2025 तक उच्च न्यायालयों में कुल 20,093 सिविल मामले और 3,506 दांडिक मामले 40 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इन मामलों के ब्यौरे उच्च न्यायालय-वार **उपाबंध-1**पर हैं ।इसके अतिरिक्त, 28.03.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीनस्थ न्यायालयों में 4,638 सिविल मामले और 5,567 दांडिक मामले 40 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इन मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-2** पर हैं ।

(ख):न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे वादियों सहित विभिन्न पणधारियों का जीवन आसान हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय परिदान करने में सहायता मिलेगी। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से लेकर अब तक 28.02.2025 तक 11886.29

करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। राज्यवार निधि आवंटन और उपयोग के ब्यौरे **उपाबंध-3** पर हैं ।

इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना, भारतीय न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थता के लिए एक केंद्रीय सेक्टर की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य पूरे न्यायालय के अभिलेख के डिजिटलीकरण और ई-सेवा केंद्रों के साथ सभी न्यायालय परिसरों को संतृप्त करके ई-फाइलिंग/ई-भुगतान के सार्वभौमिकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। सरकार ने, वर्ष 2015 से बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करके उन्नत डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ न्यायपालिका के आधुनिकीकरण में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। सितंबर, 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹7,210 करोड़ के परिव्यय पर ई-न्यायालय चरण 3 (2023-2027) को मंजूरी दी है, जो चरण 2 के लिए वित्तपोषण से चार गुना अधिक है। ई-न्यायालय चरण-3, के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1200 करोड़ रुपए की रकम आबंटित की गई थी । उच्च न्यायालय –वार व्यय के ब्यौरे **उपाबंध-4** पर हैं ।

(ग):अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का संकल्प ई-न्यायालय परियोजना चरण 3 के अंतर्गत अभिनिश्चित 2038.40 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण परिव्यय से स्पष्ट है। न्यायालय के अभिलेखों का डिजिटलीकरण न्यायिक क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थता पहलों का केन्द्र है। आभासी/कागज़ रहित न्यायालयों में न्यायालय की कार्यवाही की प्रभावी सुनवाई के लिए, डिजिटल रूप में न्यायालय के अभिलेखों की उपलब्धता अनिवार्य है। तदनुसार, ई-समिति, उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय के अभिलेखों की स्कैनिंग, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, डिजिटलीकरण और विरासत डाटा के संरक्षण के लिए डिजिटल संरक्षण मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया था और इसे 21 अक्तूबर 2022 को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ई-समिति, उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के अनुसार, 28.02.2025 तक उच्च न्यायालयों में 1,99,49,45,317 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है और जिला न्यायालयों में 2,61,48,64,243 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है। इसकी उच्च न्यायालय-वार प्रास्थिति **उपाबंध-5** पर है। ई-समिति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि जिला स्तर न्यायालयों में अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण इष्टतम गति से किया जाए।

(घ):उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और शीर्ष न्यायालय द्वारा 2000 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 379में सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव पर उचित विचार-विमर्श के बाद की जाती है, जिसे आवश्यक वित्तीय संसाधन और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदिन प्रशासन की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए। वर्तमान में, किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायपीठों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है।

******

उपाबंध-1

<u>‘उच्च न्यायालयों में डिजिटीकरण’ केसंबंधमेंलोकसभाअतारांकितप्रश्नसंख्या 5661 जिसकाउत्तर 04.04.2025 कोदियाजानाहै, केउत्तरमेंनिर्दिष्टविवरण।</u>

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	सिविल	दांडिक	योग
1	इलाहाबाद	12368	3459	15827
2	बंबई	8	0	8
3	कलकत्ता	6127	43	6170
4	तेलंगाना	176	0	176
5	आंध्र प्रदेश	129	0	129
6	गुजरात	4	0	4
7	जम्मू -कश्मीर और लद्दाख	1	0	1
8	कर्नाटक	1	0	1
9	मध्य प्रदेश	6	0	6
10	पंजाब और हरियाणा	33	1	34
11	राजस्थान	8	3	11
12	मद्रास	170	0	170
13	उड़ीसा	48	0	48
14	पटना	1014	0	1014
	योग	20093	3506	23599

स्रोत: 28.3.2025 तकराष्ट्रीयन्यायिकडाटाग्रिड (एनजेडीजी) परउपलब्धकराएगएअनुसारआंकड़े।

'उच्च न्यायालयों में डिजिटीकरण' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्रम.सं.	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	सिविल	दांडिक	दोनों
1	आंध्र प्रदेश	4	14	18
2	असम	9	0	9
3	बिहार	609	568	1177
4	छत्तीसगढ	2	0	2
5	दिल्ली	19	0	19
6	गोवा	49	1	50
7	गुजरात	8	1	9
8	हरियाणा	2	0	2
9	जम्मू - कश्मीर	3	0	3
10	झारखंड	10	13	23
11	कर्नाटक	22	0	22
12	केरल	18	1	19
13	मध्य प्रदेश	7	2	9
14	महाराष्ट्र	410	1287	1697
15	मणिपुर	0	3	3
16	मेघालय	3	6	9
17	ओडिशा	11	74	85
18	पुडुचेरी	2	0	2
19	पंजाब	1	0	1
20	राजस्थान	73	1	74
21	तमिलनाडु	19	4	23
22	तेलंगाना	1	7	8
23	त्रिपुरा	1	16	17
24	उत्तर प्रदेश	2735	558	3293
25	पश्चिमी बंगाल	620	3011	3631
	योग	4638	5567	10205

स्रोत: 28.3.2025 तकराष्ट्रीयन्यायिकडाटाग्रिड (एनजेडीजी) परउपलब्धकराएगएअनुसारआंकड़े।

उपाबंध-3

'उच्च न्यायालयों में डिजिटीकरण' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(28.02.2025तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल निधि (1993-94 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की तारीख 28.02.2025 तक स्वीकृत/आबंटित)	उपयोग की गई निधि(1993-94 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की तारीख 28-02-2025 तक)
1.	अंदमान और निकोबार दीप समूह	14.34	14.34
2.	आंध्र प्रदेश	272.24	272.24
3.	अरुणाचल प्रदेश	97.96	91.42
4.	असम	349.76	349.76
5.	बिहार	558.4	558.4
6.	चंडीगढ़	39.01	37.3
7.	छत्तीसगढ	224.91	224.91
8.	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	9.38	9.38
9.	दिल्ली	354.4	344.56
10.	गोवा	63.01	52.51
11.	गुजरात	675.17	675.17
12.	हरियाणा	225.93	225.93
13.	हिमाचल प्रदेश	66.24	65
14.	जम्मू -कश्मीर	282.57	269.87
15.	झारखंड	267.57	267.57
16.	कर्नाटक	991.96	991.53
17.	केरल	248.4	229.42
18.	लद्दाख	8.33	8.33
19.	लक्षदीप	0.51	0.37
20.	मध्य प्रदेश	863.71	863.71
21.	महाराष्ट्र	1,076.64	1076.64
22.	मणिपुर	101.51	99.51
23.	मेघालय	274.71	274.71
24.	मिजोरम	103.07	103.07
25.	नागालैंड	139.25	139.18
26.	ओडिशा	250.25	250.25
27.	पुडुचेरी	71.95	65.58
28.	पंजाब	602	597.48
29.	राजस्थान	528.87	528.87
30.	सिक्किम	59.57	58.47
31.	तमिलनाडु	495.06	467.25
32.	तेलंगाना	58.89	58.89
33.	त्रिपुरा	157.58	141.55
34.	उत्तर प्रदेश	1,756.41	1679.68
35.	उत्तराखंड	301.94	297.15
36.	पश्चिमी बंगाल	294.81	292.11
योग		11,886.31	11,682.11

उपाबंध-4

'उच्च न्यायालयों में डिजिटीकरण' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	उपयोग की गई निधि (रुपए करोड़ में)

1	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	51.7791
2	आंध्र प्रदेश	31.7379
3	बम्बई (महाराष्ट्र, गोवा, दीव और दमण और नागर दादरा हवेली)	83.1874
4	कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	27.6514
5	छत्तीसगढ	24.1667
6	दिल्ली	48.1893
7	गुहाटी (अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड)	53.7451
8	गुजरात	73.2124
9	हिमाचल प्रदेश	6.8904
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	14.5258
11	झारखंड	29.217
12	कर्नाटक	67.4009
13	केरल	32.607
14	मध्य प्रदेश	76.8718
15	मद्रास (तमिलनाडु और पुडुचेरी)	91.7467
16	मणिपुर	7.5355
17	मेघालय	8.4751
18	उड़ीसा (ओडिशा)	53.2409
19	पटना (बिहार)	89.5528
20	पंजाब और हरियाणा (पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़)	26.0111
21	राजस्थान	34.7246
22	सिक्किम	8.9376
23	तेलंगाना	28.57
24	त्रिपुरा	7.0494
25	उत्तराखंड	19.9543
	योग	996.9802

उपाबंध-5

<u>'उच्च न्यायालयों में डिजिटीकरण' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 जिसका उत्तर 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

क्र.सं.	उच्च न्यायालय(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	चालू मास तक उच्च न्यायालय में डिजिटीकृत पृष्ठों की संख्या	संबंधित उच्च न्यायालय के अधीन डिजिटीकृत (जिसमें तालुक न्यायालय भी हैं) पृष्ठों की कुल संख्या
1.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	53,47,89,659	97,45,60,893
2.	आंध्र प्रदेश	1,42,04,781	2,56,91,977
3.	बम्बई (महाराष्ट्र, गोवा, दीव और दमन और नागर दादर हवेली)	3,46,09,102	7,25,424
4.	कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	4,89,38,686	0
5.	दिल्ली	22,93,29,647	10,90,01,868
6.	गुहाटी(अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड)	3,06,62,123	15,71,54,484
7.	गुजरात	5,37,090	82,430
8.	हिमाचल प्रदेश	71,42,331	0
9.	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	3,92,08,843	54,83,298
10.	झारखंड	1,51,23,206	75,83,464
11.	कर्नाटक	2,69,43,999	3,44,31,202
12.	केरल	5,86,92,719	91,17,722
13.	मध्य प्रदेश	22,47,29,014	53,31,95,995
14.	मद्रास (तमिलनाडु और पुडुचेरी)	14,55,99,531	8,19,05,103
15.	मणिपुर	52,78,155	48,45,673
16.	मेघालय	8,45,702	33,31,430
17.	उड़ीसा (ओडिशा)	4,45,35,424	11,75,81,662
18.	पटना (बिहार)	2,27,97,499	0
19.	पंजाब और हरियाणा (पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़)	27,41,99,318	50,66,96,188
20.	राजस्थान	10,43,40,362	52,25,444
21.	सिक्किम	11,61,836	44,10,905
22.	तेलंगाना	10,78,15,504	3,28,19,876
23.	त्रिपुरा	63,60,786	6,19,005
24.	उत्तराखंड	1,71,00,000	4,00,200
25.	छत्तीसगढ	0	0
	योग	1,99,49,45,317	2,61,48,64,243

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5677

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायपालिका और न्यायाधिकरणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या

5677. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधीनस्थ न्यायालयों, विशेषकर जिला न्यायालयों में सेवारत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार के पास विभिन्न विधियों के तहत गठित केंद्रीय और राज्य न्यायाधिकरणों में सेवारत उक्त समुदायों के न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के न्यायाधीशों या न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में आरक्षण मानदंडों का पालन किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(**क**):न्याय विभाग के एमआईएस (प्रबंध सूचना प्रणाली)पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार तारीख 02.04.2025 तक अधीनस्थ न्यायालयों**,** विशेष रूप से जिला न्यायालयों में सेवारत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से न्यायिक अधिकारियों की राज्यवार संख्या उपाबंध-1 पर है ।

(ख): विभिन्न परिनियमों के अधीन गठित केन्द्रीय और राज्य अधिकरणों में सेवारत उक्त समुदायों से न्यायिक अधिकारियों की संख्या केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है ।

(ग)और (घ):पिछले दस वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से न्यायाधीशों या न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियों के राज्यवार ब्यौरे विभाग में उपलब्ध नहीं हैं तथापि, एमआईएस पोर्टल पर उपलबध जानकारी के अनुसार, गत पांच वर्षों के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या उपाबंध-2 पर है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसीजाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । अत:, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रवर्ग वार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं ।

तथापि, वर्ष 2018 से, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के पदों के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती हैकि वे विहित रूप विधान (उच्चतम न्यायालय से परामर्श करके तैयार किया गया) ने अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में ब्यौरे उपलबध कराए । तदनुसार, सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 से नियुक्त किए गए 719 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में से, 22 न्यायाधीश अनुसूचित जाति प्रवर्ग के थे, जबकि 16 न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के थे ।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की पहल करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की पहल का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । तथापि, सरकार, उच्च नयायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्संख्यक वर्गों या महिलाओं के उपयुक्त अभ्यर्थियों का उचित ध्यान रखा जाए जिससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक असमानता सुनिश्चित की जा सके । केवल वे व्यक्ति ही जिनकी उच्चतम न्यायालय कोलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं । भर्ती प्रक्रिया उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार शासित की जाती है ।

******

उपाबंध-1

"उच्चतर न्यायपालिका और अधिकरणों में एससी/एसटी न्यायाधीशों की संख्या" के बारे में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5677 जिसका उत्तर तारीख 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

02.04.2025 **तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में एस सी/एसटी न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	53	19	23	10	30	3
3	अरुणाचल प्रदेश	0	9	0	16	0	7
4	असम	16	23	12	21	6	7
5	बिहार	129	9	63	5	48	3
6	चंडीगढ़	7	0	0	0	1	0
7	छत्तीसगढ	26	57	17	45	30	26
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	46	21	12	1	10	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	59	1	50	4	8	0
13	हरियाणा	31	0	42	0	21	0
14	हिमाचल प्रदेश	8	2	8	4	6	1
15	जम्मू - कश्मीर	13	11	6	7	9	7
16	झारखंड	15	31	0	0	0	0
17	कर्नाटक	77	19	90	20	60	9
18	केरल	20	0	11	1	11	1
19	लद्दाख	1	2	0	4	0	1
20	लक्षदीप	1	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	122	55	62	90	85	92
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	0	6	0	4	0	4
24	मेघालय	0	15	0	21	0	18
25	मिजोरम	0	13	0	17	0	15
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	30	4	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	3	0	0	0	0	0
29	पंजाब	118	0	34	0	33	0
30	राजस्थान	64	47	60	52	59	24
31	सिक्किम	0	1	0	2	0	5
32	तमिलनाडु	119	5	57	4	35	1
33	तेलंगाना	38	20	15	7	15	13
34	त्रिपुरा	5	9	4	7	4	6
35	उत्तर प्रदेश	214	17	134	15	191	7
36	उत्तराखंड	16	3	12	4	18	5
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
कुल		**1371**	**403**	**755**	**365**	**724**	**258**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

उपाबंध-2

"उच्चतर न्यायपालिका और अधिकरणों में एस सी/एसटी न्यायाधीशों की संख्या" के बारे में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5677 जिसका उत्तर तारीख 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

31.12.2020**तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में एससी/एसटी न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	43	16	29	8	16	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	13	0	9	0	9
4	असम	12	18	10	18	0	0
5	बिहार	123	10	77	4	20	1
6	चंडीगढ़	2	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	20	48	18	29	22	27
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	53	5	1	1	7	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	58	2	46	3	11	1
13	हरियाणा	39	0	25	0	22	0
14	हिमाचल प्रदेश	10	5	7	1	6	2
15	जम्मू -कश्मीर	9	6	10	4	5	6
16	झारखंड	26	62	0	0	0	0
17	कर्नाटक	76	14	48	9	44	7
18	केरल	22	1	5	0	7	0
19	लद्दाख	0	4	0	1	0	0
20	लक्षदीप	1	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	106	94	71	87	63	54
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	0	2	2	4	0	5
24	मेघालय	0	20	0	14	0	12
25	मिजोरम	0	16	0	14	0	13
26	नागालैंड	0	8	0	7	0	11
27	ओडिशा	13	0	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	76	0	37	0	25	0
30	राजस्थान	92	69	53	40	25	10
31	सिक्किम	0	2	0	1	0	4
32	तमिलनाडु	117	4	55	3	41	1
33	तेलंगाना	35	17	11	8	12	6
34	त्रिपुरा	5	11	4	5	3	6
35	उत्तर प्रदेश	234	11	115	10	178	7
36	उत्तराखंड	18	4	14	3	14	9
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
योग		**1330**	**466**	**681**	**287**	**565**	**195**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

31.12.2021 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायिक अधिकारी की कार्यरत पद संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	42	15	23	9	19	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	13	0	9	0	9
4	असम	15	22	7	16	0	0
5	बिहार	115	9	64	5	38	1
6	चंडीगढ़	2	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	23	56	20	30	25	27

8	दादरा और नागर	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	54	6	14	2	8	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	58	2	46	3	10	0
13	हरियाणा	38	0	26	0	22	0
14	हिमाचल प्रदेश	7	4	8	2	7	2
15	जम्मू -कश्मीर	7	9	5	6	8	5
16	झारखंड	26	61	0	0	0	0
17	कर्नाटक	76	11	48	8	49	9
18	केरल	21	1	9	0	7	0
19	लद्दाख	0	4	0	2	0	0
20	लक्षदीप	0	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	104	91	69	84	60	59
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	1	5	2	4	1	4
24	मेघालय	0	20	0	14	0	12
25	मिजोरम	0	16	0	13	0	13
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	17	0	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	79	0	38	0	29	0
30	राजस्थान	87	66	37	30	43	20
31	सिक्किम	0	2	0	1	0	4
32	तमिलनाडु	121	5	58	3	46	1
33	तेलंगाना	40	22	11	7	15	7
34	त्रिपुरा	5	11	4	5	3	6
35	उत्तर प्रदेश	193	14	155	11	155	7
36	उत्तराखंड	20	4	14	3	13	9
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
योग		**1291**	**473**	**701**	**271**	**602**	**199**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

31.12.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में एस सी/एसटी न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	39	16	32	12	19	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	12	0	11	0	9
4	असम	15	22	7	16	0	0
5	बिहार	115	9	62	5	35	1
6	चंडीगढ़	3	0	0	0	1	0
7	छत्तीसगढ	27	65	19	31	27	27
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	55	6	9	1	8	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	54	1	50	4	9	0
13	हरियाणा	38	0	26	0	22	0
14	हिमाचल प्रदेश	9	4	7	2	7	2
15	जम्मू - कश्मीर	9	8	6	6	7	3
16	झारखंड	20	55	0	0	0	0
17	कर्नाटक	76	15	49	7	59	9
18	केरल	16	1	13	0	7	1
19	लद्दाख	0	2	0	2	0	1
20	लक्षदीप	0	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	125	97	59	81	74	56
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	1	4	1	5	1	4
24	मेघालय	0	25	0	14	0	15
25	मिजोरम	0	16	0	10	0	15
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	17	0	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	79	0	36	0	27	0
30	राजस्थान	65	58	46	29	47	22
31	सिक्किम	0	2	0	0	0	5
32	तमिलनाडु	120	5	57	3	43	1
33	तेलंगाना	33	18	17	11	13	7
34	त्रिपुरा	5	7	4	9	4	7
35	उत्तर प्रदेश	193	15	151	11	143	7
36	उत्तराखंड	16	3	16	4	15	8
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
योग		**1270**	**470**	**710**	**278**	**612**	**204**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

31.12.2023 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायिक अधिकारी की कार्यरत पदसंख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	44	17	23	10	28	3
3	अरुणाचल प्रदेश	0	9	0	16	0	8
4	असम	13	15	9	18	0	0
5	बिहार	129	9	63	5	48	3
6	चंडीगढ़	3	0	0	0	1	0
7	छत्तीसगढ	26	62	13	29	28	27
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	48	21	8	0	8	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	59	1	50	4	8	0
13	हरियाणा	48	0	26	0	20	0
14	हिमाचल प्रदेश	8	2	8	4	7	2
15	जम्मू - कश्मीर	9	7	6	6	5	3
16	झारखंड	15	36	0	0	0	0
17	कर्नाटक	80	16	50	7	58	9
18	केरल	18	1	12	0	9	1
19	लद्दाख	0	3	0	2	0	0
20	लक्षदीप	0	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	131	66	78	116	72	54
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	0	6	0	4	0	4
24	मेघालय	0	25	0	14	0	15
25	मिजोरम	0	16	0	10	0	15
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	26	3	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	78	0	37	0	27	0
30	राजस्थान	80	59	50	43	53	23
31	सिक्किम	0	2	0	0	0	5
32	तमिलनाडु	119	5	57	4	39	1
33	तेलंगाना	38	20	15	7	15	13
34	त्रिपुरा	5	9	4	7	4	6
35	उत्तर प्रदेश	146	11	134	15	196	7
36	उत्तराखंड	16	3	14	4	16	5
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
योग		**1279**	**428**	**700**	**329**	**686**	**207**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

31.12.2024तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति न्यायिक अधिकारियो की कार्यरत पद संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल न्यायाधीश(जूनियर डिविजन)		सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)		जिला न्यायाधीश/डी.जे.	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंदमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	53	19	23	10	30	3
3	अरुणाचल प्रदेश	0	9	0	16	0	7
4	असम	16	23	12	21	6	7
5	बिहार	129	9	63	5	48	3
6	चंडीगढ़	7	0	0	0	1	0
7	छत्तीसगढ	26	57	17	45	30	26
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	46	21	12	1	10	1
11	गोवा	0	2	0	0	0	0
12	गुजरात	59	1	50	4	8	0
13	हरियाणा	31	0	42	0	21	0
14	हिमाचल प्रदेश	8	2	8	4	6	1
15	जम्मू - कश्मीर	13	11	6	7	9	8
16	झारखंड	15	31	0	0	0	0
17	कर्नाटक	77	19	90	20	60	9
18	केरल	20	0	11	1	10	1
19	लद्दाख	1	2	0	4	0	1
20	लक्षदीप	1	0	0	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	122	55	79	106	66	73
22	महाराष्ट्र	140	2	43	3	44	2
23	मणिपुर	0	6	0	4	0	4
24	मेघालय	0	15	0	21	0	18
25	मिजोरम	0	13	0	17	0	15
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	30	4	0	0	0	0
28	पुडुचेरी	3	0	0	0	0	0
29	पंजाब	118	0	34	0	33	0
30	राजस्थान	64	47	60	52	59	24
31	सिक्किम	0	1	0	2	0	5
32	तमिलनाडु	119	5	57	4	35	1
33	तेलंगाना	38	20	15	7	15	13
34	त्रिपुरा	5	9	4	7	4	6
35	उत्तर प्रदेश	214	17	134	15	193	7
36	उत्तराखंड	16	3	12	4	18	5
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
कुल		**1371**	**403**	**772**	**381**	**706**	**240**

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5690

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक अदालतों में मामलों का निपटान

5690. श्रीमती मालविका देवी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दीर्घकाल से लंबित मामलों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) फास्ट ट्रैक अदालतों में विगत वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) सरकार का वंचित समुदायों के लिए न्याय को किस प्रकार कार्यान्वित करने और सुलभ बनाने का विचार है ;

(घ) देश में साइबर अपराध से संबंधित दर्ज किए जाने वाले मामलों की प्रति वर्ष औसत संख्या कितनी है, साथ ही एक वर्ष के भीतर निपटाए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) ऐसे मामलों के समाधान की रीति/साधन क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) :न्यायालय केलंबितमामलोंकानिपटान, न्यायपालिकाकेअधिकारक्षेत्रमेंआताहै।तथापि, केन्द्रीयसरकारसंविधानकेअनुच्छेद 21 केअंतर्गतयथाअधिदेशितमामलोंकेशीघ्रनिपटानऔरलंबितमामलोंकीसंख्याकोकमकरनेकेप्रतिअटूटवचनबद्धतारखतीहै।इसउद्देश्यकेलिए, सरकारनेन्यायपालिकाद्वारामामलोंकेशीघ्रनिपटानकेलिएपारिस्थितिकीतंत्रप्रदानकरनेकेलिएअनेकपहलें कीहैं।इनमेंसेकुछपहलेंनिम्नानुसारहैं।

I.राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

II.न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप सेप्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघराज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से अब तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

III.इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों स्थापित की गई हैं। 31.01.2025 तक इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालयों चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालयों चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम आसूचना (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

IV. सरकार, भारतकेउच्चतमन्यायालयऔरउच्चन्यायालयोंमेंन्यायाधीशोंकीरिक्तियोंकोनियमितरूपसेभरतीरहीहै। तारीख 01.05.2014 से 20.03.2025 तकउच्चतमन्यायालयमें 67 न्यायाधीशोंकीनियुक्तिकीगई।इसीअवधिकेदौरानउच्चन्यायालयोंमें 1030 नएन्यायाधीशोंकीनियुक्तिकीगईऔर 791 अपरन्यायाधीशोंकोस्थायीकियागया।उच्चन्यायालयोंकेन्यायाधीशोंकीस्वीकृतपदसंख्यामई, 2014 के 906 सेबढ़ाकरअबतक 1122 करदीगईहै।जिलाऔरअधीनस्थन्यायालयोंमेंन्यायिकअधिकारियोंकीस्वीकृतऔरकार्यरतपदसंख्यामें निम्नानुसारवृद्धिहुईहै:

यथा	स्वीकृतसंख्या	कामकरनेकीताकत
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्यायविभागकाएमआईएसपोर्टल

तथापि, जिलाऔरअधीनस्थन्यायपालिकामेंरिक्तियोंकाभराजानासंबंधितराज्यसरकारोंऔरउच्चन्यायालयोंके कार्यक्षेत्रकेभीतरआताहै।

v. अप्रैल, 2015 मेंआयोजितमुख्यन्यायाधीशोंकेसम्मेलनमेंपारितसंकल्पकेअनुसरणमें, पांचवर्षसेअधिकसमयसेलंबितमामलोंकोनिपटानेकेलिएसभी 25 उच्चन्यायालयोंमेंबकायासमितियोंकीस्थापनाकीगईहै। जिलान्यायालयोंकेअंतर्गतभीबकायासमितियां गठितकीगईहैं।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 28.02.2025 तक, देशभरमें 857 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरतहैं, जिन्होंने2024 में 11,74,885 मामलों का निपटारा किया है।निर्वाचित संसद् सदस्यों विधानसभा सदस्यों/ जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 28.02.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससीकार्यात्मक हैं, जिन्होंने 2024 में 85,595 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयोंमें लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंधहै जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंधकरता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है। वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 विधि स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

(ग):सरकारसीमांत समुदायोंकोन्यायसुलभकरानेकेलिएप्रतिबद्धहै।सरकारद्वाराकिएगएकुछउपायनिम्नलिखितहैं :

- राष्ट्रीयविधिकसेवाप्राधिकरण (नालसा) कागठनविधिकसेवाप्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 केअधीनअधिनियमकीधारा 12 केअंतर्गतआनेवालेलाभार्थियोंसहितसमाजकेकमजोरवर्गोंकोनिशुल्कऔरसक्षमविधिकसेवाएंप्रदानकरनेकेलिएकियागयाथा।यहअधिनियमयहसुनिश्चितकरताहैकिआर्थिकयाअन्यनिशक्तताओंकेकारणकिसीनागरिककोन्यायप्राप्तकरनेकेअवसरोंसेवंचितनकियाजाएऔरविवादोंकेसौहार्दपूर्णनिपटानकेलिएलोकअदालतोंकाआयोजनकियाजाए।इसप्रयोजनार्थ, तालुकस्तरसेलेकरउच्चतमन्यायालयतकविधिकसेवासंस्थाएंस्थापितकीगईहैं।विधिकसेवाप्राधिकरणोंद्वाराकिएगएक्रियाकलापों/कार्यक्रमोंकेअंतर्गतविधिकसहायताऔरसलाहभीहै; विधिकजागरूकताकार्यक्रम; विधिकसेवाएं/सशक्तिकरणशिविर; विधिकसेवाक्लीनिक; विधिकसाक्षरताक्लब; लोकअदालतोंऔरपीड़ितमुआवजास्कीमकाकार्यान्वयन।

- वर्ष 2021 में "डिजाइनिंगइनोवेटिवसॉल्यूशंसफॉरहोलिस्टिकएक्सेसटूजस्टिसइनइंडिया" (दिशा) नामकएकव्यापक, अखिलभारतीययोजना 250 करोड़रुपएकेपरिव्ययपरपाँचवर्षों (2021-2026) कीअवधिकेलियेशुरूकीगईथी।दिशास्कीम कालक्ष्यटेली-लॉ, न्यायबंधु (प्रोबोनोविधिक सेवा) औरविधिकसाक्षरताऔरविधिकजागरूकताकार्यक्रमोंकेमाध्यमसेआसान, सुलभ, सस्तीऔरनागरिककेंद्रितविधिकसेवाएंप्रदानकरनाहै।दिशास्कीम केअधीन, टेली-लॉनागरिकोंकोमोबाइलऐप "टेलीलॉ" औरमुकदमा-पूर्वसलाहप्रदानकरनेकेलिएटोलफ्रीनंबरकेमाध्यमसेवकीलोंसेजोड़ताहै; न्यायबंधु (निशुल्कसेवाएं) रजिस्ट्रीकृतलाभार्थियोंकोअदालतोंमेंनिशुल्कविधिकप्रतिनिधित्वप्राप्तकरनेकीसुविधाप्रदानकरतीहैऔरविधिकसाक्षरताऔरविधिकजागरूकताकार्यक्रमकेअधीन, नागरिकोंकोउनकेविधिकअधिकारों, कर्तव्योंऔरहकदारियोंकोजानने, समझनेऔरउनकालाभउठानेकाअधिकारदियाजाताहै। 28 फरवरी 2025 तक, दिशास्कीमअपनेविभिन्नकार्यक्रमोंकेमाध्यमसेदेशमेंलगभग 2.10 करोड़लाभार्थियोंतकपहुंचचुकीहै।

- इसकेअतिरिक्त, टेली-ला सेवाओंनेइसकेकुल 1,08,69,661 लाभाथयोंमेंसेमहिलाओं (394%), सामान्य (24%), अन्यपिछड़ेवर्गों (31%), अनुसूचितजातियों (31%) औरअनुसूचितजनजातियों (14%) कोप्रभावितकियाहै।इसकेअतिरिक्त, पहुंचबढ़ानेकेलिए, टेलीलॉवेबपोर्टलऔरटेली-लॉएप्लिकेशनका 22 अनुसूचितभाषाओंमेंअनुवादकियागयाहै।प्रिंटऔरडिजिटलमीडियादोनोंकेमाध्यमसेइसकीपहुंचबढ़ानेकेलिएविशेषप्रयासकिएगएहैं।इसकेअतिरिक्त, मुकदमा-पूर्वसलाहऔरन्यायालयोंमेंविधिकप्रतिनिधित्वकेलिएटेली-लॉकोन्यायबंधु (निशुल्कविधिकसेवाएं) प्लेटफार्मकेसाथएकीकृतकरनेकेलिएविशेषप्रयासकिएगएहैं।तत्कालविधिकसलाहऔरपरामर्शकेलिए 14454 केमाध्यमसेनागरिकोंकेलिएटोल-फ्रीनंबरशुरूकियागयाहै।

(घ) और (ङ):राष्ट्रीयअपराधरिकार्डब्यूरो (एनसीआरबी) अपनेवाषकप्रकाशनमेंअपराधसंबंधीआंकड़ोंकासंकलनऔरप्रकाशनकरताहै '*भारतमेंअपराध*'नवीनतमउपलब्धरिपोर्टवर्ष 2022 सेसंबंधितहै।पिछलीतीनरिपोर्टों (2020,2021 और 2022) मेंउपलब्धकराएगएआंकड़ोंकेअनुसार, 2020 से 2022 कीअवधिकेदौरानवार्षिक रूप से रजिस्ट्रीकृत साइबरअपराधकेमामलोंकीऔसतसंख्या 56,300 है।इसीअवधिकेदौरान, न्यायालयोंद्वारानिपटाएजानेवालेसाइबरअपराधकेमामलोंकीऔसतसंख्याप्रतिवर्ष 6,081 है।

भारतकेसंविधानकीसातवींअनुसूचीकेअनुसारपुलिसऔरलोकव्यवस्थाराज्यकेविषयहैं। राज्य/संघराज्यक्षेत्रअपनीविधिप्रवर्तनअभिकरणों (एलईए) केमाध्यमसेसाइबरअपराधसहितअपराधोंकीरोकथाम, पतालगाने, जांचऔरअभियोजनकेलिएप्राथमिकरूपसेउत्तरदायीहैं।केंद्रीय सरकारराज्यों/संघराज्यक्षेत्रकेविधिप्रवर्तनअभिकरणों केक्षमतानिर्माणकेलिएविभिन्नस्कीमोंकेअंतर्गतपरामर्शीपत्रोंऔरवित्तीयसहायताकेमाध्यमसेउन कीपहलोंमेंसहायताकरतीहै।

महिलाओंएवंबालकोंकेप्रतिसाइबरअपराधोंसहितसाइबरअपराधोंसेव्यापकएवंसमन्वितरीति सेनिपटनेकेतंत्रकोसुदृढ़करनेकेलिएकेंद्रीय सरकारनेअन्यबातोंकेसाथ-साथनिम्नलिखितकदमउठाएहैं

i. गृहमंत्रालयनेदेशमेंसभीप्रकारकेसाइबरअपराधोंसेसमन्वितऔरव्यापकरीतिसेनिपटनेकेलिएएकसंलग्नकार्यालयकेरूपमें 'भारतीयसाइबरअपराधसमन्वयकेंद्र' (आई4सी) कीस्थापनाकीहै।

ii. 'राष्ट्रीयसाइबरअपराधरिपोर्टिंगपोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) को आई4सी केएकभागकेरूपमेंशुभारंभ कियागयाहै, जिससे जनताकोमहिलाओंऔरबालकों केविरुद्ध साइबरअपराधोंपरविशेषध्यानदेनेकेसाथसभीप्रकारकेसाइबरअपराधोंसेसंबंधितघटनाओं कीरिपोर्टकरनेमेंसक्षमबनायाजासके।इसपोर्टलपररिपोर्टकीगईसाइबरअपराधकीघटनाओं, उन्हेंएफआईआरमेंबदलनेऔरउसकेबादकीकार्रवाईकोविधिकेउपबंधोंकेअनुसारसंबंधित राज्य/संघराज्यक्षेत्रविधिप्रवर्तनअभिकरणोंद्वारानियंत्रितकियाजाताहै।

iii. आई4सी केअधीन 'नागरिकवित्तीयसाइबरकपट रिपोर्टिंगऔरप्रबंधनप्रणाली' कोवित्तीयकपट कीतत्कालरिपोर्टिंगऔरधोखेबाजोंद्वाराधनकीहेराफेरीकोरोकनेकेलिएवर्ष 2021 मेंशुभारंभकियागयाहै।ऑनलाइनसाइबरशिकायतेंदर्जकरनेमेंसहायताप्राप्तकरनेकेलिएएकटोल-फ्रीहेल्पलाइननंबर '1930' शुरूकियागयाहै।

iv. राज्य/संघराज्यक्षेत्रपुलिसकेअन्वेषण अधिकारियों (आईओ) कोप्रारंभिकचरणकीसाइबरन्यायिक सहायताप्रदानकरनेकेलिएनईदिल्लीमेंआई4सीकेएकभागकेरूपमेंअत्याधुनिक 'राष्ट्रीयसाइबरन्यायिक प्रयोगशाला (अन्वेषण)' कीस्थापनाकीगईहै।अबतक, राष्ट्रीयसाइबरन्यायिक प्रयोगशाला (अन्वेषण) नेसाइबरअपराधोंसेसंबंधितलगभग 11,835 मामलोंमेंराज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकेएलईएकोअपनीसेवाएंप्रदानकीहैं।

v. आई4सीमेंएकअत्याधुनिककेंद्र, साइबरकपट शमनकेंद्र (सीएफएमसी) कीस्थापनाकीगईहै, जहांप्रमुखबैंकों, वित्तीयमध्यस्थों, भुगतानसकलनकर्ता, दूरसंचारसेवाप्रदाताओं, आईटीमध्यस्थोंकेप्रतिनिधिऔरराज्यों/संघराज्यक्षेत्रकेविधिप्रवर्तनअभिकरणकेप्रतिनिधिसाइबरअपराधसेनिपटनेकेलिएतत्काल कार्रवाईऔरनिर्बाधसहयोगकेलिएमिलकरकामकररहेहैं।

vi. राज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकीविधिप्रवर्तनअभिकरणोंकेबीचसमन्वयढांचेमें अभिवृद्धि करने केलिएराज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकेबीचबहु-क्षेत्राधिकारवाले साइबरअपराधहॉटस्पॉट/क्षेत्रोंकेआधारपरपूरेदेशकोकवरकरतेहुएआई4सीकेअधीनमेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के

लिएसातसंयुक्तसाइबरसमन्वयदलों (जेसीसीटी) कागठनकियागयाहै।हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांचीऔरचंडीगढ़मेंजेसीसीटीकेलिएसातकार्यशालाएंआयोजितकीगईथीं।

vii. प्रबंधनसूचनाप्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डाटारिपॉजिटरीऔरसाइबरअपराधडाटासाझाकरणऔरविश्लेषणकेलिएएलईएकेलिएएक समन्वयमंचकेरूपमेंसेवाकरनेकेलिएसमन्वयप्लेटफॉर्मकोचालूकियागयाहै।यहविभिन्नराज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंमेंसाइबरअपराधकीशिकायतोंमेंशामिलअपराधोंऔरअपराधियोंकेविश्लेषणआधारितअंतरराज्यीयसंपर्कप्रदानकरताहै।मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' क्षेत्राधिकारअधिकारियोंकोदृश्यतादेनेकेलिएमानचित्रपरअपराधियोंऔरअपराधकेबुनियादी ढांचेकेस्थानोंकामानचित्रणकरताहै।यहमॉड्यूलआई4सीऔरअन्यएसएमईसेविधिप्रवर्तनअभिकरणोंद्वारातकनीकी-विधिकसहायताप्राप्तकरनेऔरप्राप्तकरनेकीसुविधाभीप्रदानकरताहै।इसमामलेमें 6,046 आरोपियोंकोगिरफ्तारकियागया, 17,185 लोगोंकोसंपर्ककेलिएभेजागयाऔर 36,296 लोगोंकोसाइबरअन्वेषण सहायताकेलिएभेजागया।

viii. साइबरअपराधकेबारेमेंजागरूकताफैलानेकेलिएकेन्द्रीयसरकारनेकदमउठाएहैंजिनमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथनिम्नलिखितशामिलहैंएसएमएस, आई4सी सोशलमीडियाअकाउंटअर्थात् X (पूर्वमेंट्विटर) (@साइबरदोस्त), फेसबुक (साइबरदोस्तआई4सी), इंस्टाग्राम (साइबरदोस्तआई4सी), टेलीग्राम(साइबरदोस्तआई4सी), रेडियोअभियान, कॉलरट्यूनकेमाध्यमसेसंदेशोंकाप्रसार, कईमाध्यमोंमेंप्रचारकेलिए MyGov सेजुड़ाव, राज्यों/संघराज्यक्षेत्रकेसहयोगसेसाइबरसुरक्षाऔरसुरक्षाजागरूकतासप्ताहआयोजितकरना, किशोरों/छात्रोंकेलिएहैंडबुककाप्रकाशन, डिजिटलगिरफ्तारीघोटालेपरसमाचारपत्रोंकाविज्ञापन, डिजिटलगिरफ्तारीऔरअन्यतौर-तरीकोंपरदिल्लीमहानगरोंमेंघोषणासाइबरअपराधियोंकीकामकाज, डिजिटलगिरफ्तारीपरविशेषपोस्टबनानेकेलिएसोशलमीडियाप्रभावितोंकाउपयोग, रेलवेस्टेशनोंऔरहवाईअड्डोंपरडिजिटलडिस्प्लेआदि।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5691

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

भारतीय न्यायिक सेवा के लिए प्रस्ताव

5691. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या विधि आयोग ने भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयां आ रही हैं ;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के संबंध में शिकायतें हैं और यदि हां, तो इस मामले का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का स्वतंत्र, पारदर्शी न्यायिक प्रणाली सुनिश्चित करने का विचार है और यदि हां, तो हमारी न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (घ) : संविधान का अनुच्छेद 312, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना का उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश सेनिम्नतर कोई पद नहीं होगा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के मुद्दे पर पहले राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एफएनजेपीसी), जो जस्टिस शेट्टी आयोग के नाम से ज्ञात है, द्वारा विचार किया गया तथा सिफारिश की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की सिफारिश विधि आयोग द्वारा उसकी 14वीं रिपोर्ट (1958) में की गई थी। तत्पश्चात्, विधि आयोग ने उसकी 77वीं रिपोर्ट (1978) तथा उसकी 116वीं रिपोर्ट (1986) में सिफारिश की पुनरावृत्ति की थी।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव सूत्रबद्ध किया गया था तथा उसे नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। अप्रैल, 2013 में हुए मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में प्रस्ताव कार्यसूची की एक मद के रूप सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया कि मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा मनन की आवश्यकता है। प्रस्ताव पर राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों से उनके विचारों की ईप्सा की गई। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों के बीच तथा उच्च न्यायालयों के बीच राय पर मतभेद था।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती तथा सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में मदद के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय, मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था, जो 3 तथा 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित हुआ था, जिसमें क्रमिक उच्च न्यायालयों पर खुले तौर पर यह छोड़ने का संकल्प लिया गया कि विद्यमान प्रणाली के भीतर वे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों को त्वरित रूप से भरने हेतु समुचित पद्धतियां विकसित करें। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ उस पर उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों से उनके विचार भी प्राप्त हुए, जिन्हें 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित हुए मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था। तथापि, विषय में कोई प्रगति नहीं की गई।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर फिर से पात्रता, आयु, चयन मानदंड, अर्हता, आरक्षण आदि बिंदुओं पर विचार-विमर्श एक बैठक में किया गया, जिसकी अध्यक्षता तब 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा राज्य विधि और न्याय मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्शी समिति तथा 22.02.2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की बैठकों में भी विचार-विमर्श किया गया था।

30 अप्रैल, 2022 को आयोजित हुए मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मुद्दे को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, उसे सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका। मुख्य पणधारियों के बीच राय पर विद्यमान मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं है।

न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति से संबंधित यदि कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त होता है, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित कर दी जाती है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5705

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं

5705. श्री काली चरण सिंह :
डॉ. मन्ना लाल रावत :
श्री खगेन मुर्मु :
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :
श्री भोजराज नाग :
श्रीमती हिमाद्री सिंह :
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) देश भर में विधिक सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;
(ख) क्या सरकार की राजस्थान और देश भर में सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का विस्तार करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और
(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को इन सेवाओं की जानकारी हो और वे इनका लाभ उठा सकें ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) :सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्थापना की है, ताकि अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस प्रयोजन के लिए तालुक न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थान स्थापित किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी) उच्चतम न्यायालय में कार्य करती है, जबकि 38 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां(एचसीएलएससी), 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए), 708 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और 2439 तालुक विधिक सेवा समितियां (टीएलएससी) हैं। सरकार विधिक सेवा प्राधिकरणों/संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अनुदान सहायता के रूप में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती है। अनुदान सहायता के अधीन सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर नालसा को निधि आवंटित और निर्गत की जाती है।

विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए, नालसा सभी एसएलएसए से मासिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है, जिसमें किसी विशेष महीने में की गई सभी गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाता है। इसके पश्चात्, नालसा द्वारा मासिक आधार पर एक अंतिम गतिविधि रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है। मासिक गतिविधि रिपोर्टों के अतिरिक्त, नालसा सभी एसएलएसए से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के

समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, नालसा द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए अखिल भारतीय और क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

भारत सरकार नालसा के माध्यम से एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) भी लागू कर रही है। एलएडीसीएस स्कीम के अधीन, एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता के लिए पात्र हिताधिकारियों को ही आपराधिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान की जाती है। एलएडीसीएस स्कीम का उद्देश्य आपराधिक न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं को मजबूत करना और हिताधिकारियों को सभी आपराधिक मामलों में, विचारण और अपील के चरणों में विधिक सेवाएं प्रदान करना है । 31 दिसंबर 2024 तक , देश भर के 654 जिलों में एलएडीसी कार्यालय कार्यरत हैं और इसमें 3448 बचाव काउंसेल सहित 5251 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्ष 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान, एलएडीसीएस कार्यालयों ने 3.95 लाख से अधिक आपराधिक मामलों का निपटारा किया।

(ख) और (ग):एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 राजस्थान के दूरदराज एवं आदिवासी क्षेत्रों सहित पूरे देश में हकदार व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं सुनिश्चित करती है। बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और स्कीमों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा पूरे देश में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न विधियों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएं एवं पैम्फलेट भी तैयार करते हैं तथा लोगों में वितरित किए जाते हैं। वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा 12,49,496 एवं 1,26,966 विधिक जागरूकता शिविर एवं कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः लगभग 13.93 करोड़ एवं 3.06 करोड़ व्यक्तियों ने भाग लिया ।

*****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5725

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में लैंगिक असमानता

5725. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायपालिका में विशेषकर उच्च स्तरों पर और अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए आरक्षण अथवा विशेष प्रोत्साहन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) न्यायपालिका और कानूनी पेशे में और अधिक महिलाओं को करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किए गए कार्यक्रमों अथवा पहलों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों में लैंगिक असमानता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है अथवा परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) न्यायिक प्रशिक्षण, विधिक शिक्षा और न्यायालयी कार्यवाही में लैंगिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति में निहित है। तथापि , सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित हो

सके। केवल वे व्यक्ति जिन्हें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किया जाता है, उन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाते हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) विधिक प्रशिक्षण, न्यायिक संवेदीकरण और न्यायालय की सुनवाइयों में लैंगिक संवेदनशीलता अंतर्निविष्ठ करनेके लिए नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्यायविभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5743

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

ओडिशा के जिला और उच्च न्यायालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लंबित मामले

5743. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत ओडिशा उच्च न्यायालय में आज की तिथि तक कुल कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) ओडिशा में जिलावार ऐसे कुल कितने मामले लंबित हैं ;

(ग) उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों दोनों में ये मामले औसतन कितने समय से लंबित हैं ;

(घ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिए ओडिशा में कितने अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा में उक्त अधिनियम के अंतर्गत विचारित मामलों में दोपसिद्धि और दोषमुक्ति की दर कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) :उड़ीसाउच्चन्यायालयद्वाराप्रदानकीगईजानकारीकेअनुसार, अनुसूचितजातिऔरअनुसूचितजनजाति (अत्याचारनिवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसमें इसकेपश्चात 'अधिनियम' कहा गाया है) केअधीन, 26.03.2025 तक, 2735 मामलेरजिस्ट्रीकृतकिएगएहैंऔर 290 मामलेउच्चन्यायालयमेंलंबितहैं ।इसकेअतिरिक्त, 28.02.2025 तक, जिलान्यायालयोंमें 18562 मामलेलंबितहैं।वहीजिला-वारलंबितमामलोंकोदर्शानेवालाविस्तृतविवरणनीचे**उपाबंध-1** में दियागयाहै । 28.02.2025 तकराज्यकेजिलान्यायालयोंमेंलंबित 18,562 मामलोंकीऔसतअवधि 4.42 वर्षहै। इसकेअतिरिक्त, अधिनियमकेअधीन अपराधोंकेविचारणकेलिएओडिशामेंबलांगीर, बालासोरऔरकटकमें 3 (तीन) अनन्यविशेषन्यायालयस्थापितकिएगएहैं।पिछलेपांचवर्षोंकेदौरानओडिशामेंइसअधिनियमकेअधीनविचारणकिएगएमामलोंमेंदोषसिद्धि/दोषमुक्तिदरोंसेसंबंधितब्यौरानिम्नानुसारहै ।

वर्ष	दोषसिद्धि दर (%)	दोष मुक्ति दर (%)

2020	4.94	85.77
2021	5.20	85.82
2022	9.27	89.24
2023	4.43	90.83
2024	2.21	88.76
2025 (28.02.2025 के अनुसार)	6.27	78.42

******

उपाबंध- 1

ओडिशाकेजिलाऔरउच्चन्यायालयोंमेंअनुसूचितजातियों और अनुसूचितजनजातियोंकेलंबितमामलोंकेसंबंधमेंलोकसभाअतारांकितप्रश्नसंख्या 5743 जिसका उत्तर तारीख को 04.04.2025 दिया जाना है, केउत्तरमेंनिर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	न्यायाधीश का नाम	28.02.2025 तक लंबित मामलों की संख्या	28.02.2025 तक लंबित मामलों की औसत अवधि (वर्षों में)
1	अंगुल	727	4.46
2	बलांगीर	148	3.91
3	बालारोरे	987	5.87
4	बारगढ़	715	4.30
5	भद्रक	1201	3.44
6	बौध	213	3.97
7	कटक	1637	4.02
8	देवगढ़	196	6.80
9	ढेंकनाल	844	4.91
10	गजपति	70	2.23
11	गंजम	1018	3.21
12	जगतसिंहपुर	673	3.39
13	जाजपुर	1596	3.56
14	झारसुगुडा	344	4.63
15	कालाहांडी	498	4.26
16	कंधमाल	207	3.66
17	केंद्रपाड़ा	1225	4.00
18	क्योंझर	525	4.22
19	खुर्दा	1493	6.70
20	कोरापुट	185	5.80
21	मलकानगिरी	65	3.20
22	मयूरभंज	515	4.04
23	नबरंगपुर	202	9.15
24	नयागढ़	257	3.58
25	नुआपाड़ा	268	5.21
26	पुरी	1425	4.30
27	रायगढ़	91	2.66
28	संबलपुर	420	4.21
29	सोनपुर	342	5.16
30	सुंदरगढ़	475	3.88
कुल		**18562**	**4.42**

****